



सत्यमेव जयते

आर्थिक क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन क्र. 3

आर्थिक क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन क्र. 3

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
पहला अध्याय		
विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)	1.2	1
आर्थिक क्षेत्र की प्रोफाइल	1.3	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	2
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	2
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	1.7	6
अभिस्वीकृति	1.8	8
दूसरा अध्याय		
अनुपालन लेखापरीक्षाएं		
पशुपालन विभाग		
पशुओं की लागत की वसूली	2.1	9
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग		
सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजनाओं का कार्यान्वयन	2.2	18
जल संसाधन विभाग		
बांधों की सुरक्षा की लेखापरीक्षा	2.3	28
लोक निर्माण विभाग		
वृहद पुलों का निरीक्षण	2.4	42
लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय भवनों का निर्माण	2.5	46
लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग		
गौण खनिजों पर रॉयल्टी	2.6	52
परिशिष्ट		61

प्राक्कथन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्यपाल, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में पशु-पालन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन विभागों सहित आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण है जो कि अवधि 2018-19 की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आए तथा साथ ही ऐसे उदाहरण भी हैं जो कि पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। यथा आवश्यकता, वर्ष 2018-19 की उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में संचालित की गई है।

अध्याय 1

विहंगावलोकन

अध्याय 1 – विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के उन विभागों, जो आर्थिक क्षेत्र में समाविष्ट हैं, की अनुपालन लेखापरीक्षा में सामने आए प्रकरण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यकारिणी को सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने, यथोचित नीतियों को बनाने के साथ-साथ निर्देश जारी करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, और बेहतर प्रशासन में योगदान होगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के आयोजना एवं कवरेज, लेखापरीक्षा परिणामों पर शासन और विभागों की प्रतिक्रिया तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

1.2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)

मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत 53 विभाग कार्यरत हैं। इन विभागों के प्रमुख अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव होते हैं, जिनकी सहायता विभागाध्यक्ष और उनके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। सी.ए.जी. के निर्देशों के अंतर्गत, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53 विभागों में से 16 विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा संचालित करता है जो कि आर्थिक क्षेत्र के दायरे में आते हैं।



कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) म.प्र., भोपाल

1.3 आर्थिक क्षेत्र की प्रोफाइल

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के तीन वर्षों के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश शासन के 16 विभागों और एक प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.1: आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विभागों का व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विभाग का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1.	लोक निर्माण	8,253.99	8,172.01	8,584.51
2.	जल संसाधन	7,423.14	7,042.41	6,681.26
3.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	4,734.91	5,362.35	9,942.57
4.	वन	2,159.63	2,277.47	2,420.94
5.	नर्मदा घाटी विकास	1,986.45	2,535.84	3,144.72
6.	औद्योगिक नीति एवं निवेश उन्नयन ¹	3,734.31	1,014.16	767.22
7.	ऊर्जा	9,737.76	18,065.72	12,296.56
8.	सहकारिता	2,047.76	1,894.86	1,683.29
9.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग ²	निरंक	987.07	780.86
10.	पर्यटन	252.73	270.21	170.53
11.	पशुपालन	843.52	759.26	882.92
12.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	72.10	65.58	75.91
13.	उड्डयन	21.92	36.66	27.79
14.	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग	15498.38	211.44	199.20
15.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	653.96	649.86	1388.17
16.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2.13	151.09	257.92
17.	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ³	2754.14	3159.00	4627.08
योग		60,176.83	52,654.99	53,931.45

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन से एकत्रित आंकड़े)

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए सी.ए.जी. का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सी.ए.जी. के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से व्युत्पन्न है। सी.ए.जी. शासन के आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा धारा 13 के तहत की जाती है;
- आर्थिक क्षेत्र के तहत स्वायत्तशासी निकायों (ए.बी.) की वित्तीय लेखापरीक्षा धारा 19 (2)⁴ और 19 (3)⁵ के अनुसार की जाती है;

विभिन्न लेखापरीक्षाओं हेतु सिद्धांत और कार्यप्रणालियाँ लेखापरीक्षा मानकों और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमों, साथ ही दिशा-निर्देशों, नियम-पुस्तिकाओं तथा सी.ए.जी. के निर्देशों द्वारा या उनकी ओर से निर्धारित किए जाते हैं।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

वर्ष 2019-20 के दौरान, कार्यालय म.ले. (लेखापरीक्षा-द्वितीय) ने आर्थिक क्षेत्र से संबंधित 16 विभागों में से सात विभागों यथा पशु पालन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एवं ग्रामीण उद्योग विभागों

¹ जनवरी 2018 तक, इसे वाणिज्य एवं उद्योग और रोजगार विभाग कहा जाता था।

² यह विभाग मार्च 2016 में बनाया गया था। विनियोग लेखों से लिए गए व्यय के आंकड़े।

³ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ग्वालियर के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और प्राधिकरण म.ले. (लेखापरीक्षा-द्वितीय) म.प्र., भोपाल के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।

⁴ संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद या उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित निगमों (कंपनियां नहीं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

⁵ संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित निगमों (कंपनियां नहीं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

के अंतर्गत कुल 1,357 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 222 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की। इस प्रतिवेदन में छः लेखापरीक्षा कंडिकाओं (कंडिका 2.1 से 2.6) के रूप में इन सात में से चार विभागों में पाई गई आपत्तियाँ दी गई हैं। एक प्रकरण में, संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर प्रकरण को यहाँ प्रतिवेदित नहीं किया जा रहा है (कंडिका 1.6.4 में संदर्भित)। पांच अन्य प्रकरणों में, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुसरण सामान्य रूप से किया जा रहा है।

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, कि क्या कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन, एक इकाई या संस्थाओं के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि के साथ सभी तथ्यात्मक मामलों और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत का अनुपालन करती है।

निम्नलिखित अनुक्रम सारिणी आयोजना की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रतिवेदन को दर्शाती है:

आकृति 1.1: आयोजना, लेखापरीक्षा का संचालन और प्रतिवेदन

जोखिम का मूल्यांकन संस्थाओं/योजनाओं इत्यादि की लेखापरीक्षा हेतु आयोजना जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होती है जिसमें निश्चित मानदण्ड सम्मिलित होते हैं जैसे,

- किया गया व्यय
- अंतिम लेखापरीक्षा कब की गई
- गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता
- गतिविधि हेतु सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन
- हितधारकों की चिंताएं, आदि।

लेखापरीक्षा योजना में सुनिश्चित करना सम्मिलित होता है

- लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं प्रकार-वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और कार्यप्रणाली
- विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षिति इकाइयों और लेन-देन के नमूने

निरीक्षण प्रतिवेदन इस आधार पर जारी किए जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/आंकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्यों का परीक्षण
- लेखापरीक्षा प्रश्नों के प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख /स्थानीय प्रबंधन के साथ वार्ता

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इनसे तैयार किये जाते हैं

- निरीक्षण प्रतिवेदन या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दी गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों,
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया, और
- राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखने हेतु राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, एक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं, इकाई के प्रमुख को इस निवेदन के साथ जारी किया जाता है कि वे उक्त नि.प्र. प्राप्ति के एक माह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ या तो हटा दी जाती हैं या अनुपालन हेतु उन पर आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देना अपेक्षित होता है, प्रारूप कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा के रूप में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पहले प्राप्त उत्तरों पर उचित विचार के बाद शासन को उनके प्रत्युत्तर हेतु जारी किया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा अवलोकनों पर कार्यालय प्रमुख और उच्चतर अधिकारियों द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जिला/राज्य स्तर पर बैठकों में आवधिक अंतराल पर चर्चा भी होती है।

31 मार्च 2020 तक, पूर्व वर्षों से संबंधित 1,492 नि.प्र. और 10,457 कंडिकाएं निम्नलिखित तालिका 1.2 में दिए ब्यौरे अनुसार निराकरण हेतु लंबित थीं।

तालिका 1.2: मार्च 2020 के अंत तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का ब्यौरा

वर्ष	31 मार्च 2020 तक के निराकरण हेतु लंबित नि.प्र./कंडिकाओं की संख्या	
	नि.प्र.	कंडिकाएं
2016-17	482	3,020
2017-18	420	2,965
2018-19	358	2,582
2019-20	232	1,890
कुल	1,492	10,457

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई के अभाव से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के जारी रहने का खतरा होता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों का कमजोर होना, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजकोष को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिन्हित प्रकरणों की समीक्षा और उनके निदान की त्वरित कार्रवाई करने हेतु राज्य शासन को उपयुक्त तंत्र गठित करने की आवश्यकता होती है।

1.6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों से अपेक्षित है कि वे सी.ए.जी. के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर इसकी प्राप्ति के छः सप्ताह के अंदर भेजें। नवम्बर 2019 से जून 2020 के दौरान, 10 प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा टिप्पणियों की ओर आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की गई थी। यह उनके निजी संज्ञान में लाया गया था कि ये कंडिकाएं भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की जानी संभावित हैं जो कि राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उनकी टिप्पणी/उत्तर सम्मिलित किया जाना वांछित है। इसके बावजूद, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप

देने की तिथि तक जल संसाधन विभाग की चार प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। शासन के उत्तर, जहाँ भी प्राप्त हुए हैं, इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.6.3 पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां, इनके विधान सभा में प्रस्तुति के तीन माह के भीतर, की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को विधिवत इंगित करते हुए प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन के लिए, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी नोटिस या बुलावे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

31 मार्च 2020 तक, वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 05 कंडिकाओं के संबंध में जल संसाधन विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होना अभी लंबित था। विवरण नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर लंबित विभागीय उत्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग	31.03.2020 तक लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	विभागीय उत्तर प्राप्त के लिए देय तिथि
2015-16	जल संसाधन विभाग	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	24.03.2017	23.06.2017
2016-17	जल संसाधन विभाग	05 (अनुपालन लेखापरीक्षा)	10.01.2019	9.04.2019

1.6.4 वर्तमान लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रारम्भ में लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी 12 विषयों में से, शासन ने एक प्रकरण में लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए लगभग सभी मुद्दों पर कार्रवाई की है और जो भी उसमें इंगित किया गया था, उसकी पर्याप्त वसूली कर ली है। आपत्तियों के सारांश की चर्चा नीचे की गई है:

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की योजना

इस योजना का कार्यान्वयन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में एक ही समय में स्वरोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने एवं कृषि में उन्नत उपकरणों के प्रयोग में सुधार लाने के लिए गांवों में हितग्राहियों (ग्रामीण युवाओं) द्वारा स्थापित किए जाने वाले कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से सीमांत किसानों को किराए पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध कराना सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या (i) निधियां योजना के प्रावधानों के अनुसार अवमुक्त, उपयोग एवं लेखांकित की गई थी (ii) योजना को ठीक तरीके से आयोजनाबद्ध किया गया था, और (iii) क्रियान्वयन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार था।

लेखापरीक्षा जाँच में लक्ष्यों की उपलब्धि न होना, अनुदान का संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण आहरण, अस्वीकृत/अनिच्छुक आवेदकों की सुरक्षा जमा जब्त करने में विफलता, जारी अनुदान अप्रयुक्त रहा किंतु न तो वसूली की गई न ही प्रयुक्त हुआ, अधिक सब्सिडी जारी कर हितग्राहियों को अनुचित लाभ प्रदान करना, अनिवार्य उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किए बिना ही अनुदान जारी करना और निगरानी में खामियां पाई गई।

शासन ने लगभग सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की। शासन ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा के दौरान इंगित कुल ₹ 2.36 करोड़ के विचलन में से, लेखापरीक्षा की पहल पर ₹ 83.46 लाख वसूले गए हैं एवं शेष राशि के लिए, आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित खामियों को दूर करने के लिए शासन के निरंतर प्रयासों की लेखापरीक्षा सराहना करता है। इसलिए, इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रतिवेदन में नहीं दर्शाए गए हैं।

1.6.5 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित होता है कि वे लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर सिफारिशों पर एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करें। 31 मार्च 2020 तक, मध्य प्रदेश शासन के आठ विभागों से संबंधित 46 ए.टी.एन. अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरा परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

मध्य प्रदेश शासन के विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ ही उनके अंतर्गत कार्यरत स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में लागू नियमों, संहिताओं और नियम-पुस्तिकाओं का अनुपालन न होने और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में चूक और औचित्य के मानदण्डों के पालन में विफलता के उदाहरण सामने आए।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य शासन के चार विभागों से संबंधित छः अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष समाहित हैं।

(i) पशुओं की लागत की वसूली

पशुओं की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा पशुओं के वितरण की योजनाएं शुरू की गई थीं। शासन ने हितग्राहियों के लिए पशुओं की लागत पर अनुदान दिया तथापि, आवश्यकता के आकलन के तरीके, मांगपत्र जारी करने के लिए समय-सीमा, पशुओं की आपूर्ति और वितरण के बारे में दिशानिर्देशों में अस्पष्टता और हितग्राहियों द्वारा अनुदान राशि की अनधिकृत निकासी पर नियंत्रण की कमी के कारण 2016-19 की अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 15.61 करोड़ की लागत वाले वितरित किए गए पशुओं के विरुद्ध ₹ 3.43 करोड़ हितग्राहियों से वसूली के लिए लंबित थे। हितग्राहियों द्वारा अनुदान की राशि की अनधिकृत निकासी, हितग्राहियों द्वारा भुगतान से इंकार करना, विभागीय अधिकारियों द्वारा पशुओं की लागत जमा न करना तथा बैंक और हितग्राहियों द्वारा असहयोग करना पशुओं के लागत मूल्य की वसूली न होने के कारण थे।

हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुदान राशि जमा करने के बाद पशुओं के वितरण के लिए कोई निर्धारित तंत्र नहीं था। हितग्राहियों से पशु की लागत की वसूली के बारे में निर्देशों/दिशानिर्देशों की कमी के परिणामस्वरूप पशुओं की लागत की वसूली नहीं हुई। चयनित हितग्राहियों को पशुओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण, ₹ 5.53 करोड़ का अनुदान हितग्राहियों के बैंक खातों में बेकार पड़ा था। विभाग ने योजनाओं के तहत पशुओं की लागत की वसूली की निगरानी के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए थे और यह क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर सका।

(ii) सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजनाओं का कार्यान्वयन

अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजनाओं को राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़े किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाकर कृषि उपज बढ़ाई जाए। चूंकि संचालक, कृषि द्वारा घटकवार लक्ष्य तय नहीं किए गए थे, अधिकांश बजटीय आवंटन (77.42 प्रतिशत) का उपयोग बीज अदला-बदली कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कर लिया गया और बजट का केवल 22.58 प्रतिशत अन्य दो घटकों पर उपयोग किया गया।

हितग्राहियों का चयन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था और अपात्र किसान भी योजनाओं से लाभान्वित हुए।

कुछ दृष्टांतों में, निर्धारित तिथियों के बाद भी किसानों को बीज वितरित किए गए थे, जब खरीफ और रबी फसलों का सीजन लगभग समाप्त हो गया था। एजेंसियों से विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर बीज खरीदे गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.63 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। बीज के वितरण के लिए नियत तिथियों के बाद 5,520 (2,495 खरीफ के और 3,025 रबी के) के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए थे और बीजों के परीक्षण के परिणाम एक से छः माह तक के विलंब से प्राप्त हुए थे।

किसानों से प्राप्त राशियों को कोषालय में तुरंत जमा नहीं किया गया था; किसानों से प्राप्तियों की न तो पावती दी गई थी और न ही रोकड़-बही में धनराशि को लेखाबद्ध किया गया था; कृषक अंश कोषालय में एक से 36 महीने तक के विलम्ब से जमा किया गया था। योजनाओं के घटकों का संबंधित अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन/निरीक्षण नहीं किया गया था।

(iii) बांधों की सुरक्षा की लेखापरीक्षा

निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्धारित आवधिकता में राज्य में बांधों का निरीक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं किया गया।

सुधारात्मक उपायों पर की गई कार्रवाई की लेखापरीक्षा जाँच में अनियमितताएं पाई गईं यथा, प्राक्कलन तैयार नहीं करना, अनुशंसा के अनुरूप सुधारात्मक कार्य नहीं किया जाना, सुधारात्मक कार्यों का पूर्ण न होना, आदि से निरीक्षण का कार्य, बिना किसी परिणामी लाभ के नियमित अभ्यास मात्र रह गया। बहुत कम बांधों में, उनके व्यवहार पर नजर रखने और आपदा के लक्षणों का पता लगाने के लिए उपकरणों को लगाया गया है। स्थापित उपकरणों में से कई अकार्यशील थे। केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़े बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

(iv) वृहद् पुलों का निरीक्षण

पुलों के रखरखाव की प्रकृति और आवधिकता की पहचान करने के लिए की निरीक्षण एक पूर्व-आवश्यकता होने के बाद भी, लो.नि.वि. के सेतु संरचना ने इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वृहद् पुलों के निरीक्षण में कमी/विलंबित निरीक्षण हुआ; निरीक्षण उचित प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, वृहद् पुलों में देखे गए दोषों को विभाग द्वारा दूर नहीं किया गया था और एमबीआईयू का उपयोग लगभग 83 प्रतिशत पुलों के निरीक्षण के लिए नहीं किया गया था जो 25 वर्ष से अधिक पुराने थे।

(v) लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय भवनों का निर्माण

लेखापरीक्षा ने कार्य के क्रियान्वयन के दौरान कमियां, जिनके कारण न केवल अधिक भुगतान हुए एवं कार्य की अतिरिक्त लागत आई अपितु, कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई, अवलोकित की। गलत दरों को अपनाने, परिवहन प्रभारों के भुगतान और ठेकेदार को सीमेंट के खपत पर अतिरिक्त भुगतान करने के दृष्टांत थे। परिणामस्वरूप, कार्यों के कुछ भागों ने विभाग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पैदा किया, बावजूद इसके कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हुई।

(vi) गौण खनिजों पर रॉयल्टी

निर्माण कार्य विभाग ने ठेकेदारों के देयकों से निर्धारित दरों पर गौण खनिजों के उपयोग पर रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित नहीं की; न ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गौण खनिजों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारियों से रॉयल्टी के अदेयता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर जोर दिया। जहां ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की राशि काट ली गई थी, कई प्रकरणों में, यह राशि शासन के खाते में संबंधित शीर्ष में तुरंत जमा नहीं की गई थी। आगे, खनिज संसाधन विभाग के आदेशों से विचलन में, ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में अपना विवरण दर्ज नहीं करने के बावजूद भी निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों पर बाजार दर से वसूली नहीं की गयी थी।

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश के संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता को स्वीकार करता है।

अध्याय 2

अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

अध्याय 2 – अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

पशुपालन विभाग

2.1 पशुओं की लागत की वसूली

2.1.1 परिचय

पशुपालन विभाग को पशुधन, कुक्कुट विकास के सभी पहलुओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है यथा, उत्पादन, प्रसंस्करण, मवेशियों के नस्ल सुधार, पशुधन और कुक्कुट एवं दूध, मांस, अंडे और ऊन आदि के उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से उनके उत्पादों का विपणन।

पशुधन के नस्ल सुधार के उद्देश्य से, विभाग ने 75:25 के अनुपात में धन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी) के माध्यम से हितग्राहियों (पशुपालकों) को पशुओं के वितरण से संबंधित पांच योजनाओं को लागू किया, जिसमें राज्य शासन 75 प्रतिशत का भुगतान अनुदान के रूप में करता है और हितग्राही शेष 25 प्रतिशत का भुगतान करता है। योजनाओं का विवरण नीचे तालिका 2.1.1 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.1.1: योजनाओं का विवरण

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	पात्र हितग्राही	प्रदान किए गए पशु का प्रकार	इकाई मूल्य (₹ में)	अनुदान ¹
1	समुन्नत योजना	1999–2000	सभी वर्ग के पशुपालक	एक भैंसा सांड	45,000	इकाई मूल्य का 75 प्रतिशत
2	नंदीशाला योजना	2006–07	सभी वर्ग के पशुपालक	दूसरे राज्य से आयातित नस्ल का एक गौ सांड	25,720	इकाई मूल्य का 75 प्रतिशत
			सभी वर्ग के पशुपालक	म.प्र. की देसी नस्ल का एक गौ सांड	18,260	इकाई मूल्य का 75 प्रतिशत
3	नर बकरा योजना	2008–09	सभी वर्ग के पशुपालक	एक नर बकरा	8,300	इकाई मूल्य का 75 प्रतिशत
4	नर सूकर योजना	1992–93	केवल अनुसूचित जाति के पशुपालक	एक नर सूकर	5,000	इकाई मूल्य का 75 प्रतिशत
5	सूकर त्रयी योजना		केवल अनुसूचित जनजाति के पशुपालक	एक नर एवं दो मादा सूकर	15,000	इकाई मूल्य का 75 प्रतिशत

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

हितग्राहियों को पशुओं की आपूर्ति का कार्य मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम (एम.पी.एस.एल.पी.डी.सी.)² एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आपूर्तिकर्ता एजेंसी) को सौंपा गया था, जो पशुधन के प्रबंध और विपणन के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि पशुओं की आपूर्ति के लिए पशुपालन विभाग और आपूर्तिकर्ता एजेंसी के बीच कोई लिखित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) या औपचारिक अनुबंध नहीं था, लेकिन उसके द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर पशुओं की आपूर्ति की जानी थी।

हितग्राहियों के चयन और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली निम्नानुसार थी:

- समुन्नत, नर बकरा, नर सूकर और सूकर त्रयी योजनाओं में, हितग्राही द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पहले ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है और बाद के चरण में, इसे आगे जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अंत में, जिला पंचायत चयनित हितग्राहियों की सूची को अनुमोदित करती है।

¹ अप्रैल 2018 से 75 प्रतिशत अनुदान लागू है। अप्रैल 2018 से पहले, योजनाओं के विरुद्ध अनुदान 80 प्रतिशत था, सिवाय नर सूकर और सूकर त्रयी योजनाओं के, जहां 75 प्रतिशत अनुदान अप्रैल 2018 से पहले से लागू था।

² पशुपालन विभाग के अंतर्गत कार्यरत।

- नंदीशाला योजना में, हितग्राही ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है। ब्लॉक स्तर पर, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत की स्वीकृति प्राप्त करता है। इसके पश्चात्, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा बजट की उपलब्धता के अनुसार जिला पंचायत से चयनित हितग्राहियों की स्वीकृति प्राप्त करता है।
- विभाग प्रत्येक योजना के लिए अपने जिला कार्यालयों को भौतिक और वित्तीय लक्ष्य प्रदान करता है।
- लक्ष्यों और आवश्यक धन की प्राप्ति पर, जिला कार्यालय योजनाओं के लिए हितग्राहियों का चयन करते हैं।
- हितग्राहियों द्वारा अपने बैंक खाते में पशु की लागत का 25 प्रतिशत राशि जमा करने के पश्चात्, जिला कार्यालय हितग्राहियों के बैंक खाते में शासकीय अनुदान राशि जमा करता है और आपूर्तिकर्ता एजेंसी को आदेश भेजता है।
- जैसे ही पशुओं की आपूर्ति हो जाती है, हितग्राही को अपने बैंक खाते से अपने अंशदान (25 प्रतिशत) के साथ अनुदान की राशि (75 प्रतिशत) का आहरण करना होता है एवं डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपूर्तिकर्ता एजेंसी को पशुओं की लागत के भुगतान हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करता है।

2.1.2 योजनाओं का वित्त पोषण

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन पाँच योजनाओं के लिए ₹ 51.02 करोड़ आवंटित किए गए, जिसके विरुद्ध ₹ 48.26 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्षवार आवंटन और व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.1.2 में दिया गया है:

तालिका 2.1.2: वर्षवार एवं योजना वार आवंटन एवं व्यय

स. क्र.	योजनाएं					(₹ लाख में)
			2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	नंदीशाला	आवंटन	384.56	545.67	565.58	1495.81
		व्यय	384.56	526.53	439.04	1350.13
2	समुन्नत	आवंटन	781.92	885.96	906.86	2574.74
		व्यय	781.92	825.48	898.42	2505.82
3	नर बकरा	आवंटन	363.27	249.46	254.00	866.73
		व्यय	363.27	249.00	204.18	816.45
4 एवं 5	नर सूकर एवं सूकर त्रयी	आवंटन	54.26	53.62	57.00	164.88
		व्यय	54.26	53.62	45.60	153.48
कुल		आवंटन	1584.01	1734.71	1783.44	5,102.16
		व्यय	1584.01	1654.63	1587.24	4,825.88

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

2.1.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा अगस्त 2019 से नवम्बर 2019 के मध्य यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि, क्या:

- इन योजनाओं के विरुद्ध वितरित पशुओं की लागत आपूर्तिकर्ता एजेंसी को उचित रूप से और समय पर भुगतान की जा रही थी, एवं
- हितग्राहियों द्वारा अनुदान राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष योजनाओं के दिशानिर्देशों और विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जारी अनुदेश से प्राप्त मानदंडों पर आधारित थे।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पशु वितरण के विरुद्ध हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा की गई अनुदान राशि और आपूर्तिकर्ता एजेंसी को किए गए भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जाँच के लिए लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों की अवधि को आच्छादित किया।

योजनाएं राज्य के सभी 52 जिलों में लागू की जा रही हैं। इनमें से, 18 जिला कार्यालयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर किया गया था। संचालक कार्यालय, पशुपालन विभाग का भी चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए शासन स्तर पर 07 अगस्त 2020 को एक निर्गम सम्मलेन आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मलेन के दौरान शासन की प्रतिक्रियाओं को और उनके लिखित उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया था।

2.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई है:

2.1.4.1 लक्ष्य एवं पशुओं की आपूर्ति

जिलों में पशुओं के वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारण के लिए कोई निर्धारित तंत्र नहीं था। पिछले वर्षों के दौरान पशुओं की परिकल्पित संख्या वितरित नहीं होने पर भी विभाग द्वारा लक्ष्य तय किए जा रहे थे। आपूर्तिकर्ता एजेंसी द्वारा पर्याप्त संख्या में पशुओं की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण, एक साल में आपूर्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। तीन साल की अवधि 2016-19 के दौरान पशुओं के लक्ष्य और वितरण की स्थिति नीचे तालिका 2.1.3 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.1.3: पशुओं के वितरण की स्थिति

(पशुओं की संख्या)

वर्ष	हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले पशुओं की लक्षित संख्या	वितरित किये गए पशुओं की संख्या	पशुओं का लंबित वितरण (लंबित प्रतिशत)
2016-17	4,558	3,899	659 (14)
2017-18	3,211	2,360	851 (27)
2018-19	3,060	1,333	1,727 (56)
योग	10,829	7,592	3,237 (30)

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि हितग्राहियों को पशुओं के वितरण में बकाये का मुख्य कारण विभाग द्वारा जिला स्तर पर पशुओं की आवश्यकता का आकलन मैदानी स्तर से कोई जानकारी प्राप्त किए बिना किया जा रहा था और लक्ष्य तदर्थ रूप से निर्धारित किए जा रहे थे। यह एकल आपूर्तिकर्ता एजेंसी होने और इसके साथ तालमेल की कमी के कारण एक ऐसी स्थिति बन गई, जहाँ हितग्राहियों को पशुओं के वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर में, शासन ने बताया (जून 2020) कि पशुओं के वितरण के लिए लक्ष्य जिला स्तर पर पशुधन की आवश्यकता के अनुसार तय किए जाएंगे। आगे बताया गया कि आपूर्तिकर्ता एजेंसी के साथ समन्वय विकसित किया जाएगा और पशुओं के समय पर वितरण के लिए वैकल्पिक एजेंसियों के विकल्प पर विचार किया जाएगा।

2.1.4.2 पशुओं की आपूर्ति हेतु मांगपत्र जारी करना

(i) आवश्यकता के अनुसार मांगपत्र जारी नहीं किया जाना

पशुओं की आपूर्ति के लिए एम.पी.एस.एल.पी.डी.सी. को मांगपत्र जारी करने के बारे में कोई निर्धारित निर्देश या दिशानिर्देश नहीं थे। तथापि, किसी विशेष योजना के लिए नियत हितग्राहियों के चयन के बाद, पशुओं की अपेक्षित संख्या की प्राप्ति के लिए मांगपत्र जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सभी प्रकरणों में पशुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता एजेंसी को औपचारिक मांगपत्र जारी नहीं किए गए थे। कई प्रकरणों में, जिला क्षेत्र कार्यालयों ने जानवरों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता एजेंसी को दूरभाष पर निर्देश दिए। 18 चयनित उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा (डी.डी.वी.एस.) द्वारा गणना की गई योजनावार पशुओं की आवश्यकता का सारांश और 2016-17 से 2018-19 के दौरान उनके द्वारा एम.पी.एस.एल.पी.डी.सी. को जारी मांगपत्र नीचे दी गई तालिका 2.1.4 में दिखाए गए हैं:

तालिका 2.1.4 पशुओं की आवश्यकता एवं मांगपत्र के विरुद्ध आपूर्ति

(पशुओं की संख्या)

स. क्र.	योजना	मांगपत्र जारी किए जाने थे	मांगपत्र जारी किये गए	कुल आपूर्तित पशु	बिना मांगपत्र प्रदाय	मांगपत्र के विरुद्ध पशु प्रदाय	मांगपत्र के विरुद्ध कम प्रदाय
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (4-7)
1	समुन्नत	2,789	1,736	2,029	634	1,395	341
2	नदीशाला	2,600	1,676	1,379	489	890	786
3	नर बकरा	4,753	2,853	3,794	1,203	2,591	262
4	नर सूकर	319	187	175	54	121	66
5	सूकर त्रयी	368	0	215	215	0	0
योग		10,829	6,452	7,592	2,595	4,997	1,455

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, एम.पी.एस.एल.पी.डी.सी. ने लिखित औपचारिक मांगपत्र प्राप्त किए बिना भी 2,595 पशुओं की आपूर्ति की इसके विपरीत, औपचारिक मांगपत्र प्राप्त करने के बावजूद 1,455 पशुओं की आपूर्ति नहीं की थी। लेखापरीक्षा में चयनित 18 जिलों में से, केवल तीन जिलों³ ने पशुओं के लिए मांगपत्र जारी किए। 2016-19 के दौरान तीन अन्य जिलों⁴ ने पशुओं की आपूर्ति के लिए किसी योजना के लिए औपचारिक मांगपत्र जारी नहीं किए थे। 2,595 पशुओं में से जिनकी आपूर्ति बिना मांगपत्र जारी किए की गई थी, 1,606 पशुओं की आपूर्ति केवल इन तीन जिलों में की गई थी।

उत्तर में शासन ने बताया (जून 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लिया गया था और सभी डी.डी.वी.एस. को समय से पशुओं की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता एजेंसी को मांगपत्र जारी किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

(ii) मांगपत्र जारी करने के संबंध में पशुओं की आपूर्ति में विलंब

शासन ने मांगपत्र जारी करने के बाद पशुओं की आपूर्ति के लिए एम.पी.एस.एल.पी.डी.सी. के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। यह देखा गया था कि जिन प्रकरणों में मांगपत्र जारी किया गया था, उनमें जानवरों की आपूर्ति में विलंब हुआ था। जहां मांगपत्र जारी किए बिना आपूर्ति की गई थी, विलंब का पता नहीं चल सका, क्योंकि मांगपत्र जारी करने की तिथि इसे नियत करने के लिए उपलब्ध नहीं थी। सभी 18 चयनित जिलों में 2016-19 के दौरान पशुओं की आपूर्ति की योजना-वार स्थिति नीचे तालिका 2.1.5 में दर्शायी गई है:

³ दतिया, इंदौर और कटनी।

⁴ अनुपपूर, अशोकनगर एवं मंडला।

तालिका 2.1.5: पशुओं की आपूर्ति में विलंब

पशुओं की संख्या (प्रतिशत)

स. क्र.	योजना का नाम	मांगपत्र जारी किए गए	मांगपत्र के विरुद्ध प्रदायित पशु	पशुओं के प्रदाय में विलंब जहां मांगपत्र जारी किए गए थे			
				एक माह के भीतर	06 माह तक	06 माह से एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक
1	समुन्नत	1,736	1,395	446 (31.97)	543 (38.92)	351 (25.16)	55 (3.94)
2	नंदीशाला	1,676	890	54 (6.08)	450 (50.56)	196 (22.02)	190(21.34)
3	नर बकरा	2,853	2,591	660 (25.47)	1230 (47.47)	442 (17.06)	259(10.00)
4	नर सूकर	187	121	35 (28.93)	86 (71.07)	0	0
5	सूकर त्रयी	0	0	0	0	0	0
योग		6,452	4,997	1,195 (23.91)	2,309(46.21)	989 (19.79)	504(10.08)

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यह देखा गया कि मांगपत्र जारी करने की तिथि से एक महीने के भीतर केवल 1195 पशुओं (23.91 प्रतिशत) की आपूर्ति की गई थी। शेष पशुओं की आपूर्ति एक महीने से एक वर्ष से अधिक के विलंब के साथ की गई थी, जिसमें अधिकतम विलंब 34 महीने तक था। इस सम्बन्ध में विभाग से आपूर्तिकर्ता एजेंसी के साथ जानकारी प्राप्त करने संबंधित साक्ष्य या तो संचालनालय में या चयनित डी.डी.वी.एस. के अभिलेख में कुछ भी नहीं था।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2020) कि इस मामले को गंभीरता से देखा गया और सभी डी.डी.वी.एस. को निर्देश दिए जा रहे थे कि वे पशुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता एजेंसी से संपर्क करें।

2.1.4.3 वितरित पशुओं का मूल्य वसूल नहीं होना

म.प्र. शासन ने निर्देश दिया (जून 2010) कि पशुओं के वितरण के बाद, पशुओं की लागत (अनुदान + हितग्राहियों का अंश) का भुगतान पशुपालन विभाग की मदद से हितग्राहियों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) के माध्यम से आपूर्तिकर्ता एजेंसी को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हितग्राहियों के बैंक खातों में जानवरों की लागत केवल वितरित जानवरों के भुगतान के लिए प्रतिबंधित होगी।

हितग्राहियों के बैंक खाते में पशुओं की लागत के बराबर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। 18 चयनित जिलों (नवम्बर 2019 की स्थिति) में न वसूल की गई पशुओं की लागत की स्थिति नीचे तालिका 2.1.6 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.1.6: वसूल न की गई पशुओं की लागत का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	योजना का नाम	वितरित पशुओं की संख्या	वितरित पशुओं की लागत	प्राप्त राशि		भुगतान करने योग्य राशि	
				पशुओं की संख्या	राशि	पशुओं की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समुन्नत	2,029	913.05	1,667	748.93	362	164.12
2	नंदीशाला	1,379	314.60	944	216.30	435	98.31
3	नर बकरा	3,794	292.37	2,927	228.10	867	64.27
4	नर सूकर	175	08.75	88	04.33	87	04.42
5	सूकर त्रयी	215	32.25	137	20.59	78	11.67
योग		7,592	1561.02	5,763	1,218.25	1,829	342.79

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि 18 चयनित जिलों में 7,592 वितरित पशुओं में से 1,829 की लागत, ₹ 3.43 करोड़ की राशि (कुल लागत का 21.95 प्रतिशत) का भुगतान हितग्राहियों द्वारा अभी नहीं किया गया था। आपूर्तिकर्ता एजेंसी को भुगतान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए हितग्राहियों द्वारा उनके बैंक खातों से अनुदान की अनधिकृत निकासी के कारण आपूर्तिकर्ता को

भुगतान के लिए 1,829 में से 1,033 पशुओं की लागत लंबित थी। आपूर्तिकर्ता एजेंसी को भुगतान न करने के कारणों को तालिका 2.1.7 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.7: पशुओं की लागत की वसूली न होने के कारण

योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या जिनसे पशु मूल्य की वसूली की जानी थी	पशु मूल्य की वसूली न होने के कारण			
		हितग्राहियों की संख्या जिन्होंने अपने बैंक खाते से अनाधिकृत आहरण किया	हितग्राहियों की संख्या जिन्होंने पशु मूल्य का भुगतान करने से मना किया	लागत हितग्राहियों से प्राप्त की गई थी लेकिन आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया (संख्या)	अन्य कारण ⁶ (संख्या)
समुन्नत	362	220	64	34	44
नंदीशाला	435	242	115	23	55
नर बकरा	867	488	215	123	41
नर सूकर	87	78	0	0	9
सूकर त्रयी	78	5	69	0	4
योग	1,829	1,033	463	180	153

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है, क्षेत्र अधिकारियों⁶ द्वारा चार जिलों⁷ में हितग्राहियों से 180 पशुओं की लागत ₹ 28.30 लाख की राशि प्राप्त की गई थी, लेकिन आपूर्तिकर्ता के खाते में जमा नहीं की गई थी। इस प्रकार, इस राशि के व्यक्तिगत उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 1,496 (1,033 + 463) हितग्राहियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी, जिन्होंने पशुओं की लागत अनधिकृत रूप से अपने बैंक खाते से आहरित कर ली या पशुओं की लागत का भुगतान करने से इंकार कर दिया। अनूपपुर जिले में, 153 पशुओं की लागत बैंक और हितग्राहियों के असहयोग के कारण वसूल नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने स्वीकार किया (जून 2020) कि वितरित पशुओं की लागत की वसूली नहीं होने का मुख्य कारण हितग्राहियों द्वारा बैंक खातों से अनुदान राशि की अनधिकृत निकासी था। शासन ने आगे बताया कि डी.डी.वी.एस. को ऐसे हितग्राहियों और क्षेत्र अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया था।

2.1.4.4 पशु मूल्य वसूली में विलंब होना

पशुओं की आपूर्ति के बाद हितग्राहियों से भुगतान की प्राप्ति के लिए समय सीमा के बारे में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश (30 जून 2010) स्पष्ट नहीं हैं। हितग्राहियों द्वारा पशुओं की प्राप्ति के उपरांत भुगतान में विलंब का विश्लेषण नीचे तालिका 2.1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.8: पशु मूल्य की वसूली में विलंब

(पशुओं की संख्या)

स. क्र.	योजना का नाम	पशु मूल्य का भुगतान				योग
		आपूर्ति के एक माह के अन्दर	आपूर्ति के 06 माह के अन्दर	06 माह से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक	
1	समुन्नत	504	887	180	96	1,667
2	नंदीशाला	213	515	139	77	944
3	नर बकरा	764	1,610	319	234	2,927
4	नर सूकर	23	37	21	7	88
5	सूकर त्रयी	32	85	9	11	137
	योग	1,536	3,134	668	425	5,763

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

⁵ बैंक और हितग्राहियों का असहयोग।

⁶ पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी।

⁷ अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर और श्योपुर।

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि केवल एक महीने के भीतर हितग्राहियों से केवल 1,536 पशुओं की लागत, यानी 27 प्रतिशत वसूली गई थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2020) कि सभी डी.डी.वी.एस. को निर्देशित किया गया था कि वे पशुओं के वितरण के समय हितग्राहियों से पशु की लागत वसूल करें।

शासन द्वारा जारी (जून 2010) निर्देशों के अनुसार, हितग्राहियों के बैंक खातों में पशुओं की लागत की राशि केवल वितरित पशुओं के भुगतान के लिए प्रतिबंधित की जानी थी। इस संबंध में, जब तक आपूर्तिकर्ता एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाता है हितग्राहियों के खाते में पशुओं की लागत के बराबर राशि को प्रतिबंधित करने के लिए विभाग द्वारा बैंकों को पत्र लिखना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि इस तरह के प्रतिबंधों के लिए केवल 3,618 हितग्राहियों (कुल 9,865⁸ हितग्राहियों में से यानी 36.69 प्रतिशत के लिए) के संबंध में बैंकों को पत्र लिखा गया था, जबकि इस संबंध में बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गई थी परिणामस्वरूप, 1,496 हितग्राहियों ने अपने खाते से अनधिकृत रूप से पशुओं की लागत की राशि आहरित कर ली थी या भुगतान करने से इंकार कर दिया था विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2020) कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी डी.डी.वी.एस. को निर्देशित किया गया है कि वे हितग्राहियों के बैंक खाते में पड़ी अनुदान राशि के दुरुपयोग की नियमित निगरानी करें। आगे बताया गया कि विभाग बैंकों से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डी.डी.वी.एस. के साथ सहयोग करने का अनुरोध करेगा।

2.1.4.5 हितग्राहियों के खातों में पशु अनुदान राशि का बेकार पड़ा रहना

2016-19 के दौरान, कुल 3,102 पशुओं को हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया था, जबकि, सभी 18 चयनित जिलों में ₹ 5.53 करोड़ की अनुदान राशि पहले से ही हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा की गई थी। पशुओं की लागत का भुगतान पशुओं के वितरण के बाद ही आपूर्तिकर्ता एजेंसी को किया जाना था। हितग्राहियों को पशुओं का वितरण नहीं होने के कारण, अनुदान की एक बड़ी राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में बेकार पड़ी थी। हितग्राहियों को पशुओं के वितरित न होने का कारण तालिका 2.1.9 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.9: पशुओं का वितरण नहीं होने के कारण

स. क्र.	योजना का नाम	प्रकरणों की संख्या जहां अनुदान जमा किया गया	हितग्राहियों की संख्या जिनको पशु वितरित नहीं किए गए थे	बैंक खातों में बेकार पड़ी अनुदान राशि (₹ लाख में)	हितग्राहियों को पशु वितरित न होने के कारण	
					आपूर्तिकर्ता द्वारा पशुओं की कम आपूर्ति (संख्या)	हितग्राहियों ने पशुओं को लेने से इंकार किया (संख्या)
1	समुन्नत	2,506	708	245.48	618	90
2	नंदीशाला	2,435	1,137	222.89	978	159
3	नर बकरा	4,237	960	61.55	769	191
4	नर सूकर	319	144	05.40	139	5
5	सूकर त्रयी	368	153	17.21	141	12
योग		9,865 ⁹	3,102	552.53	2,645	457

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

⁸ कुल 10,829 हितग्राही, लेकिन 964 हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे आपूर्तिकर्ता एजेंसी को हस्तांतरित की गई थी।

⁹ कुल 10,829 हितग्राही, लेकिन 964 हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे आपूर्तिकर्ता एजेंसी को हस्तांतरित की गई थी।

हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुदान की राशि बेकार पड़े रहने के कारण, और यह देखते हुए कि हितग्राहियों ने पूरी राशि अपने नियमित बैंक खाते में जमा कर दी थी, शासन द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि के अनधिकृत आहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2020) कि आपूर्तिकर्ता एजेंसी द्वारा पशुओं की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण हितग्राहियों को पशु वितरित नहीं किए गए थे और सभी जिलों के डी.डी.वी.एस. को पिछले वर्षों के शेष पशुओं को वितरित करने के निर्देश दिए जा रहे थे, जो वितरण के लिए लंबित थे। शासन ने आगे बताया कि विभाग आपूर्तिकर्ता एजेंसी के साथ समन्वय करेगा और भविष्य में पशुओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा।

2.1.4.6 पशुओं की लागत के भुगतान की अनियमित रीति

राज्य शासन ने निर्देश दिया (जून 2010) कि पशुओं के वितरण के बाद, पशुओं की लागत (अनुदान और हितग्राहियों का अंश) का भुगतान डी.डी. के माध्यम से आपूर्तिकर्ता एजेंसी को किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता एजेंसी को भुगतान की रीति का विवरण नीचे दी गई तालिका 2.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.10: आपूर्ति एजेंसी को भुगतान की रीति

(₹ लाख में)

योजना का नाम	वितरित पशुओं की कुल प्राप्त राशि	प्राप्त राशि का विवरण			
		ई-भुगतान/हितग्राहियों के खाते से हस्तांतरण	विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के व्यक्तिगत खातों से ई-भुगतान	नगद	डिमांड ड्राफ्ट
समुन्नत	748.93	111.2	56.91	257.89	322.93
नंदीशाला	216.30	18.38	21.26	60.92	115.74
नर बकरा	228.10	33.37	15.82	72.28	106.63
नर सूकर	4.33	1.76	0	0.34	2.23
सूकर त्रयी	20.59	4.95	0.89	11.95	2.8
योग	1,218.25	169.66	94.88	403.38	550.33

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यह देखा गया कि ₹ 4.03 करोड़ आपूर्तिकर्ता के खाते में नकद जमा किए गए थे और ₹ 94.88 लाख क्षेत्र अधिकारियों के व्यक्तिगत खाते से ई-हस्तांतरित किए गए थे, जो कि म.प्र. शासन के निर्देश के विरुद्ध था। दोनों प्रकरणों में, यह स्पष्ट था कि क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों से नकदी प्राप्त की गई थी और आपूर्तिकर्ता एजेंसी के खाते में जमा करने के उद्देश्य से उन्हें नकद या व्यक्तिगत बैंक खातों में रखा गया था। ऐसी स्थिति में, इस राशि के व्यक्तिगत उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

18 चयनित जिला कार्यालयों के अभिलेखों में हितग्राहियों से भुगतान प्राप्ति की तिथि की जानकारी का विवरण उपलब्ध नहीं था। आगे, यह सत्यापित करने के लिए कि भुगतान की गई राशि वास्तव में आपूर्तिकर्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त की गई थी और इसका लेखा-जोखा रखा गया था, उनके अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया गया था। यह देखा गया कि डी.डी. के माध्यम से भुगतान किए गए ₹ 5.50 करोड़ की राशि में से, ₹ 4.44 करोड़ का भुगतान आपूर्तिकर्ता एजेंसी को डी.डी. जारी करने के दिनांक से एक से दो माह के विलंब से किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है और सभी डी.डी.वी.एस. को इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

2.1.4.7 अनुश्रवण तंत्र

योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभाग के पास कोई तंत्र नहीं था। संचालनालय द्वारा जिला कार्यालयों से और जिला कार्यालयों द्वारा क्षेत्र कार्यालयों से योजनाओं के

बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं बुलाया जा रहा था। आगे, क्षेत्र स्तर तक की योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में संचालनालय में कोई तैयार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, जबकि क्षेत्र कार्यालय (ब्लॉक कार्यालय) हितग्राहियों को पशुओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं, वे योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में उन्हें अवगत कराने के लिए डी.डी.वी.एस को मासिक और त्रैमासिक प्रतिवेदन भेज नहीं रहे थे।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2020) कि योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में मासिक प्रतिवेदन जिला कार्यालयों से मंगाए जाएंगे और इससे क्षेत्र कार्यालयों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित होगा।

2.1.5 निष्कर्ष

पशुओं की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा पशुओं के वितरण की योजनाएं शुरू की गई थीं। शासन ने हितग्राहियों के लिए पशुओं की लागत पर अनुदान दिए तथापि, आवश्यकता के आकलन के तरीके के बारे में दिशानिर्देशों में अस्पष्टता के कारण, मांगपत्र जारी करने के लिए समय-सीमा, पशुओं के आपूर्ति एवं वितरण, और हितग्राहियों द्वारा अनुदान राशि की अनधिकृत निकासी पर नियंत्रण की कमी के कारण 2016-19 की अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 15.61 करोड़ की लागत के वितरित पशुओं के विरुद्ध ₹ 3.43 करोड़ हितग्राहियों से वसूली के लिए लंबित थे। पशु लागत की वसूली न होने के कारण हितग्राहियों द्वारा अनुदान की राशि की अनधिकृत निकासी, हितग्राहियों द्वारा भुगतान से इंकार करना, विभागीय अधिकारियों द्वारा पशु लागत का जमा न करना और बैंक एवं हितग्राहियों द्वारा असहयोग करना थे।

हितग्राही के बैंक खाते में अनुदान राशि जमा करने के बाद पशुओं के वितरण के लिए कोई निर्धारित तंत्र नहीं था। हितग्राहियों से पशु की लागत की वसूली के बारे में अनुदेशों/दिशानिर्देशों की कमी के परिणामस्वरूप पशु की लागत की वसूली नहीं हुई। चयनित हितग्राहियों को पशुओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण, ₹ 5.53 करोड़ का अनुदान हितग्राहियों के बैंक खातों में बेकार पड़ा था। विभाग ने योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की लागत की वसूली की निगरानी के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए थे और यह क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर सके।

2.1.6 अनुशंसाएं

- विभाग को क्षेत्र इकाइयों से आवश्यकता के आकलन के आधार पर पशुओं की आपूर्ति और वितरण के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए इस उद्देश्य के लिए आपूर्तिकर्ता एजेंसी के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग को पशुओं की आपूर्ति से पहले हितग्राहियों द्वारा अनुदान राशि के आहरण को प्रतिबंधित करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए कि पहचान किए गए हितग्राहियों को अनुदानित लागत पर पशु उपलब्ध कराने के परिकल्पित उद्देश्य, पारदर्शी तरीके से प्राप्त किए जाते हैं।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

2.2 सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.1 परिचय

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग राज्य में कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और खेतों में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत करके राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राज्य शासन ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए कई पहल की हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एस.सी./एस.टी.) श्रेणियों से संबंधित सीमांत और लघु किसानों की आर्थिक स्थिति एवं उत्पादन सुधारने के लिये ऐसी दो योजनाएं शुरू की गईं—

(i) 'सूरजधारा' योजना— लाभदायक दलहन एवं तिलहन के बीज उपलब्ध कराना; एवं

(ii) 'अन्नपूर्णा' योजना— उत्पादन में सुधार के लिए खाद्यान्नों के बीज उपलब्ध कराना।

कृषि संचालनालय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय है। क्षेत्र स्तर पर, योजनाएं उप संचालक, कृषि (डी.डी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनकी सहायता उप-अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एस.ए.डी.ओ.) करते हैं। योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आर.एई.ओ.) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

योजनाओं में किसानों को विभाग द्वारा बीज की लागत का 75 प्रतिशत अनुदान के साथ बीज की आपूर्ति शामिल है और शेष 25 प्रतिशत लागत किसानों द्वारा वहन की जानी है। योजनाओं के तीन घटक नीचे दिए गए हैं:

2.2.1.1 बीज अदला-बदली कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में, विभाग पात्र किसानों द्वारा दिए गए समान प्रकार के फसल के बीज की समान मात्रा के बदले, एक हेक्टेयर तक के फसल क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रमाणित बीज¹⁰ की आपूर्ति करेगा। यदि कोई किसान किसी दूसरे किस्म की फसलों के बीज देता है, तो किसान द्वारा दिए गए बीजों की लागत विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों की लागत के 25 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। अन्यथा, एक किसान 75 प्रतिशत अनुदान का लाभ उठाकर प्रमाणित बीजों की लागत का 25 प्रतिशत भुगतान करके बीज क्रय कर सकता है जो ₹ 1,500 प्रति हितग्राही तक सीमित है।

2.2.1.2 बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के विरुद्ध, किसान के आधिपत्य की भूमि के 1/10 भाग के लिए आवश्यक प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की जाएगी, ताकि आगामी वर्ष के दौरान किसानों के पास फसल के अत्यधिक उत्पादक और लाभदायक बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

2.2.1.3 बीज उत्पादन कार्यक्रम

शासकीय कृषि फार्म (जी.ए.एफ.) के 10 किमी की परिधि में और बीज प्रमाणन एजेंसी के साथ पंजीकृत किसानों को उन्नत बीज, जैसे आधार/प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की जाएगी। एक किसान द्वारा कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि में, तथा अधिकतम एक हेक्टेयर तक बीज उत्पादन

¹⁰ प्रमाणित बीज आधार बीज के वंशज हैं और इनके उत्पादन की देख-रेख और अनुमोदन, प्रमाणिकरण एजेंसी द्वारा किया जाता है।

किया जाएगा। उत्पादित बीज का शासकीय कृषि फार्म में वर्गीकृत, संसाधित, पैक और स्टॉक किए जाएंगे। किसान से बीज खरीदने के बाद, उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर पात्र किसानों को वितरित किया जाएगा।

2.2.2 वित्तीय प्रबंधन

संचालक, डी.डी.ए. को बजट आवंटित करता है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भौतिक लक्ष्य जारी करता है। तथापि, आवंटन की उपलब्धता के आधार पर, योजनाओं के प्रत्येक घटक में वित्तीय प्रावधानों की सीमा तक जिला स्तर पर भौतिक लक्ष्यों को बदला जा सकता है। डी.डी.ए., बीज उत्पादन कार्यक्रम और बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम पर संचालक के निर्देशानुसार व्यय करता है। तीन वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान योजनाओं के अंतर्गत किए गए आवंटन और व्यय नीचे तालिका 2.2.1 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.2.1: योजनाओं पर आवंटन और व्यय का विवरण

वर्ष	सूरजधारा (दलहन/तिलहन)		अन्नपूर्णा (खाद्यान्न)	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2016-17	43.52	41.54	44.86	43.95
2017-18	50.00	48.91	51.00	48.65
2018-19	55.42	52.66	55.33	53.17
योग	148.94	143.11	151.19	145.77

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

2.2.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजनाओं के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा जून 2019 से अक्टूबर 2019 तक यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि कार्यान्वयन निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार था।

योजनाओं के दिशानिर्देशों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में विभाग द्वारा जारी निर्देशों से व्युत्पन्न मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने तीन साल की अवधि 2016-17 से 2018-19 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन को आच्छादित (कवर) किया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में कृषि संचालनालय के प्रासंगिक अभिलेख और 52 जिलों में से 20¹¹ जिलों के उप संचालक, कृषि (डी.डी.ए.) के कार्यालयों की जाँच शामिल थी। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जिलों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक चयन पद्धति से व्यय, जोखिम कारकों और क्षेत्र/भू-भाग पर विचार करके किया गया था।

¹¹ अलीराजपुर, अनुपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर एवं शिवपुरी।

2.2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

2.2.4.1 आयोजना**(i) घटक-वार नियोजन नहीं किया जाना**

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा जारी (मई 2000) योजनाओं के दिशानिर्देशों में यह विहित है कि उप संचालक को योजनाओं के सभी तीन घटकों यथा बीज अदला-बदली कार्यक्रम, बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए। संचालक द्वारा वित्तीय और भौतिक लक्ष्य एवं उपयुक्त बजट उप संचालक को आवंटित किए जाते हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रत्येक विकासखण्ड को लक्ष्य पुनर्वितरित करते हैं। संचालक द्वारा दिए गए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य एवं चयनित जिलों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां नीचे संक्षेप में दी गई हैं। विवरण **परिशिष्ट 2.2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.2.2: भौतिक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	सूरजधारा योजना				अन्नपूर्णा योजना			
	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां	
	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (हितग्राहियों की संख्या)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (हितग्राहियों की संख्या)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (हितग्राहियों की संख्या)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (हितग्राहियों की संख्या)
2016-17	18.55	92,760	16.65	1,17,721	18.98	94,894	16.85	1,64,626
2017-18	19.88	1,32,389	19.27	1,42,233	20.15	1,22,015	18.68	1,52,752
2018-19	21.23	1,41,552	20.28	1,42,481	21.48	1,43,190	20.78	1,54,765

(स्रोत: संचालक द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र तथा उपसंचालक द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दोनों योजनाओं के अंतर्गत अधिक हितग्राहियों को शामिल किया गया था। जबकि बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम घटकों को इन योजनाओं में वर्ष 1999-2000 से पुरःस्थापित किया गया था, किंतु घटक वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

चयनित 20 जिलों में निधियों के उपयोग के घटक-वार विश्लेषण से पता चला है कि 77.42 प्रतिशत निधि (₹ 87.10 करोड़) दोनों योजनाओं के विरुद्ध 'बीज अदला-बदली कार्यक्रम' घटक के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया गया था, जैसा कि नीचे संक्षेप में और विवरण **परिशिष्ट 2.2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: जिलों की संख्या जिनमें योजना के प्रत्येक घटक को लागू किया गया था

वर्ष	बजट का उपयोग करने वाले जिलों की संख्या		
	बीज अदला-बदली कार्यक्रम	बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम	बीज उत्पादन कार्यक्रम
2016-17	16	13	3
2017-18	15	12	2
2018-19	15	11	2
कुल उपयोग किये गये बजट का प्रतिशत	77.42	21.94	0.64

(स्रोत: चयनित उप संचालकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

यह देखा गया कि बीज अदला-बदली कार्यक्रम किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय था, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य दो घटकों में उत्पादित बीजों का उपयोग दो से तीन वर्षों तक न केवल हितग्राही किसानों द्वारा जो इनका उत्पादन करते हैं, बल्कि अन्य किसानों द्वारा भी किया जा सकता है,

क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए फायदेमंद हैं। यह देखा गया कि उप संचालक कृषि ने योजनाओं के इन दो घटकों में केवल 22.58¹² प्रतिशत बजट का उपयोग किया।

तथापि, विभाग को किसानों से बदले में कोई बीज नहीं मिले, क्योंकि किसानों ने प्रमाणित बीजों के बदले शासन को बीज उपलब्ध कराने के बजाय योजनाओं के घटक का लाभ उठाने के लिए बीजों की लागत का 25 प्रतिशत भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि कार्यक्रम की नियमित समीक्षा संचालक स्तर पर की जाएगी और कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिला कार्यालयों की मांग के अनुसार घटक वार लक्ष्य तय किए जाएंगे।

विभाग को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि सभी घटकों का लाभ बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा प्राप्त किया जा सके। केवल एक घटक अर्थात् बीज अदला-बदली कार्यक्रम पर कुल निधि का 77.42 प्रतिशत उपयोग ने किसानों को योजनाओं के अन्य दो घटकों के लाभ से वंचित किया है।

(ii) हितग्राहियों का अनियमित चयन

योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसानों का प्राथमिक चयन आर.ए.ई.ओ. द्वारा किया जाएगा और लक्ष्य के डेढ़ गुना किसानों की एक सूची एस.ए.डी.ओ. को भेजी जाएगी, जो सूची का यथोचित आकलन करता है और विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति (ए.एस.सी.) से हितग्राही किसानों की अंतिम सूची का अनुमोदन प्राप्त करता है।

चयनित 20 जिलों में से 18¹³ के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि आर.ए.ई.ओ. ने किसानों की सूची को एस.ए.डी.ओ. को अग्रेषित किए बिना सीधे हितग्राहियों का चयन किया।

आगे, 20 जिलों में से 11¹⁴ में अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने से पहले एस.ए.डी.ओ. द्वारा किसानों की प्राथमिक चयन सूची का अनुमोदन ए.एस.सी. से नहीं लिया गया था। केवल कार्योत्तर अनुमोदन लिया गया था, जो यह इंगित करता है कि जनपद पंचायत वास्तव में हितग्राहियों के नियोजन और चयन में शामिल नहीं था, जैसा कि अनिवार्य है।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2020) कि हितग्राहियों से आवेदन मांगने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में एक प्रावधान है और डी.डी.ए. को निर्देश दिया जाएगा कि वे हितग्राहियों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

2.2.4.2 योजनाओं का कार्यान्वयन

(i) किसानों से वितरित बीज की पावती नहीं लिया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डी.डी.ए. द्वारा बीज की खरीद की जानी है और विकासखण्ड स्तर पर एस.डी.ओ. को आपूर्ति की जानी है। आर.ए.ई.ओ. द्वारा एस.डी.ओ. से बीज प्राप्त करने के बाद, किसानों को वितरित किया जाना है।

¹² बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम 21.94 प्रतिशत और बीज उत्पादन कार्यक्रम में 0.64 प्रतिशत है।

¹³ अलीराजपुर, अनुपपूर, अशोकनगर, बड़वानी, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, सागर, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर और शिवपुरी।

¹⁴ अलीराजपुर, बड़वानी, भिंड, धार, हरदा, जबलपुर, कटनी, खरगोन, नीमच, राजगढ़ और सागर।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि किसानों को बीज वितरण की तिथि आर.ए.ई.ओ. कार्यालय द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। बीजों के वितरण का विवरण यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक है कि बीज केवल पात्र हितग्राहियों को ही वितरित किए गए हैं।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2020) कि योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, हितग्राहियों की सम्पूर्ण जानकारी आर.ए.ई.ओ. द्वारा एक निर्धारित पंजी में रखी जानी थी, और विभाग इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ii) बीजों के वितरण में विलंब

योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला स्तर पर बीज उपलब्ध कराने की निर्धारित तिथियाँ खरीफ और रबी फसलों के लिए क्रमशः 30 मई और 15 सितंबर हैं। इसी तरह, खरीफ और रबी फसलों के लिए बीज वितरण की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 15 जून और 10 अक्टूबर हैं।

चयनित 20 जिलों में से 18¹⁵ में, लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि डी.डी.ए. द्वारा बीजों को निर्धारित तिथियों के बाद वितरित किया गया था, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है। विवरण परिशिष्ट 2.2.3 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2.4: बीजों के वितरण में विलंब

जिले का नाम	वर्ष	विलंब ¹⁶ (सीमा दिनों में)
राजगढ़, नीमच, अशोकनगर, श्योपुर, डिन्डौरी, अनूपपुर, जबलपुर	2016-19	1 से 50 दिन
खरगोन, बड़वानी, हरदा, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सिवनी, सागर, भिण्ड	2016-19	51 से 100 दिन
धार, अलीराजपुर, कटनी	2016-19	100 दिनों से अधिक

आगे, ऐसे उदाहरण थे, जैसा कि परिशिष्ट 2.2.3 में विवरण दिया गया है, जहां हितग्राहियों को बीजों की आपूर्ति तब की गई थी जब खरीफ और रबी की फसल के सीजन लगभग खत्म हो गए थे। अधिकांश प्रकरणों में यह देखा गया कि विभाग द्वारा विलंब से खरीदी के कारण देरी हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि डी.डी.ए. को पहले से निर्धारित समय सीमा के भीतर बीज उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे और, विभाग इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(iii) उच्च दरों पर बीजों का क्रय

प्रत्येक सीजन के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा प्रत्येक किस्म के बीजों की दर तय की जाती है। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 20 चयनित जिलों में से 10¹⁷ में, राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.) और अन्य एजेंसियों जैसे साईनाथ बीज, माँ गायत्री बीज, नेफेड बायो फर्टिलाइजर, श्री तिरुपति बालाजी, नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेक्टीसाईड्स, कावेरी सीड्स आदि से किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बीज खरीदे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप शासन पर ₹ 10.63 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। परिणामतः, किसानों को भी ₹ 2.66 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि कृषक अंश के लिए बीजों की लागत का 25 प्रतिशत है, जैसा कि परिशिष्ट 2.2.4 में

¹⁵ अलीराजपुर, अनुपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, धार, डिन्डौरी, हरदा, जबलपुर, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, श्योपुर और शिवपुरी।

¹⁶ चूंकि आर.ए.ई.ओ. स्तर पर बीज प्राप्ति की दिनांक विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी, अतः विलम्ब गणना के लिए एस.ए.डी.ओ. स्तर पर बीज वितरण की वास्तविक दिनांक को लिया गया है।

¹⁷ अलीराजपुर, बड़वानी, भिंड, धार, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, नीमच और सागर।

विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि 85.61 प्रतिशत बीज (वजन के हिसाब से) एन.एस.सी. से खरीदे गए और 14.39 प्रतिशत अन्य एजेंसियों से खरीदे गए थे। धार और खरगोन जिलों ने 2016–19 के दौरान बीजों की सर्वाधिक मात्रा की खरीदी उच्च दरों पर की थी। धार ने 4,280.23 क्विंटल ₹ 4.71 करोड़ में और खरगोन ने 4,241.97 क्विंटल ₹ 4.87 करोड़ में खरीदा था। इन 10 जिलों में वजन के हिसाब से उच्च दर पर खरीदे गए बीजों का ये क्रमशः 28.95 प्रतिशत और 28.69 प्रतिशत और कुल मिलाकर 57.64 प्रतिशत थे। 2016–19 के दौरान इन दोनों जिलों में एन.एस.सी. से खरीदे गये बीज की उच्च दरें 61 से 368 प्रतिशत के मध्य थीं और अन्य एजेंसियों से खरीदे गए बीज की उच्च दरें एक से 346 प्रतिशत के मध्य थीं।

शासन द्वारा उत्तर दिया गया था (जुलाई 2020) कि दिशानिर्देशों के अनुसार, बीज केवल शासकीय एजेंसियों से निर्धारित दरों पर खरीदे जाने थे, और विभाग इस मुद्दे पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बनाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iv) अपात्र किसानों को बीजों का वितरण

दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों को बीज वितरित किए जाने थे। लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2016–17 से 2018–19 के दौरान, 20 चयनित जिलों में से 12¹⁸ में, 847 अपात्र किसानों अर्थात् दो हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले मध्यम और बड़े किसानों को बीज वितरित किए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.5** में विवरण दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि जनपद पंचायत द्वारा हितग्राहियों के संयुक्त खातों में दर्शाई गई भूमि के मामले में, क्षेत्र स्तर पर इस तरह की घटनाएँ संभव हैं और, जिला कार्यालयों द्वारा भूमि धारण सीमा के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.4.3 गुणवत्ता नियंत्रण

बीज-परीक्षण के परिणामों की प्राप्ति में विलंब

कृषि मंत्रालय, भारत शासन के आदेश दिनांक 30.12.1983 के अनुसार, प्रयोगशाला नमूनों का विश्लेषण करेगी और नमूनों की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर विश्लेषण रिपोर्ट भेजेगी। अतः, विभाग को उचित समय सारणी पर विचार करते हुए परीक्षण एजेंसियों को नमूने भेजने चाहिए ताकि वितरण की नियत तिथि से पहले परीक्षण के परिणाम प्राप्त किए जा सकें। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बीजों के वितरण की नियत तिथियाँ खरीफ और रबी फसलों के लिए क्रमशः 15 जून और 10 अक्टूबर हैं।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान, 20 में से 17¹⁹ जाँच किए गए जिलों में, यह देखा गया कि:

- 5,520 नमूने (खरीफ सीज़न के 2,495 नमूने और रबी सीज़न के 3,025 नमूने) बीज वितरण के लिए नियत तिथियों के बाद भी परीक्षण के लिए भेजे गए थे,
- खरीफ और रबी फसलों के प्रकरणों में एक से छः महीने तक के विलंब के बाद बीजों के परीक्षण के परिणाम प्राप्त किए गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.6** में विवरण दिया गया है। इसलिए, परीक्षण किए बिना बुवाई की गई थी।

¹⁸ अशोकनगर, बड़वानी, धार, डिंडौरी, हरदा, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर।

¹⁹ अलीराजपुर, अनुपपूर, बड़वानी, भिंड, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर।

➤ परीक्षण के लिए भेजे गए बीजों के 7,086 नमूनों में से, 7,012 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें से 544 नमूने अवमानक पाए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.6** में विवरण दिया गया है।

अवमानक बीजों के वितरण को रोकने और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वितरण से पहले बीजों का परीक्षण पूरा करना आवश्यक है। बीज परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना बीजों के वितरण से हितग्राही द्वारा अवमानक बीजों का उपयोग किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप खराब उत्पादकता और किसानों को फसल का नुकसान हो सकता है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि बीजों के भंडारण के समय, नमूने प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्राप्त किए जाते हैं, और यह कि, अवमानक बीजों के मामले में, डी.डी.ए. बीज अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। फिर भी, डी.डी.ए. को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीजों के परीक्षण के परिणाम एक से छः महीने तक के मध्य प्राप्त हुए थे जैसा कि नमूना जाँच में पाया गया।

2.2.4.4 वित्तीय अनियमितताएं

(i) कृषक अंश कोषालय में जमा नहीं किया जाना

वितरित बीजों की लागत का 25 प्रतिशत कृषक अंश, बीजों के वितरण के समय हितग्राहियों से एकत्र किया जाना था और उसको एस.ए.डी.ओ. द्वारा कोषालय में जमा किया जाना था। एस.ए.डी.ओ. को हर महीने की 5 तारीख तक संबंधित एस.डी.ओ. और डी.डी.ए. को जमा कृषक अंश का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। डी.डी.ए. को इन विस्तृत विवरणों को हर महीने की 10 तारीख तक संचालक को भेजना आवश्यक था। आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.) भाग-एक के नियम 455 में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त धनराशि उनके द्वारा प्रतिदिन कोषालय में जमा की जाएगी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 20 चयनित जिलों में से आठ²⁰ में, अवधि 2016-19 के दौरान, वास्तव में प्राप्त कृषक अंश ₹ 12.78 करोड़ में से केवल ₹ 11.34 करोड़ ही एस.ए.डी.ओ. द्वारा कोषालय में जमा किए गए और ₹ 1.46 करोड़ की शेष राशि जमा नहीं की गई (सितंबर 2019) जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.7** में विवरण दिया गया है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी जिससे शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं को पूरा भुगतान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए शासकीय धन के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि डी.डी.ए. को निर्देश दिया जाएगा कि वह हितग्राही के अंश की राशि को शासकीय कोषालय में चालान के माध्यम से जमा करे, और, इस संबंध में एक समिति बनाई जाएगी एवं समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

शासन को त्रुटि करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

(ii) कृषक अंश कोषालय में विलंब से जमा किया जाना

एम.पी.टी.सी. के अनुसार, विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त धनराशि उनके द्वारा प्रतिदिन कोषालय में जमा की जाएगी।

²⁰ अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नीमच और राजगढ़।

चयनित 20 जिलों में से 16²¹ में, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वसूल की गई कृषक अंश की राशि ₹ 19.69 करोड़ कोषालय में एक महीने से 36 महीने तक के विलंब के साथ जमा किया गया था जो कि एम.पी.टी.सी. के प्रतिकूल है, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.8** में विवरण दिया गया है।

यह इंगित किये जाने पर, शासन ने डी.डी.ए. को संबंधित नियमों का पालन करने और शासकीय खातों में कृषक अंश की राशि समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

(iii) किसानों को पावती जारी न किया जाना

एम.पी.टी.सी. भाग-एक, अध्याय-दो, के नियम 58 (1) के अनुसार, एक कार्यालय का प्रमुख जो शासन की ओर से धन प्राप्त करता है, उसके द्वारा भुगतानकर्ता को विधिवत् हस्ताक्षरित रसीद देनी चाहिए। उसे स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए, कि राशि रोकड़ बही में ठीक से दर्ज की गई है।

चयनित 20 जिलों में से 16²² में, कृषक अंश राशि ₹ 19.59 करोड़ की वसूली की जाँच में पाया गया कि किसानों को एम.पी.टी.सी.-6 में कोई पावती नहीं दी गई थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.9** में विवरण दिया गया है। इससे एकत्रित राशि शासकीय खाते से बाहर रही।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों को पावती-पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराता है और प्रत्येक हितग्राही किसान को पावती जारी करना संभव नहीं है। शासन ने आगे बताया कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि एस.ए.डी.ओ. कृषक अंश की राशि प्राप्त होने पर आर.ए. ई.ओ. को रसीद जारी करे और प्राप्त राशि को शासकीय खाते में जमा करे।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.पी.टी.सी. के प्रावधान के अनुसार शासकीय कर्मचारी द्वारा प्राप्त धन के विरुद्ध पावती जारी की जानी चाहिए।

(iv) रोकड़-बही संधारित न की जाना

एम.पी.टी.सी. भाग-एक, अध्याय-दो, नियम 53, यह प्रावधानित करता है कि शासन की ओर से धन प्राप्त करने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक को रोकड़-बही का संधारण करना चाहिए। यह आगे प्रावधान करता है कि सभी मौद्रिक लेनदेन, जैसे ही वे घटित होते हैं, रोकड़-बही में दर्ज किए जाने चाहिए और जाँच के आशय में रोकड़-बही के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

20 चयनित जिलों में से 19²³ में, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कृषक अंश ₹ 22.54 करोड़ एकत्र किया गया और शासकीय खाते में जमा किया गया, किन्तु इसे डी.डी.ए. स्तर पर विभागीय रोकड़-बही में दर्ज नहीं किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.10** में विवरण दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि डी.डी.ए. को निर्देश दिया जाएगा कि वह कोषालय संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए प्राप्त चालान, नगद प्राप्ति रसीद और अन्य अभिलेखों के आधार पर रोकड़-बही में प्रविष्टि करें।

²¹ अलीराजपुर, अनुपपुर, बड़वानी, भिंड, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी और श्योपुर।

²² अलीराजपुर, अनुपपुर, बड़वानी, भिंड, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, कटनी, खरगोन, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर।

²³ अलीराजपुर, अनुपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर।

(v) चालानों का कोषालय अभिलेखों से सत्यापन न किया जाना

एम.पी.टी.सी. भाग-एक, अध्याय-दो, के नियम 53 (v) प्रावधानित करता है कि "जब शासकीय सेवक की अभिरक्षा में शासकीय धन का भुगतान कोषालय में किया जाता है, तो कार्यालय प्रमुख अर्थात् डी.डी.ए., इस तरह के भुगतान करते समय, चालान पर कोषालय अधिकारी की पावती से अथवा उसकी पासबुक से इसे प्रमाणित करने से पूर्व रोकड़-बही की प्रविष्टि से मिलान करना चाहिए, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि राशि वास्तव में कोषालय में जमा की गई है।"

नमूना जाँच एवं कोषालय अभिलेखों और चालानों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि, 20 चयनित जिलों में से 10²⁴ में, डी.डी.ए. द्वारा ₹ 1.39 करोड़ के चालान सत्यापित नहीं किए गए थे, जैसा कि परिशिष्ट 2.2.11 में विवरण दिया गया है। यह इंगित करता है कि विभाग प्राप्तियों का मिलान करने और उनके कोषालय में जमा न होने पर नजर रखने में विफल रहा।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि डी.डी.ए. द्वारा कोषालय संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और, एक समिति बनाई जाएगी और इस संबंध में समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

2.2.4.5 आंतरिक नियंत्रण

(i) निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सत्यापन/निरीक्षण नहीं किया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार, आर.ए.इ.ओ. को निर्धारित पंजी में योजनाओं के सभी घटकों से संबंधित सभी जानकारी को कृषक-वार संधारित करना है। ए.डी.ओ. को अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों की कृषि भूमि का निरीक्षण करना होगा और इन पंजियों में अपनी टिप्पणी दर्ज करनी होगी। एस.ए. डी.ओ./ क्षेत्र अधीक्षक और एस.डी.ओ. योजनाओं के घटकों के क्रमशः 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं। आगे, डी.डी.ए. भी योजनाओं के घटकों के पांच प्रतिशत भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार है।

अवधि 2016-19 के दौरान, लेखापरीक्षा में चयनित 20 जिलों में से किसी में भी सक्षम अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाना नहीं पाया गया।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2020) कि भौतिक सत्यापन, निरीक्षण और निगरानी के बारे में निर्देश योजनाओं के दिशानिर्देशों में वर्णित किये गये हैं, तदनुसार ही डी.डी.ए. को कार्य करने के निर्देश हैं।

(ii) मानवशक्ति की कमी

विभाग को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। तथापि, मार्च 2019 की स्थिति में चयनित जिलों²⁵ में कुल स्वीकृत 4,188 पदों के विरुद्ध, केवल 2,182 कार्मिक ही पदस्थ थे (52.10 प्रतिशत) और 2,006 पद (47.90 प्रतिशत) रिक्त थे, जैसा कि परिशिष्ट 2.2.12 में विवरण दिया गया है। सिवाय इसके, कटनी और नीमच जिलों में, कमी सबसे अधिक 68 प्रतिशत थी।

²⁴ अनुपपूर, बड़वानी, भिंड, धार, जबलपुर, झाबुआ, नीमच, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर।

²⁵ अलीराजपुर, अनुपपूर, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, शाजापुर, और श्योपुर।

एस.ए.डी.ओ., ए.डी.ओ. और आर.ए.ई.ओ. की योजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिकाएँ हैं और ये निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, 19 चयनित जिलों में से 17²⁶ में, इन श्रेणियों में भी काफी कमी थी, जैसा कि परिशिष्ट 2.2.13 में विवरण दिया गया है। निगरानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की कमी का सारांश नीचे तालिका 2.2.5 में दिखाया गया है:

तालिका 2.2.5: विभाग में महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कार्यरत पद में कमी	कमी का प्रतिशत
एस.ए.डी.ओ.	181	95	86	47.51
ए.डी.ओ.	351	112	239	68.09
आर.ए.ई.ओ.	1978	1187	791	39.99

भौतिक सत्यापन की कमी, अभिलेखों का संधारण न किया जाना आदि का कारण फील्ड स्टाफ, जो योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, की भारी कमी है।

उत्तर में, शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि फील्ड स्टाफ की कमी के कारण जिला स्तर पर योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है और, फील्ड स्टाफ की भर्ती के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी।

2.2.5 निष्कर्ष

अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजनाओं को राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़े किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर कृषि उपज को अधिकतम किया जा सके। योजना का प्रारूप प्रारंभ से ही दोषपूर्ण था, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों में योजनाओं के परिणाम की निगरानी के तरीकों का वर्णन नहीं था। संचालक, कृषि द्वारा घटकवार लक्ष्य तय नहीं किए गए थे, अधिकांश बजटीय आवंटन (77.42 प्रतिशत) का उपयोग बीज अदला-बदली कार्यक्रम (किसानों से कोई बीज प्राप्त किए बिना) के क्रियान्वयन में उपयोग कर लिया गया और बजट का केवल 22.58 प्रतिशत अन्य दो घटकों पर उपयोग किया गया था।

हितग्राहियों का चयन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था और अपात्र किसान भी योजनाओं से लाभान्वित हुए।

कुछ उदाहरणों में, निर्धारित तिथियों के बाद भी किसानों को बीज वितरित किए गए, जब खरीफ और रबी फसलों का सीजन लगभग समाप्त हो गया था। आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर बीज की खरीद की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.63 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। बीज के वितरण के लिए नियत तिथियों के बाद 5,520 (2,495 खरीफ के और 3,025 रबी के) के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए थे और एक से छः महीने तक के विलंब से बीजों के परीक्षण के परिणाम प्राप्त हुए।

किसानों से प्राप्त राशियों को कोषालय में तुरंत जमा नहीं किया गया; किसानों से प्राप्तियों की न पावती दी गई और न ही रोकड़-बही में धनराशि को लेखाबद्ध किया गया था; कृषक अंश कोषालय में एक से 36 महीने तक के विलंब से जमा किया गया था। संबंधित अधिकारियों द्वारा योजनाओं के घटकों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण नहीं किया गया था।

²⁶ अलीराजपुर, अनुपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, धार, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, सागर, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर।

जल संसाधन विभाग

2.3 बांधों की सुरक्षा की लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

मध्य प्रदेश शासन का जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) बड़े²⁷ और छोटे²⁸ बांधों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रमुख एजेंसी है। दिसंबर 2019 तक राज्य में 4,523²⁹ (906 बड़े³⁰ और 3,617 छोटे) बांध थे। सम्पूर्ण राज्य में इन बांधों से पानी की आपूर्ति सिंचाई, औद्योगिक के साथ-साथ पीने के उद्देश्यों के लिए की जाती है।

भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में बांधों और संबद्ध संरचनाओं के निरीक्षण/रखरखाव की विद्यमान कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और इस संबंध में मानक दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए अगस्त 1982 में एक स्थायी समिति का गठन किया। इस समिति को बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एन.सी.डी.एस.) के रूप में व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ अधिक केंद्रित शासनादेश के साथ अक्टूबर 1987 में पुनर्गठित किया गया था।

केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के निर्देशों के अनुपालन में, जल संसाधन विभाग ने एक बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एस.डी.एस.ओ.) का गठन (फरवरी 1983) किया। एस.डी.एस.ओ. बांधों के स्वास्थ्य की प्रभावी निगरानी और सुरक्षा समीक्षा और उपचारात्मक उपायों हेतु प्राथमिकताएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

त्रि-स्तरीय बांध निरीक्षण प्रणाली तालिका 2.3.1 में दी गई है

तालिका 2.3.1: जल संसाधन विभाग में बांध निरीक्षण प्रणाली

स. क्र	निरीक्षण का प्रकार	बांध का प्रकार	निरीक्षण प्राधिकारी	निरीक्षण की आवृत्ति	प्रतिवेदन प्रणाली
1.	आवधिक (द्वि-वार्षिक निरीक्षण)	सभी बांध	क्षेत्रीय अधिकारी और अगले उच्च अधिकारी द्वारा समीक्षा	प्री और पोस्ट मानसून	सभी निरीक्षण प्रतिवेदन उद्यम सूचना प्रबंधन प्रणाली (ई.आई.एम.एस.) में अपलोड किए जाने हैं।
2.	एस.डी.एस.ओ.	बड़े बांध	एस.डी.एस.ओ. के अधिकारी	पांच साल में एक बार (हर साल 20 प्रतिशत)	मैनुअल
3.	बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल (डी.एस.आई.पी.) द्वारा व्यापक सुरक्षा समीक्षा	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले बांध या जो 60 मिलियन घन मीटर या अधिक जल संग्रहित करते हैं।	सेवानिवृत्त सचिव/प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल।	10 साल में एक बार	मैनुअल

2.3.1.1 निरीक्षण किए गए बांधों का वर्गीकरण

आपातकाल की स्थिति के आधार पर परिकल्पित सुधारात्मक उपायों पर ध्यान देने और क्रियान्वित करने के लिए, बांधों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- श्रेणी I: प्रमुख कमियों वाले बांध, जो पूर्ण विफलता/मात्र (आंशिक) विफलता में परिणित हो सकती है और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

²⁷ बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 10 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले या एक मिलियन घन मीटर जल भंडारण की क्षमता वाले बांधों को बड़े बांधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

²⁸ बांध जिनकी ऊँचाई 10 मीटर से कम हो छोटे बांधों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

²⁹ जल संसाधन विभाग की वेबसाइट से निकाली गई जानकारी (दिसंबर 2019)।

³⁰ बड़े बांधों का राज्य रजिस्टर, के अनुसार, 2007 तक अद्यतन।

- श्रेणी II: लघु से मध्यम कमियों वाले बांध, जिन्हे सुधारा जा सकता है, लेकिन तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- श्रेणी III: बांध सुरक्षित हैं और सामान्य संचालन में कोई कमी नहीं है, जिसमें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार के अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य की आवश्यकता हो सकती है शामिल हैं। तथा
- श्रेणी IV: संचालन के लिए सभी विचारों और शर्तों के तहत सुरक्षित बांध।

2.3.1.2 राज्य बांध सुरक्षा समिति

राज्य बांध सुरक्षा समिति (एस.डी.एस.सी.) का गठन जल संसाधन विभाग द्वारा फरवरी 1983 में किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी), डब्ल्यू.आर.डी. थे। एस.डी.एस.सी., कार्यों की समीक्षा, प्रगति प्रतिवेदनों और, बाँधों में सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए एस.डी.एस.ओ. द्वारा दी गयी अनुशंसाओं, जहाँ कहीं भी ऐसे बाँधों में आवश्यकता है, और समिति की स्वयं की गतिविधियाँ एवं अनुशंसाएं राज्य शासन को सूचित करने के लिए उत्तरदायी है।


2.3.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

बाँधों की लेखापरीक्षा जुलाई 2019 और नवंबर 2019 के बीच यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण और उपचारात्मक उपायों द्वारा बांध सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों के विरुद्ध लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्धारित किया गया था:

- बांध सुरक्षा के लिए केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के दिशानिर्देश, राज्य बांध सुरक्षा मैनुअल, डी.एस.ओ. निरीक्षण प्रतिवेदन; तथा
- मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली (एम.पी.डब्ल्यू.डी.एम.), वित्त पोषण और रखरखाव के लिए योजना के दिशानिर्देश, डब्ल्यू.आर.डी. विशिष्टियाँ (स्पेसिफिकेशन्स) आदि।

लेखापरीक्षा पद्धति में 2016-17 से 2018-19 की अवधि को सम्मिलित करते हुए, 96 में से 16 जल संसाधन संभागों में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव से संबंधित रिकॉर्ड की नमूना-जाँच, आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर चयन कर की गई। इन संभागों में 453 बड़े (कुल 906 का 49.95 प्रतिशत) और 378 छोटे (कुल 3,617 का 10.45 प्रतिशत) बाँध हैं। प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता (सी.ई.) के कार्यालय में प्रासंगिक अभिलेख, हाइडल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए डिजाइन ब्यूरो (बोधी), भोपाल (श्रेणी I और II बांध) के आधार पर एस.डी.एस.ओ./बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल (डी.एस.आई.पी.) निरीक्षण, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ड्रिप) और विशेष सुधार कार्य के अंतर्गत क्रियान्वित कार्य की भी जाँच की गई। नीचे दिए गए मानचित्र में लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र को दर्शाया गया है:



शासन का उत्तर सितंबर 2020 में प्राप्त हुआ और प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया।

2.3.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गयी है:

2.3.3.1 निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए गए

लेखापरीक्षा में 2016-19 में तीन वर्ष की अवधि में क्षेत्र संरचना/एस.डी.एस.ओ. और डी.एस.आई.पी. द्वारा बांधों के निरीक्षण और समीक्षाओं में मानदंडों का पालन न करने के निम्नलिखित विषयों को देखा गया:

(अ) प्री और पोस्ट-मानसून निरीक्षण और समीक्षाओं में कमी

जल संसाधन विभाग के तकनीकी परिपत्र संख्या 3 और 3 ए (अगस्त 2015) के अनुसार, सभी बड़े और छोटे बांधों के प्री और पोस्ट-मानसून निरीक्षण क्रमशः अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर के मध्य फील्ड अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए और अगले उच्च अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। एक समेकित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (सी.ई.) द्वारा संचालक, राज्य बांध सुरक्षा, बोधी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। आगे, मुख्य अभियंता को प्रत्येक वर्ष क्रमशः जून और दिसंबर तक प्री और पोस्ट-मानसून प्रतिवेदन की प्रस्तुति भी सुनिश्चित करनी है।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में बांधों के प्री और पोस्ट-मानसून निरीक्षण और समीक्षा के विवरण नीचे तालिका 2.3.2 में दिए गए हैं:

तालिका 2.3.2: म.प्र. में बांधों के प्री और पोस्ट-मानसून निरीक्षण और समीक्षा

वर्ष	बांधों की संख्या	प्री-मानसून				पोस्ट-मानसून			
		निरीक्षित	कमी (प्रतिशत)	समीक्षित	निरीक्षणों के संबंध में समीक्षा की कमी (प्रतिशत)	निरीक्षित	कमी (प्रतिशत)	समीक्षित	निरीक्षणों के संबंध में समीक्षा की कमी (प्रतिशत)
2016-17	4523	381	91.57	207	45.67	223	95.07	120	46.19
2017-18	4523	1382	69.44	1286	7.00	824	81.78	602	26.94
2018-19	4523	1003	77.82	721	28.12	638	85.89	440	31.03
औसत कमी			79.61		26.93		87.58		34.72

(स्रोत: दिसंबर 2019 की स्थिति में जल संसाधन विभाग की वेबसाइट से लिया गया डेटा)

मध्य प्रदेश में 2016–19 की अवधि के लिए सभी बांधों की प्री-मानसून निरीक्षणों और समीक्षाओं में कमी क्रमशः 79.61 प्रतिशत और 26.93 प्रतिशत थी। पोस्ट-मानसून की अवधि में निरीक्षणों और समीक्षाओं में कमी क्रमशः 87.58 प्रतिशत और 34.72 प्रतिशत थी। 16 संभागों की नमूना जाँच में, 2016–19 की अवधि के लिए प्री-मानसून निरीक्षण और समीक्षा में कमी क्रमशः 77.57 प्रतिशत और 66.18 प्रतिशत थी। पोस्ट-मानसून की अवधि के लिए यह कमी क्रमशः 81.62 प्रतिशत और 77.28 प्रतिशत थी।

आगे, किए गए निरीक्षण/समीक्षा भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं थे, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से देखा जा सकता है।

- i) वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान 1006 में से 291 निरीक्षण (28.92 प्रतिशत) और 287 में से 70 समीक्षाएँ (24.39 प्रतिशत) निर्धारित अवधि के बाद किए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.1** में विवरण दिया गया है;
- ii) 40 बड़े बांधों का निरीक्षण निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था;
- iii) 150 बड़े बांधों (10 जल संसाधन संभागों) और 351 छोटे बांधों (13 जल संसाधन संभागों) में, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निरीक्षण या समीक्षा नहीं की गई।

गांधी सागर बांध संभाग के अंतर्गत लेदी टैंक (छोटा बांध), मन्दसौर जून 2018 में टूट गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पिछले तीन वर्षों (2016–2018) की अवधि में इस बांध में प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून निरीक्षण नहीं किए गए थे।

- iv) अधिकांश निरीक्षण प्रतिवेदनों में, महत्वपूर्ण डेटा जैसे सकल टैंक क्षमता, पूर्ण होने का वर्ष, खेती योग्य कमांड क्षेत्र, पहली बार भरने का वर्ष, आदि रिक्त/बिना भरा हुआ या गलत थे।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि एस.डी.एस.ओ. ने बड़े बांधों की 500 प्री और 381 पोस्ट-मानसून निरीक्षण प्रतिवेदन संकलित किए और उन्हें सी.डब्ल्यू.सी. को भेज दिए।

उत्तर हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए निरीक्षणों और समीक्षाओं में कमी के संबंध में मूक था।

(ब) राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा निरीक्षण में कमी

मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार, बड़े बांधों का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस.डी.एस.ओ. द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि सभी बांधों को पाँच वर्ष के चक्र में शामिल किया जा सके। तथापि, एस.डी.एस.ओ. ने 724 बांधों के विरुद्ध केवल 591 बांधों का निरीक्षण किया था जैसा कि नीचे दी गयी **तालिका 2.3.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.3.3: एस.डी.एस.ओ. द्वारा निरीक्षण का विवरण

वर्ष	दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण किए जाने वाले बांधों की संख्या	एस.डी.एस.ओ. की योजना के अनुसार निरीक्षण किए जाने वाले बांध	निरीक्षण किए गए बांधों की संख्या	नियोजित निरीक्षण के विरुद्ध निरीक्षण में कमी
2015–16	181	110	81	29
2016–17	181	207	122	85
2017–18	181	266	247	19
2018–19	181	184	141	43
कुल	724	767	591	176

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के आधार पर)

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि एस.डी.एस.ओ. में कर्मचारियों की कमी के कारण और चुनाव ड्यूटी, कार्य भार/कोविड-19 जैसे अन्य कारणों से, अधिकारी बांध स्थलों का दौरा नहीं कर सके और, एस.डी.एस.ओ. अगले वर्ष बांधों का निरीक्षण करेंगा।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निरीक्षण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह सीधे बांधों की सुरक्षा से संबंधित है। आगे, 2016-19 की अवधि के दौरान बांध निरीक्षणों को कोविड-19 प्रभावित नहीं कर सकता था।

(स) डी.एस.आई.पी. द्वारा निरीक्षण निर्धारण अनुसार नहीं किए गए

एन.सी.डी.एस.³¹ (अक्टूबर 1991) की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एस.डी.एस.ओ. को 10 वर्षों में एक बार विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा उन बांधों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा की व्यवस्था करनी होगी, जो ऊंचाई में 15 मीटर से अधिक हों, या जो 60 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सी.एम.) या अधिक जल का भंडारण करते हैं।

यद्यपि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने (नवंबर 2016) बांधों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा करने के लिए डी.एस.आई.पी. का पुनर्गठन किया, डी.एस.आई.पी. द्वारा समीक्षा के लिए बांधों का चयन करते समय एन.सी.डी.एस. द्वारा निर्धारित 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई की कसौटी पर विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, 475 बड़े बांध, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक थी, को व्यापक सुरक्षा समीक्षा के लिए नहीं चुना गया था, जिससे न केवल इन बांधों की सुरक्षा, बल्कि बांधों के निकट और अनुप्रवाह में रहने वाले लोगों के जीवन और संपत्ति को भी खतरे में डाल दिया।

एस.डी.एस.सी. ने, मई 2017 की अपनी बैठक में, मई 2017 तक इस विशेषज्ञ पैनल द्वारा व्यापक समीक्षा के लिए 16 बांधों की पहचान की। डी.एस.आई.पी. ने जुलाई 2019 तक 20 बांधों (15 नियत और पांच नए बांधों) का निरीक्षण किया। निरीक्षण किए गए 20 बांधों में से आठ का निरीक्षण, 141 महीने तक के विलंब से किया गया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.3.4 में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.3.4: डी.एस.आई.पी. द्वारा निरीक्षण में विलंब का विवरण

स. क्र	बांध का नाम	निरीक्षण का विवरण			
		निरीक्षण की पिछली तिथि / निर्माण वर्ष	अगले निरीक्षण के लिए नियत तिथि (10 साल बाद)	निरीक्षण की वास्तविक तिथि	विलंब (महीनों में)
1.	बाणसागर	26 / 05 / 2007	मई 2017	04 / 04 / 2018	12
2.	महान	27 / 05 / 2007	मई 2017	05 / 04 / 2018	12
3.	चंदोरा	13 / 04 / 2008	अप्रैल 2018	26 / 02 / 2019	10
4.	इंदिरा सागर	2005	2015	04 / 12 / 2018	36
5.	राजघाट, सागर	2003	2013	22 / 03 / 2018	50
6.	मरही	10 / 06 / 1999	जून 2009	09 / 12 / 2017	102
7.	गोपीकृष्ण सागर	13 / 08 / 1999	अगस्त 2009	01 / 02 / 2018	102
8.	बिरसिंहपुर	21 / 10 / 1997	अक्टूबर 2007	19 / 07 / 2019	141

(स्रोत: जल संसाधन विभाग की एस.डी.एस.सी. बैठक का कार्यवृत्त)

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि डी.एस.आई.पी. ने अब तक 20 बांधों का निरीक्षण किया है और पुनर्गठित डी.एस.आई.पी. प्रस्तावित बांधों का निरीक्षण कोविड-19 महामारी के बाद करेगा।


निर्धारित आवधिकता के अनुसार निर्धारित निरीक्षण नहीं करने के कारणों के बारे में शासन का उत्तर मूक है।

³¹ नवीनतम 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट' तकनीकों पर आधारित एक समान सरलीकृत प्रक्रिया को विकसित करने के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 1982 में बांधों के निरीक्षण/रखरखाव की मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया।

2.3.3.2 बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पर्याप्त कर्मचारी नियोजित नहीं किये गये

लेखापरीक्षा ने न केवल एस.डी.एस.ओ. मुख्यालय बल्कि क्षेत्र संरचनाओं में भी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण कमी देखी। एस.डी.एस.ओ. मुख्यालय में, 10 उप संचालक और 27 सहायक संचालक की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध केवल तीन उप संचालक और तीन सहायक संचालक पदस्थ थे।

उप-यंत्री और चौकीदार, बांधों की नियमित निगरानी में सम्मिलित बुनियादी स्तर के प्रमुख पदाधिकारी हैं। 16 संभागों की नमूना जाँच में 2016-19 के दौरान, स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध, उप-यंत्रियों के संबंध में 21.75 से 29.05 प्रतिशत और चौकीदारों के संबंध में 8.15 से 20.63 प्रतिशत के मध्य की कमी रही, जैसा कि चार्ट 2.3.1 में दर्शाया गया है:



शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।

2.3.3.3 डेटा बुक्स तैयार करना, छोटे बांधों का डेटाबेस और छोटे बांधों का स्थिति प्रतिवेदन

(i) डेटा बुक्स, पूर्णता प्रतिवेदन और बड़े बांधों की ड्राइंग तैयार नहीं करना

एन.सी.डी.एस. की तीसरी (दिसंबर 1988) और चौथी बैठकों (मई 1989) के कार्यवृत्त के साथ-साथ बाद की बैठकों के अनुसार, एस.डी.एस.ओ. को सी.डब्ल्यू.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक प्रारूप पर, बड़े बांधों की डेटा बुक के साथ डिजाइन और ड्राइंग का पूरा सेट तैयार करना है। तथापि, 906 बड़े बांधों में से, एस.डी.एस.ओ. मात्र 91 बांधों (2017-18 तक) की डेटा बुक और 10 बड़े बांधों के पूर्णता प्रतिवेदन बिना ड्राइंग तैयार किए (2016 तक) तैयार कर सका।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि बड़े बांधों की नई सूची के अनुसार, सभी बड़े बांधों की डेटा बुक प्राथमिकता के आधार पर एस.डी.एस.ओ. द्वारा संकलित की जाएगी।

(ii) छोटे बांधों का डेटाबेस को तैयार नहीं करना

एस.डी.एस.ओ. को बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के मौजूदा प्रोफार्मा या अपने स्वयं के प्रोफार्मा में बड़े बांधों की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किए गए बांधों के डेटा को संकलित और सूचीबद्ध करना है। तथापि, एस.डी.एस.ओ. द्वारा छोटे बांधों का ऐसा कोई डेटा नहीं रखा गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि एस.डी.एस.ओ. ने सभी मुख्य अभियंताओं से निर्धारित प्रारूप में छोटे बांधों की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है और फरवरी 2017 में कुछ छोटे बांधों की सूची पहले ही सी.डब्ल्यू.सी. को भेज दी गई है।

(iii) छोटे बांधों के स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना

तकनीकी परिपत्र संख्या 3ए (अगस्त 2015) के अनुसार, अधीक्षण अभियंता (एस.ई.) को समय-समय पर छोटे बांधों के स्थिति प्रतिवेदन तैयार करने होते हैं और इसे संबंधित सचिव, जल संसाधन विभाग, एस.डी.एस.ओ. और संबंधित मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करना है। तथापि, 14 संभागों की नमूना जाँच में 378 छोटे बांधों के स्थिति प्रतिवेदन एवं एस.डी.एस.ओ. के निरीक्षणों की अनुशंसाओं पर संभागों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अधीक्षण अभियंता के माध्यम से उपर्युक्त अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की गयी थी, जैसा कि परिशिष्ट 2.3.2 में विवरण दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि सी.डब्ल्यू.सी. और शासन को स्थिति प्रतिवेदन सौंपे गए थे।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया है।

2.3.3.4 उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए

एस.डी.एस.ओ., डी.एस.आई.पी. और क्षेत्र संरचना द्वारा बताई गई कमियों का निराकरण संबंधित बांधों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा, उचित उपचारात्मक उपायों को आरंभ करके किया जाना है। इस संबंध में कमियों का विवरण नीचे है:

(i) प्राक्कलनों का तैयार न करना और बांधों का पुनरुद्धार न करना

नमूना जाँच किए गए 16 संभागों (2015-18) से संबंधित क्षेत्र संरचना ने निरीक्षण द्वारा 75 बांधों में कमियों की पहचान की। इनमें से, मात्र 59 बांधों की कमियों के सुधार के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा प्राक्कलन तैयार किए गए थे; इन 59 में से 53 का पुनरुद्धार किया गया। शेष छः बांधों में प्रतिवेदित की गई कमियां जैसे, पिचिंग का क्षतिग्रस्त होना, बाँध में मिट्टी कार्य, बाँध के अबटमेंट में कंक्रीट क्षतिग्रस्त होना, बाँध की मुख्य दीवार का क्षतिग्रस्त होना, क्षतिग्रस्त फलश बार और अनुप्रवाह में क्षतिग्रस्त ऊर्जा अपघटन व्यवस्था, आदि (जनवरी 2020) का पुनरुद्धार नहीं किया गया है, जैसा कि परिशिष्ट 2.3.3 में विवरण दिया गया है। आगे, पुनर्वासित बांधों में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

(अ) बाणसागर बांध की ऊर्जा अपघटन व्यवस्था का उपचार पूरा न होना

मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, रीवा की अनुशंसा (जून 2016) पर, बाणसागर बांध के डाउनस्ट्रीम रिवर्स स्लोप प्रोफाइल में (चार बकेट सेगमेंट में स्केरिंग और कैविटीज़) ऊर्जा अपघटन व्यवस्था (ई.डी.ए.)³² उपचार का कार्य ₹ 7.04 करोड़ की लागत से एक ठेकेदार को प्रदान किया गया (जून 2017)। बकेट सेगमेंट क्रमांक 1 और 2 के उपचार के बाद ₹ 6.18 करोड़ की लागत पर कार्य को अंतिम रूप दिया गया (मार्च 2019)। बकेट सेगमेंट क्रमांक 3 और 4 को बिना उपचार के छोड़ दिया गया था। कार्य की अपूर्णता का मुख्य कारण अवास्तविक प्राक्कलन और अनुचित मूल्यांकन के कारण मात्राओं³³ और मर्दों में परिवर्तन था। इस प्रकार, अपूर्ण मरम्मत कार्य के कारण बांध की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है।

³² बाढ़ के समय गेट खोलने के दौरान पानी के प्रवाह की उच्च ऊर्जा को कम करने के लिए बांध स्पिलवे (बांध का गेट वाला हिस्सा) के अनुप्रवाह पर विभिन्न व्यवस्थाएं।

³³ आरंभ में प्राक्कलन में 40 सेमी एम 15 बेस काँक्रीट लघु काँक्रीट के साथ सम्मिलित था, जिसे एम 30, एम 15 रिइनफोर्सड स्टील काँक्रीट के रूप में संशोधित किया गया था।



चित्र 6.1: बाणसागर बांध का उपचारित बकेट सेगमेंट 1 और 2 और जल भरे हुए बकेट सेगमेंट 3 का दृश्य

(स्रोत- विभाग द्वारा)

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि ऊर्जा अपघटन व्यवस्था में अपूर्ण कार्य के कारण बांध की सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया है। मुख्य बांध सुरक्षित है और वर्षा के मौसम में भी बहुत लंबे समय तक द्वार खुले रखे गये थे, लेकिन कोई क्षति नहीं बताई गई है; शेष कार्य वर्षा के बाद कर लिया जाएगा। आगे बताया गया कि इस कार्य से बांध की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खंड 3 और 4 में उपचार कार्य नहीं किया गया है जो बांध के बहाव क्षेत्र में गंभीर कटाव को रोकने के लिए आवश्यक है जिससे बांध की सुरक्षा प्रभावित होती है।

(ब) तीन³⁴ बांधों के पुनरुद्धार कार्यों को पलश बार का निर्माण न होना, चिनाई के आस-पास नींव भरना, पत्थर की पिचिंग, पुरानी क्षतिग्रस्त सीसी पर शॉटक्रिट, बांध में मिट्टी कार्य, वेस्ट वियर का निर्माण, पिचिंग, और स्लुइस का पुनर्निर्माण, आदि के संपूर्ण कार्यों को पूर्ण किए बिना अंतिम रूप दिया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.3.4 में विवरण दिया गया है। इन कार्यों का अपूर्ण अंतिमकरण संविदात्मक प्रावधानों का उल्लंघन था और बाढ़ के दौरान बांधों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि सभी तीन बांधों का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो चुका था।

शासन का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि वर्षा के दो मौसमों के बाद भी (मई 2018 से), ठेकेदारों द्वारा ऐसा कोई कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया था।

(स) कार्यपालन यंत्री, सागर द्वारा एक ठेकेदार को चार बांधों/वियरों³⁵ के पुनरुद्धार का कार्य सौंपा गया था (मई 2016)। चार में से, घोघरा और महुना वियरों का पुनरुद्धार कार्य ₹ 13.17 लाख की लागत से पहली एजेंसी द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने के कारण दूसरी एजेंसी के माध्यम

³⁴ गंगासागर बांध (सागर), सनोढ़ा (सागर) और लखनादौन (सिवनी) बांधों का कार्य

³⁵ दत्तपुरा, घोघरा, विजयपुरा-चरखारी और महुना

से पूर्ण किया गया (अगस्त 2017)। तथापि, शेष (दत्तपुरा और विजयपुरा-चरखारी) वियरों में कमियों को ठीक करने की कार्रवाई जुलाई 2019 तक नहीं की गई। अवलोकन पर शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(द) अनुशांसा के बाद एक से तीन साल तक के विलंब के साथ 10 बांधों के पुनरुद्धार कार्यों को पूरा किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.3.3 में विवरण दिया गया है।

(ii) एस.डी.एस.ओ. की टिप्पणियों के अनुपालन में प्राक्कलनों का तैयार न करना और बांधों का पुनरुद्धार न करना

एस.डी.एस.ओ. ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में 510 बांधों का निरीक्षण किया और 73 बांधों (72 बांध श्रेणी-II के तहत और एक बांध श्रेणी-I के तहत) की सूचना दी जिन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी। चयनित 16 संभागों में, श्रेणी-II के तहत 28 बांधों में बड़ी कमियां थीं, जैसे कि केंद्रीय मेसनरी/बांध के मुख्य भाग से भारी रिसाव, सीपेज नालियों का चोक होना, अनुप्रवाह की ओर टो-ड्रेन के पास पानी का जमाव, खरपतवार की वृद्धि, पिचिंग का क्षतिग्रस्त होना, उपरी सतह की चौड़ाई में क्षरण, स्लूस से रिसाव और स्लूस का क्षतिग्रस्त होना, आदि, इन कमियों के सुधार के लिए प्राक्कलन तुरंत तैयार किए जाने चाहिए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा इन 28 बांधों में से मात्र आठ बांधों³⁶ के प्राक्कलन तैयार किए गए थे (फरवरी 2018-मई 2019) और इनमें से, मात्र एक प्राक्कलन (चंदोरा) को ड्रिप-II के अंतर्गत (अप्रैल 2018) स्वीकृत किया गया था। शेष सात के प्राक्कलनों को उनके प्रस्तुत करने के आठ से 24 महीने बाद भी संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.3.5 में विवरण दिया गया है। शेष 20 बांधों में कमियों को उनके द्वारा इंगित किए जाने के 11 से 69 माह के बाद भी सुधारा नहीं गया है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि एस.डी.एस.ओ. के अवलोकनों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और ड्रिप-II के तहत सम्मिलित करने का विचार-विमर्श जारी है।

शासन को शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राक्कलनों को बनाने में विलंब से बांधों की कमियों को सुधारने की प्रक्रिया में देरी हुई, जिससे इन बांधों की सुरक्षा प्रभावित होगी।

(iii) बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल की टिप्पणियों का अनुपालन नहीं करना

डी.एस.आई.पी. ने छः बांधों³⁷ का निरीक्षण किया और बड़ी कमियां पाईं, जैसे कि अपर्याप्त स्पिलवे क्षमता, जल निकासी छिद्रों का भरना, स्लूइस द्वारों और बांध से रिसाव, पिचिंग की गड़बड़ी, लिफ्टों का काम न करना, आदि। इनमें से, गांधी सागर बांध को लेखापरीक्षा द्वारा मॉडल केस स्टडी के रूप में चुना गया था जैसा कि नीचे वर्णित है:

गांधी सागर बांध पर केस स्टडी

गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में राजस्थान के कई जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने और 115 मेगावाट बिजली उत्पादन, मध्य प्रदेश की छः लाख हेक्टेयर भूमि और राजस्थान में 1.57 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था।

बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल द्वारा उठाये गये मुद्दे

डी.एस.आई.पी. ने गांधी सागर बांध का निरीक्षण (मई 2008) किया और नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार प्रतिवेदित किया:

³⁶ गुरडिया सूरदास (देवास); पगारा (मुरैना); हिनौती और बहोरीबंद (कटनी); चंदोरा (मुलताई); और रानीपुर, पंढार और गौडीधाना (बैतूल)

³⁷ बाणसागर, गांधी सागर, हरसी, महान, तवा और तिगरा बांध।

(अ) बांध के स्पिलवे³⁸ को 4.86 लाख घन फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) की प्रवाह क्षमता प्रवाहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। पूर्व में बाढ़ के प्रवाह ने 13 अवसरों पर स्पिलवे के डिज़ाइन बाढ़ क्षमता को पार किया था और डी.एस.आई.पी. के प्रतिवेदन के अनुसार बांध संकट में था। वर्ष 2006 में संभावित अधिकतम बाढ़ (पी.एम.एफ.) 16,69,650 क्यूसेक मापी गयी थी। बांध के हाइड्रोलॉजी³⁹ की समीक्षा करने और एक सुरंग के निर्माण से जलाशय के बायीं ओर की 0.5 किमी ऊपर की धारा से पानी को मोड़ कर बांध के नीचे की ओर 0.5 किमी की दूरी पर प्रकट होने की वैकल्पिक योजना तैयार करने की अनुशंसा की गई (मई 2008)।

(ब) भारी बाढ़ के दौरान बांध से पानी के प्रवाह के कारण हुए गहरे गड्डों का उपचार पहले 1995 में किया गया था। 2006 में बांध ने 16.69 लाख क्यूसेक की भारी बाढ़ का सामना किया था। यह सलाह दी गई (मई 2008) कि डाउनस्ट्रीम उपचार पर इस बाढ़ के प्रभाव को तुरंत जाँच लें, जबकि टीम स्वयं बांध के टेल में पानी भराव के उच्च स्तर के कारण प्रवाह से पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण करने में असमर्थ रही थी।

(स) बाढ़ का पूर्वानुमान 13 रिपोर्टिंग स्टेशनों से मात्र वर्षा के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता था। कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण डिस्चार्ज साइटों का डेटा ठीक से नहीं रखा गया था। आगे, वर्षा-अपवाह संबंधों के बीच कोई ठोस संबंध विकसित नहीं था। तथापि, बांध स्थल पर कंप्यूटर स्थापित कर उसे इंटरनेट के द्वारा विभाग के डेटा सेंटर से जोड़कर बाढ़ का पूर्वानुमान एवं तत्काल चक्रवात के पूर्वानुमान हेतु एक साफ्टवेयर विकसित करने की अनुशंसा (मई 2008) की गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

निर्देशों के तथ्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
हाइड्रोलॉजी की समीक्षा और अधिशेष पानी को मोड़ने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करना (मई 2008)।	डी.एस.आर.पी. द्वारा बांध के सुरक्षा निरीक्षण के पश्चात् कार्यपालन यंत्री द्वारा सुरंग के माध्यम से पानी के डायवर्जन का प्रस्ताव ड्रिप में सम्मिलित करने के लिए मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती बेसिन, इंदौर को प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 2013)। डी.एस.आर.पी. और संचालक, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, द्वारा प्रस्तावित स्पिलवे सुरंग के साथ और उसके बिना बांध के डाउनस्ट्रीम में सुरंग के माध्यम से पानी के गुजरने के प्रभाव विश्लेषण के साथ बाढ़ के मार्ग का अध्ययन करने का परामर्श दिया गया था। संचालक, ड्रिप ने आगे घटे स्तर (आरएल) 1316 फीट से अधिक क्षमता की बाढ़ और बहिर्वाह के आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा (अप्रैल 2014)। इसकी अनुपलब्धता के कारण डेटा प्रदान करने में संभाग विफल रहा (अप्रैल 2014)। इस बीच, उच्चाधिकार समिति ने 14 वीं बैठक में (जुलाई 2014), ड्रिप के तहत पुनरुद्धार करने के लिए, गांधी सागर बांध को छोड़कर 29 बांधों की एक सूची को अंतिम रूप दिया। शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि गांधी सागर के बहाव क्षेत्र में दो और बांधों के साथ बाढ़ नियमन के लिए एक बांध का निर्माण किया गया था। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अध्ययन संचालित किया गया था और पिछले साल बाढ़ के साथ इसे और उन्नत किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अंतरराज्यीय नदी के रूप में फंड सॉल्यूशंस को अंतिम रूप दिया

³⁸ स्पिलवे एक संरचना है जो बांध से डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में अतिरिक्त पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पानी का अतिप्रवाह न हो, और बांध को नुकसान या नष्ट नहीं करे।

³⁹ पानी के प्रवाह, वितरण और प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन।

	<p>जा रहा है। तथापि, संकटकाल में काबू पाने के लिए बाढ़ विनियमन के लिए मुख्य अभियंता, बोधी के अधीन तीन मुख्य अभियंताओं की एक समिति का गठन किया गया था। जब तक सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा बाईपास सुरंग या किसी अन्य उपाय पर निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक बाढ़ को समिति के निर्णय के अनुसार विनियमित किया जाएगा। यह एक प्रमुख कार्य है, यह निर्णय मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा लिया जाना था, जिसमें समय लगेगा और उस समय तक समिति की ओर से परामर्श के साथ बांध का संचालन पूर्व की भांति किया जाएगा।</p> <p>शासन का उत्तर हालांकि यह नहीं बताता है कि विभाग 11 साल के विलंब के पश्चात भी निर्देशों का पालन करने में विफल क्यों रहा।</p>
<p>डाउनस्ट्रीम पर बाढ़ के प्रभावों का निरीक्षण और गहरे गड्डों का उपचार।</p>	<p>लगभग 12 वर्षों (जनवरी 2020) की अवधि के बाद भी बांध के निचले तल पर परिमार्जन का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।</p> <p>शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी और यथाशीघ्र निरीक्षण किया जाएगा।</p> <p>शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीएसआईपी की स्पष्ट अनुशंसाओं के बाद भी भारी बाढ़ के कारण बांध के बहाव क्षेत्र के निचले तल पर परिमार्जन का आकलन नहीं किया गया था। डाउनस्ट्रीम में बांध के नीचे की ओर ढलान में गहरे गड्डों को अगर बिना उपचार के छोड़ दिया गया, तो वो बांध के आधार को कमजोर कर सकता है, जो आगे बांध के विफलता/टूटने का कारण बन सकता है।</p>
<p>उचित बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की आवश्यकता थी</p>	<p>लेखापरीक्षा ने देखा कि बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है (जनवरी 2020)।</p> <p>शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गांधी सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में पाँच स्वचालित वर्षा गेज की प्रणाली और गांधी सागर बांध स्थल पर पूर्ण विकसित स्काडा⁴⁰ प्रणाली राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना-III के अंतर्गत स्थापित की जा रही है और इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। यह सी.डब्ल्यू.सी. से उपलब्ध इनपुट के साथ गांधी सागर बांध में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा।</p> <p>शासन के उत्तर से ही पता चलता है कि बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित बाढ़ प्रणाली की गंभीर रूप से आवश्यकता है।</p>

यह भी देखा गया कि सितंबर, 2019 में वर्षा के दौरान, गांधी सागर बांध फिर से गंभीर स्थिति में था। बाढ़ का पानी पूर्ण जलाशय स्तर से 2.06 मीटर ऊपर बह रहा था। दोनों निरीक्षण गैलरी और पावर हाउस पूरी तरह से डूब गए/पानी से भर गए थे, जैसा कि चित्र 6.2 में दिखाया गया है:

⁴⁰ पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण।



चित्र 6.2: गांधी सागर बाँध के ओवरटॉप का दृश्य, दिनांक 14 सितम्बर 2019

(स्रोत: 15 सितंबर 2019 को राजस्थान पत्रिका की वेबसाइट)

इस प्रकार, डी.एस.आई.पी. के साथ-साथ सी.डब्ल्यू.सी. की अनुशंसाओं का पालन न करने के कारण, अभी भी वर्षाकाल में गांधी सागर बांध अत्यधिक खतरे में है। इस तथ्य को देखते हुए कि लाखों लोग बांध के बहाव क्षेत्र में रहते हैं, बांध के टूटने/ओवरटॉपिंग के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

(द) अन्य महत्वपूर्ण बांध

पांच अन्य बांधों में, डी.एस.आई.पी. निरीक्षण में बड़ी कमियां पाई गई, जैसे बांध दीवार से भारी रिसाव, पोरस ड्रेन और उत्थान दबाव रिलीज छिद्रों का बंद होना, जल निकासी छिद्र का चोक होना, गेट्स ऑपरेशन के लिए डीजल जनरेटर की अनुपयुक्त/वैकल्पिक व्यवस्था न होना, अनुपयुक्त बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, गेट्स के दूरस्थ संचालन और लिफ्ट का काम न करना और बांध प्रोफाइल और पत्थर की पिचिंग का बिगड़ना आदि। धन की कमी (तिगरा और महान बांध) और विभाग द्वारा निष्क्रियता (हरसी, तवा और बाणसागर बांध) के कारण इन्हें ठीक नहीं किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 2.3.6 में विवरण दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया कि सभी बांधों का शेष कार्य ड्रिप-II में लिया गया है और समय पर पूरा किया जाएगा।

2.3.3.5 बड़े बांधों का इंस्ट्रुमेंटेशन न होना

एन.सी.डी.एस. की छठवीं बैठक के कार्यवृत्त (जुलाई 1990) और बड़े बांधों के यंत्रीकरण के लिए सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार (जनवरी 2018), एक बांध द्वारा बनाया गया जल भंडारण जलाशय के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के निवासियों और संपत्ति के लिए एक संभावित खतरा प्रस्तुत करता है। यंत्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य किसी संरचना की सुरक्षा के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए इसके प्रदर्शन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र कर शीघ्र और रोके जाने योग्य अवस्था में समस्याओं का पता लगाकर डेटा की आपूर्ति करना है। मौजूदा तटबंध बांधों में सही यंत्रीकरण नामतः पीजोमीटर, वेलोसिटी मीटर/पार्शियल फ्लुम्स, टोटल स्टेशन/थियोडोलाइट/प्लम्ब लाइन, गेजेस/इवेपोरिमीटर और स्ट्रेस एंड स्टेन गेज पानी/पोर प्रेशर मापने के लिए, सीपेज की गति, मिट्टी का सरकना, जल स्तर और कुल दबाव की मात्रा, के साथ बनाई गई एक निगरानी योजना द्वारा बांध संकट के लक्षणों का पता लगाया जा सकता है।

चयनित 16 संभागों में नमूना जाँच (जुलाई-नवंबर 2019) से पता चला कि 453 बड़े बांधों में से केवल तीन बांध नामतः गांधी सागर, बाणसागर और गुलाब सागर (महान) बांध यंत्रीकरण किए गए।

रानी अवंती बाई सागर बांध का, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के पाँच बांधों में से एक होने के बाद भी यंत्रीकरण नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि राज्य के हर बड़े बांध में हाइड्रो मेट्रोर्लॉजिकल स्टेशन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी, और, मौजूदा बांधों के लिए यंत्रीकरण अभियान राष्ट्रीय हाइड्रोर्लॉजी परियोजना-3 और ड्रिप-II के अंतर्गत किया जा रहा है।

2.3.3.6 अकार्यशील उपकरण

(अ) डी.एस.आई.पी. प्रतिवेदन 2008 के अनुसार, गांधी सागर बांध में लगाए गए उपकरण 1994 से रीडिंग प्रदान नहीं कर रहे थे। सी.डब्ल्यू.सी. यंत्रीकरण दल ने अप्रैल 2016 में निम्नलिखित कमियों की सूचना दी:

(अ) गैलरी में उत्थान दबाव पाइप और जल निकासी छिद्र का चोक होना;

(ब) गैलरी में स्थापित पीजोमीटर/पाइप दबाव और केबल व्यवस्था के साथ स्थापित स्विच बोर्ड के कार्य नहीं करने के कारण इनके अवलोकन का कोई रिकॉर्ड नहीं है; तथा

(स) ब्लॉक नंबर 3 में सामान्य प्लंब लाइन काम नहीं कर थी।

इसलिए, सी.डब्ल्यू.सी. ने इन उपकरणों के पुनरुद्धार (अप्रैल 2016) की सलाह दी और अधिक उपकरणों को स्थापित करने का निर्देश दिया अर्थात् ब्लॉकों में ज्वाइंट मीटर, भूकंप के कारण जमीन के झटकों की जाँच के लिए बांध के शीर्ष पर स्ट्रांग मोशन एक्सेलरोग्राफ (एस.एम.ए.), और बांध के सेटेलमेंट और विचलन (डिफ्लेक्शन) की माप हेतु बाँध के शीर्ष पर समान अंतराल पर कम से कम छः एवं बांध के दोनों किनारों पर एक सर्वेक्षण क्षेत्र।

“पुराने उपकरणों को बदलने और जल निकासी छिद्रों की सफाई” के लिए ₹ 1.35 करोड़ का प्राकलन भेजा गया था (जुलाई 2016 को अधीक्षण यंत्री, उज्जैन को) को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसे जुलाई 2019 तक अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। विभाग ने जुलाई 2019 तक उपकरणों के पुनरुद्धार और जल निकासी छिद्रों की सफाई के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

(ब) एस.डी.एस.ओ., डी.एस.आई.पी. और केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे, ने बाणसागर बांध के निरीक्षण के पश्चात (मार्च 2018) बांध में स्थापित उपकरणों के कार्य नहीं करने की सूचना दी, जैसे तनाव मीटर (12) और तापमान मीटर (13) इसके अतिरिक्त, बांध में स्थापित उपकरण डेटा लागर⁴¹ की कमी और ब्लैक बॉक्स⁴² के काम न करने के कारण अनुपयोगी हो गए। तथापि, इन उपकरणों की मरम्मत और डेटा लॉगर/ब्लैक बॉक्स के क्रय के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

शासन ने उत्तर दिया कि ड्रिप-II के तहत नए प्रस्ताव तैयार किए गए थे और गांधी सागर बांध में ऑटोमेशन और स्काड़ा के साथ उपकरणों का नवीनीकरण किया जाएगा।

स्पष्ट रूप से, सी.डब्ल्यू.सी. के प्रतिवेदन के तीन साल बाद भी, गांधी सागर जैसे राष्ट्रीय महत्व के बांध के लिए भी, उपकरणों का आवश्यक सुधारकार्य नहीं किया गया और नए उपकरण नहीं खरीदे गए (जनवरी 2020)।

(स) बड़े बांधों के लिए ऑपरेशन और रखरखाव मैनुअल तैयार नहीं करना

पानी के भंडारण या छोड़ने के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक बांध के लिए संचालन और रखरखाव (ओ. एंड एम.) मैनुअल आवश्यक है। एन.सी.डी.एस. की चौथी बैठक के कार्यवृत्त (मई 1989) के अनुसार, एस.डी.एस.ओ. को सभी बड़े बांधों के लिए ओ. एंड एम. मैनुअल तैयार

⁴¹ यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग फील्ड में स्थापित सेंसर से डेटा को स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

⁴² यह एक उपकरण है जो बांधों में जल प्रवाह और बाह्य प्रवाह का डेटा एकत्र और अनुकारित करता है।

करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। 16 संभागों की नमूना जाँच में 453 बड़े बांधों में से, मात्र 31 बांधों के लिए ओ एंड एम मैनुअल तैयार किए गए थे।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि सी.डब्ल्यू.सी. के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार (जून 2018) जलाशय के सुरक्षित संचालन के लिए सभी बड़े बांधों के जलाशय संचालन के लिए ओ एंड एम मैनुअल तैयार किया जाना है, और इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में एस.डी.एस.सी. द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी मुख्य अभियंताओं को सभी गेटेड बड़े बांधों के ओ. एंड एम. मैनुअल तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया था।

शासन का उत्तर बिना द्वार वाले बड़े बांधों के ओ. एंड एम. मैनुअल की तैयारी के संबंध में मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। आगे, सी.डब्ल्यू.सी. ने मात्र द्वार वाले बांधों के लिए ओ. एंड एम. मैनुअल तैयार करने का निर्देश नहीं दिया था।

(द) बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार नहीं करना

आपातकालीन कार्य योजना (ई.ए.पी.) में समस्याओं को हल करने या समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने में संबंधित बांध के कार्यपालन यंत्रों की सहायता करने के लिए प्रक्रियाएं और जानकारी सम्मिलित हैं, इसके अतिरिक्त उत्तरदायी आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों को प्रारंभिक चेतावनी और अधिसूचना संदेश जारी करना है।

सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों और एन.सी.डी.एस. की छठवीं बैठक (जुलाई 1990) के कार्यवृत्त के अनुसार, एस.डी.एस.ओ. को सामान्य संचालन स्थितियों और अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए मानक प्रस्तावित बाढ़ (एस.पी.एफ.)/संभावित अधिकतम बाढ़ (पी.एम.एफ.), और साथ ही साथ बांध के टूटने की स्थिति के लिए ई.ए.पी. तैयार करना था। संचालक, बांध सुरक्षा, भोपाल, ने सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं को बड़े बांधों के ई.ए.पी. तैयार करने के निर्देश (फरवरी 2012) दिए थे। तथापि, चयनित 16 संभागों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 453 बड़े बांधों में ई.ए.पी. सी.डब्ल्यू.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि ई.ए.पी., जो एक प्रारूप प्रपत्र है और सभी बड़े बांधों के लिए आवश्यक है और एस.डी.एस.सी. के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार, 25 बांधों के ई.ए.पी. तैयार किए गए हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा को 25 बांधों के ई.ए.पी. तैयार करने की पुष्टि में कोई लिखित प्रमाण नहीं उपलब्ध कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर में 30 वर्षों के अंतराल के बाद भी बड़े बांधों के लिए ई.ए.पी. तैयार नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं है।

2.3.4 निष्कर्ष

राज्य के विकास में बाँध प्रमुख भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सिंचाई, पीने, बिजली उत्पादन, मछली पालन, मनोरंजन, वाणिज्यिक उत्पादन आदि के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए, नियमित निरीक्षण के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और चिन्हित की गई कमियों का शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। जैसा कि उपर्युक्त कंडिकाओं में सामने आया है, निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्धारित आवधिकता में राज्य में बांधों का निरीक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं किया गया है।

जब तक निरीक्षण के दौरान चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बांधों का मात्र निरीक्षण निरर्थक है। सुधारात्मक उपायों पर की गई कार्रवाई की लेखापरीक्षा जाँच में अनियमितताएं पाई गईं जैसे, प्राक्कलन तैयार नहीं करना, अनुशंसा के अनुरूप सुधारात्मक कार्य नहीं किए गए, सुधारात्मक कार्य पूर्ण न होना, आदि, निरीक्षण के प्रयास एक नियमित अभ्यास मात्र रह गए जिसमें कोई परिणामी लाभ नहीं है। बहुत कम बांधों में उनके व्यवहार पर नजर रखने और संकट के लक्षणों का पता लगाने के लिए उपकरणों को लगाया गया है। स्थापित उपकरणों में से कई अकार्यशील थे। केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़े बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार नहीं की गई।

लोक निर्माण विभाग

2.4 वृहद् पुलों का निरीक्षण

2.4.1 परिचय

लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है, जो सड़कों, पुलों, रेलवे ओवर ब्रिजेस, फ्लाई ओवर्स और भवनों जैसी शासकीय परिसंपत्तियों की आयोजना, रूपांकन, निर्माण और रखरखाव में संलग्न है।

दिसंबर 2018 तक राज्य में 683 वृहद् पुल⁴³ थे। संहितीय आवश्यकताओं के अनुसार हर पुल का नियमित निरीक्षण और रखरखाव, उसे सेवा योग्य अच्छी स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। पुलों के विभिन्न घटकों के आवश्यक रखरखाव की सीमा का पता लगाने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं, अर्थात् अप्रोच रोड, सुपर-स्ट्रक्चर, एबटमेंट्स, बियरिंग्स, रेलिंग्स, कर्ब्स, जल निकासी मार्ग, वियरिंग कोट, पिचिंग, चिनाई कार्य आदि।

मध्य प्रदेश में वृहद् पुलों के निरीक्षण और रखरखाव के लिए मुख्य अभियंता, सेतु परिक्षेत्र उत्तरदायी हैं। 2016-19 के दौरान पुलों के रखरखाव पर सेतु परिक्षेत्र द्वारा ₹ 22.18 करोड़ का व्यय किया गया था।

2.4.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

यह ध्यान में रखते हुए कि रखरखाव की प्रकृति और सीमा तय करने के लिए निरीक्षण एक पूर्व-आवश्यकता है, लेखापरीक्षा ने वृहद् पुलों के रखरखाव के निरीक्षण पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृहद् पुलों के अपेक्षित रखरखाव की पहचान करने एवं आवश्यक रखरखाव आरंभ किए जाने के लिए निरीक्षण पर्याप्त और प्रभावी था, जून और जुलाई 2019 के बीच लेखापरीक्षा की गई।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, भारतीय सड़क कांग्रेस के विशिष्टियों और लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के मानदंडों के विरुद्ध लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा कवरेज में 2016 से 2018 तक तीन वर्षों की अवधि सम्मिलित थी, जिसमें वृहद् पुलों के प्री-मानसून और पोस्ट मानसून चक्र⁴⁴ निरीक्षण से संबंधित अभिलेख जाँच के लिए सम्मिलित थे।

सभी सात सेतु निर्माण संभागों, सभी तीन अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) कार्यालयों और मुख्य अभियंता (सी.ई.), सेतु परिक्षेत्र को लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए शासन स्तर पर जुलाई 2020 में एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन की प्रतिक्रियाओं और अगस्त 2020 में प्राप्त लिखित उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया था।

2.4.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्री-मानसून 2016 तक मध्य प्रदेश में 522 वृहद् पुल थे; 2016-18 के दौरान 161 वृहद् पुलों को जोड़ा गया था, जिससे पोस्ट-मानसून 2018 तक ये कुल 683 तक हो गए।

⁴³ 60 मीटर से अधिक कुल लंबाई वाले पुल वृहद् पुल होते हैं (आई.आर.सी. 5-1998)।

⁴⁴ प्रत्येक वर्ष के निरीक्षण चक्र में प्री-मानसून निरीक्षण की प्रक्रिया जो मई के महीने में समाप्त होती है और पोस्ट-मानसून निरीक्षण की प्रक्रिया जो दिसंबर के महीने में समाप्त होती है, शामिल होती है। इसलिए, यह पूरे कैलेंडर वर्ष (2016, 2017 और 2018) को कवर करती है। चूंकि यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 की अवधि तक है, प्री-मानसून 2019 ऑडिट के दायरे में नहीं था।

वृहद् पुलों के निरीक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

2.4.3.1 नियमित निरीक्षण में कमी

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, 1983 के अनुसार, पुलों के निरीक्षण की अपेक्षाओं को नीचे दी गई तालिका 2.4.1 में दिखाया गया है:

तालिका 2.4.1: पुलों के निरीक्षण के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ

उत्तरदायी कर्मचारी	निर्धारित अपेक्षाएँ
उप-यंत्री	पुल के प्रभारी उप-यंत्री द्वारा प्रत्येक पुल, पुलिया और कॉज़वे का वर्ष में दो बार (एक बार मानसून से पहले और एक बार मानसून के बाद) पूरी तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए और वह अपनी रिपोर्ट उप-संभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
उप-संभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.)	एस.डी.ओ., छ: मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी, या विशेष मरम्मत की आवश्यकता वाले और शेष पुलों के 10 प्रतिशत का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट कार्यपालन यंत्री को अग्रपिठित करेंगे।
कार्यपालन यंत्री (ई.ई.)	ई.ई., 30 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी पुलों और सभी प्रतिवेदित क्षतिग्रस्त संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे और एस.ई. को रिपोर्ट करेंगे।
अधीक्षण यंत्री	एस.ई., वर्ष में एक बार 100 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी पुलों का निरीक्षण करेंगे।

सभी सात संभागों और तीन एस.ई. कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि निरीक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा कमतर संख्या में पुलों के निरीक्षण किए गए थे। पुलों की नियत संख्या के विरुद्ध निरीक्षण का विवरण, जो कि म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के मानदंडों अर्थात् वर्ष में दो बार, के विपरीत है, नीचे दी गई तालिका 2.4.2 में देखा जा सकता है:

तालिका 2.4.2: नियत निरीक्षण के विरुद्ध पुलों का वास्तविक निरीक्षण

	प्री-मानसून 2016	पोस्ट-मानसून 2016	प्री-मानसून 2017	पोस्ट-मानसून 2017	प्री मानसून 2018	पोस्ट मानसून 2018
निरीक्षण के लिए नियत पुल	522	573	597	628	656	683
पुलों का वास्तव में निरीक्षण किया	259	232	273	260	470	430
कमी	263	341	324	368	186	253
कमी प्रतिशत में	50.38	59.51	54.27	58.60	28.35	37.00

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

जैसा कि ऊपर बताए गए विवरणों से देखा जा सकता है, निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पुलों के निरीक्षण में महत्वपूर्ण कमी रही, जो 2016-18 के दौरान 28.35 प्रतिशत से 59.51 प्रतिशत तक थी। आगे, यह भी देखा गया कि 2016-18 के दौरान, 116 पुलों का किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था।

2.4.3.2 निरीक्षण उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाना

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली, के अनुसार कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री को 2016-18 के दौरान क्रमशः 1,914 और 1,745 वृहद् पुलों का निरीक्षण करना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि उनके द्वारा किसी भी वृहद् पुल का निरीक्षण नहीं किया गया था।

2.4.3.3 निरीक्षण करने में विलंब

मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक वृहद् पुल का निरीक्षण उप-यंत्री द्वारा 15 मार्च (प्री-मानसून) और प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर (पोस्ट-मानसून) तक करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा (जून 2019 से जुलाई 2019) के दौरान, संभागीय कार्यालयों में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह देखा गया कि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में निर्धारित मानदंडों से उप-यंत्रियों द्वारा पुलों के निरीक्षण में विलंब हुआ था। निरीक्षण में निर्धारित मानदंडों से विलंब, नीचे दी गई तालिका 2.4.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.4.3: पुलों के निरीक्षण में विलंब

दिनों में विलंब	प्री-मानसून 2016	पोस्ट-मानसून 2016	प्री-मानसून 2017	पोस्ट-मानसून 2017	प्री-मानसून 2018	पोस्ट-मानसून 2018
1 से 30	15	44	2	40	19	17
31 से 90	176	169	131	195	286	313
91 से 180	68	8	138	24	158	96
180 से अधिक	0	0	2	0	0	3
योग	259	221	273	259	463	429

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

2.4.3.4 अर्धवार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदनों का विलंब से जारी होना

एक निरीक्षण प्रतिवेदन, कुछ पहलुओं के विवरण को शामिल करता है, जैसे कि पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य, जलमार्ग, नींव, उप-संरचना, बियरिंग्स, सुपर स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, वियरिंग कोट आदि, जो दर्शाते हैं कि नियमित निरीक्षण में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो पुलों की हालत को सुनिश्चित करते हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर, मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकताओं का आंकलन किया जाता है और रखरखाव कार्यों के लिए पुल निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सिफारिशें की जाती हैं। कार्यपालन यंत्री को प्रति वर्ष 01 मई और 01 दिसंबर तक निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण कर संबंधित अधीक्षण यंत्री को अग्रेषित कर देना चाहिये।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित तिथियों से 40 दिनों से लेकर 230 दिनों के विलंब से निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण यंत्री को अग्रेषित किए गए थे।

2.4.3.5 निरीक्षण के दौरान चिन्हित दोषों का सुधार नहीं किया जाना

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि 683 वृहद् पुलों में से, 2016-18 के दौरान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा 567 वृहद् पुलों का निरीक्षण किया गया था और 218 पुलों के संबंध में दोषों को देखा गया था। इनमें से 23 पुलों के दोषों को विशेष मरम्मत में ठीक किया गया और 35 पुलों की वार्षिक अनुरक्षण में मरम्मत की गई। 2016-18 की तीन-वर्ष की संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 20 पुलों में देखे गए दोषों को सुधारा नहीं गया था, एवं शेष 140 पुलों से दोषों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख संभागों में उपलब्ध नहीं थे।

2.4.3.6 मोबाइल पुल निरीक्षण इकाई (एम.बी.आई.यू.) के माध्यम से पुलों का निरीक्षण

प्रमुख अभियंता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग के निर्देशों (मई 2015 और अगस्त 2016) के अनुसार, महत्वपूर्ण पुलों और जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं का एम.बी.आई.यू. के माध्यम से निरीक्षण किया जाना चाहिये।

2016 में 61 पुल थे, जिनका निर्माण 25 वर्ष पूर्व हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 68 और 2018 में 70 हो गए थे। तथापि, यह देखा गया था कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एम.बी.आई.यू. का उपयोग कर जिन 30 पुलों का निरीक्षण किया गया था, उनमें से केवल 12 पुल 25 वर्ष से अधिक पुराने थे, जबकि 18 अन्य महत्वपूर्ण पुलों के रूप में निर्दिष्ट किए गए थे। इस प्रकार, एम.बी.आई.यू. का उपयोग लगभग 83 प्रतिशत निर्दिष्ट पुराने पुलों के निरीक्षण के लिए नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने 12 पुलों के निरीक्षण के लिए 20 मार्च 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक एवं 18 पुलों के निरीक्षण के लिए 22 जून 2018 से 13 अगस्त 2018 तक एम.बी.आई.यू. का उपयोग किया। कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग, भोपाल ने बताया कि इन 30 पुलों के निरीक्षण के लिए तीन वर्षों की इस अवधि के दौरान यूनिट केवल 26 दिनों के लिए वास्तविक

परिचालन में थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उज्जैन शहर और आस-पास के क्षेत्रों के चार पुलों⁴⁵ का निरीक्षण इस इकाई का उपयोग करते हुए एक दिन में (01 अगस्त 2018) 87 कि.मी. के मार्ग को तय करते हुए संचालित किए गए थे जो संभव प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त निर्देशों में वर्णित विस्तृत प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों⁴⁶ को इतने कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में शासन ने बताया (अगस्त 2020) कि फील्ड स्टाफ की कमी थी एवं संभाग और उप-संभाग स्तर पर तैनात कर्मचारी स्वीकृत कार्मिक संख्या से कम हैं। फील्ड कर्मचारी सभी चालू कार्यों की देखरेख, नई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण जाँच कर डी.पी.आर. तैयार करने और अन्य नियमित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी हैं।

कार्यपालन यंत्री और उपसंभागीय अधिकारी द्वारा पुलों के निरीक्षण के दौरान, यदि किसी बड़े पुनर्वास की आवश्यकता होती है, तो उन्हें विशेष मरम्मत के लिए प्राक्कलन तैयार करना और अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत करना होता है। यद्यपि, सभी अधिकारियों को मरम्मत योग्य पुलों के लिए इस तरह के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

फील्ड स्टाफ के अधिकार क्षेत्र बहुत बड़े होने के कारण, आंतरिक क्षेत्रों में स्थित पुलों के निरीक्षण में विलंब हो सकता है।

पाए गए दोषों के निवारण न हो पाने के संबंध में शासन ने बताया कि यदि मरम्मत की आवश्यकताओं की प्रकृति गौण हैं, तो वे पुलों की वार्षिक मरम्मत के लिए विशेष रूप से तैनात एजेंसी द्वारा ठीक किए जाते हैं और यदि किसी संरचना को विशेष मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो विशेष मरम्मत के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आगे, शासन ने बताया कि 12–15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली प्रमुख नदियों पर बनने वाले पुलों के निरीक्षण के लिए एम.बी.आई.यू. की आवश्यकता है; कम ऊंचाई वाले और सूखे नदी के तल पर स्थित शेष पुलों को भौतिक रूप से देखा जा सकता है। चूंकि एम.बी.आई.यू. का संचालन कठिन है और महंगा भी है, इसलिए एक ही क्षेत्र के सभी पुलों को कवर करने के लिए एक रूट प्लान तैयार किया जाता है।

2.4.4 निष्कर्ष

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पुलों के रखरखाव की प्रकृति और आवधिकता की पहचान करने के लिए निरीक्षण एक पूर्व-आवश्यकता होने के बाद भी, लो.नि.वि. के सेतु संरचना ने इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप वृहद् पुलों के निरीक्षण में कमी/विलंबित निरीक्षण हुआ; उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, वृहद् पुलों में देखे गए दोषों को विभाग द्वारा दूर नहीं किया गया था और लगभग 83 प्रतिशत पुल, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने थे के निरीक्षण के लिए एम.बी.आई.यू. का उपयोग नहीं किया गया था।

⁴⁵ लालपुल (200.1 मीटर), राधोपल्ली (90.12 मीटर), भेरुगढ़ (175 मीटर) और सुल्याखेड़ी पुल (120 मीटर)।

⁴⁶ आईआरसी एसपी 18 के परिशिष्ट-I में दिए गए निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा के अनुसार, 20 विभिन्न परीक्षण करने होते हैं, जिनमें से जलमार्ग, फाउंडेशन, बियरिंग्स, सुपरस्ट्रक्चर और एक्सपेंशन ज्वाइंट्स से जुड़े परीक्षण, जटिल परीक्षण होते हैं।

2.5 लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय भवनों का निर्माण

2.5.1 परिचय

लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) की दो शाखाएं हैं, भवन एवं सड़क (भ. एवं स.) और परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (पी.आई.यू.)। पी.आई.यू., जमा निर्माण कार्यों के रूप में राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के भवनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

2.5.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

वर्ष 2018-19 के दौरान पी.आई.यू. की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गयी कि (i) पी.आई.यू. द्वारा अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार प्राक्कलन तैयार किए गए थे, और (ii) ठेकेदारों को लागू दरों पर क्रियान्वित वास्तविक मात्रा के अनुसार कार्य के लिए भुगतान किया गया था।


अनुबंध दस्तावेजों में निर्धारित नियमों और शर्तों, मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली और एम.पी.पी. डब्ल्यू.डी द्वारा जारी दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) के मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार किये गए थे।

लेखापरीक्षा जून 2019 से अगस्त 2019 के दौरान की गई थी और इसमें 2016-17 से 2018-19 की अवधि को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा कार्य पद्धति में 51 में से 12⁴⁷ पी.आई.यू. के संबंधित अभिलेखों की जाँच शामिल थी। इकाइयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि के माध्यम से किया गया था।

चयनित सभी 12 पी.आई.यू. में अस्पतालों, ड्रामा केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.), एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) के निर्माण/उन्नयन कार्य प्रगति पर थे। इन निर्माण कार्यों के अतिरिक्त, चयनित 12 में से पांच⁴⁸ पी.आई.यू. में चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण/उन्नयन भी किया जा रहा था। इन पांच में से भोपाल, इंदौर और जबलपुर में चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर था, जबकि खंडवा और शिवपुरी प्रत्येक में एक नए चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा था। चयनित पी.आई.यू. का विवरण नीचे दिए गए मानचित्र में देखा जा सकता है:

⁴⁷ बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, पन्ना, सिवनी, सीधी एवं शिवपुरी

⁴⁸ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा एवं शिवपुरी



2.5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निम्नलिखित कंडिकाओं में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है:

2.5.3.1 कार्यों का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन

मध्यप्रदेश निर्माण कार्य विभाग संहिता के पैरा 2.028 के अनुसार, एक प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति देने वाला एक अधिकारी डिजाइन की सुदृढ़ता का आंकलन करने और ड्राइंग के संदर्भ में प्राक्कलन में आवश्यक सभी मदों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार है। विस्तृत प्राक्कलनों की शुद्धता प्राक्कलित और वास्तव में क्रियान्वित परिमाणों के बीच नाममात्र विचलन की सीमा से मापी जाती है। इन परिमाणों के बीच पर्याप्त विचलन से यह इंगित होता है कि प्राक्कलन सही नहीं बनाए गए थे।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित 12 में से पांच⁴⁹ पी.आई.यू. के सात कार्यों में प्राक्कलित और क्रियान्वयित परिमाणों में दस प्रतिशत से अधिक के विचलन थे। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त मदों के क्रियान्वयन, जो प्राक्कलित और बिल ऑफ क्वांटिटी (बी.ओ.क्यू.) का हिस्सा नहीं थे, से यह पता चलता है कि प्राक्कलन ठीक से तैयार नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 2.5.1** में दिए गए विवरण के अनुसार राशि ₹ 7.04 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर शासन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2020) कि सिविल कार्यों में, निर्माण के दौरान विचलन होते हैं, जो अप्रत्याशित कार्यस्थल की स्थिति/उपयोगकर्ता एजेंसी की आवश्यकता के कारण हैं। यद्यपि शासन ने, आश्वासन दिया कि प्राक्कलन तैयार करने में अब अधिक सावधानी बरती जाएगी।

यद्यपि भविष्य के प्राक्कलनों में अतिरिक्त सावधानी के संबंध में शासन का आश्वासन स्वागत योग्य है, परन्तु यह कथन कि निर्माण के दौरान सिविल कार्यों में भिन्नता हो सकती है, स्वीकार्य नहीं है,

⁴⁹ बड़वानी, जबलपुर, झाबुआ, सीधी और शिवपुरी

क्योंकि परिशिष्ट में दिए गए प्रकरणों में काफी विचलन है और यह पी.आई.यू. के भीतर प्रक्रियाओं में यथोचित उद्यमता में दृढ़ता की कमी को परिलक्षित करता है।

2.5.3.2 त्रुटिपूर्ण दर को अपनाने के कारण अधिक भुगतान

कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के अनुसार, एन.आई.टी. की दिनांक तक जारी किए गए सभी संशोधन, कार्य पर लागू थे। आगे, शासन द्वारा 10 दिसंबर 2015 को जारी "पी.डब्ल्यू.डी., पी.आई.यू. में भवन निर्माण कार्यों के लिए विशेष शर्तें" (जो अनुबंध का भाग था) के खंड-5 के अनुसार, "भवन निर्माण कार्य के लिए परियोजना निदेशक पी.डब्ल्यू.डी., पी.आई.यू. द्वारा 01 अगस्त 2014 को जारी भवन निर्माण कार्यों (सिविल और ई/एम दोनों) के लिए दर अनुसूची एन.आई.टी. जारी करने के दिनांक तक अद्यतन संशोधनों के साथ लागू होगी"। 12 चयनित पी.आई.यू. के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

(i) चार⁵⁰ पी.आई.यू. में एन.आई.टी. जारी होने के दिनांक तक जारी संशोधनों को लागू नहीं किया गया। इसलिए, ठेकेदारों को मूल दरों पर भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.02 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.5.2** में विवरण दिया गया है।

(ii) इंदौर और शिवपुरी के डी.पी.ई. के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुछ मदों की दर प्रचलित एस.ओ.आर. दरों से अधिक लागू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 33.10 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.5.3** में विवरण दिया गया है।

(iii) डी.पी.ई., इंदौर में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि, यद्यपि संशोधित एस.ओ.आर. जून 2016 में एन.आई.टी. की दिनांक से पूर्व जारी किया गया था, फिर भी सड़क मदों का भुगतान पूर्व दर अनुसूची (मार्च 2014) में उल्लेखित दरों पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11.12 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.5.4** में विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर शासन द्वारा बताया (अगस्त 2020) कि शिवपुरी, सिवनी और इंदौर के प्रकरण में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि की ठेकेदार से वसूली कर ली गई थी। हालांकि, इस कथन के समर्थन में कोई भी अभिलेख दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

आगे, उपरोक्त अनुक्रमांक (ii) और (iii) की लेखापरीक्षा अवलोकनों के प्रत्युत्तर में, शासन ने बताया कि कोई भी मद जो एस.ओ.आर. से हटा दी गई थी लेकिन उसे बी.ओ.क्यू. में शामिल किया गया था, उसे उस विशेष कार्य के लिए एस.ओ.आर. मद के रूप में माना गया था और उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर के अनुसार किया जाना आवश्यक था।

उपर्युक्त अवलोकनों (ii) और (iii) के संबंध में शासन का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्राक्कलन परियोजना की लागत का प्राथमिक कारक है और विभाग पहले एस.ओ.आर. में दी गई दरों के आधार पर प्राक्कलन तैयार करते हैं। इस प्राक्कलन के सार को, बी.ओ.क्यू. कहा जाता है जो एनआईटी का हिस्सा बन जाता है। इसी बी.ओ.क्यू. के आधार पर, ठेकेदार दरों को उद्धृत करता है। विभाग द्वारा ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों पर सहमत होने के बाद, यह बी.ओ.क्यू. अनुबंध का एक हिस्सा बन जाता है, जो दोनों पक्षों, यानि विभाग और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होता है। एस.ओ.आर. की दरों में कोई भी संशोधन बी.ओ.क्यू. को प्रभावित करता है, एवं इसी प्रकार, परियोजना की लागत को भी। उपरोक्त प्रकरणों (ii) और (iii) में, लागू एस.ओ.आर. में दी गई दरों से अधिक दरों को बी.ओ.क्यू. में शामिल किया गया था, एवं चूंकि भुगतान तदानुसार किया गया था, परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ। शासन के उत्तर में इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया था।

⁵⁰ भोपाल, इंदौर, सिवनी और शिवपुरी

2.5.3.3 खोदी और जारी की गई चट्टान के परिवहन के लिए अधिक भुगतान

एस.ओ.आर. (अगस्त 2014) के अनुसार, कठोर चट्टान/साधारण चट्टान की खुदाई से प्राप्त चट्टान, उत्खनन की गई चट्टान की मात्रा ₹ 150 प्रति घन मीटर की दर से वसूली के अधीन ठेकेदार की संपत्ति होगी। आगे, निविदा के खंड 6 (निविदाकर्ता को निर्देश) के अनुसार, "निविदाकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वह कार्य स्थल और उसके आसपास का भ्रमण और निरीक्षण करे और अपने लिए स्वयं की जिम्मेदारी पर सभी जानकारी प्राप्त करे जो निविदा भरने और ठेका अनुबंध करने हेतु आवश्यक हो"।

यह देखा गया कि पी.आई.यू. सिवनी और पी.आई.यू.-II भोपाल में, खुदाई में प्राप्त कठोर चट्टान/साधारण चट्टान ठेकेदार को निर्गत की गई थी और चलित देयक से ₹ 150 प्रति घन मीटर की दर से वसूली की गई थी। आगे, खोदी गई कठोर चट्टान के परिवहन के लिए, अनुपूरक मद के रूप में, ठेकेदार को राशि ₹ 1.41 करोड़ का भुगतान प्रावधानों के विरुद्ध किया गया था। चूंकि जारी कठोर चट्टान ठेकेदार की संपत्ति थी, इसलिए परिवहन पर हुआ कोई भी व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जाना चाहिए था।

तालिका 2.5.1: ठेकेदार को अधिक भुगतान

(राशि ₹ में)

स. क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद क्रमांक	जारी दर	कठोर चट्टान की मात्रा (घ.मी. में)	परिवहन की राशि	निविदा प्रतिशत	अधिक भुगतान
1	पी.आई.यू. सिवनी	2/16-17	1.1.4	223.16	951.65	2,12,370	7.57 से कम	1,96,294
2	पी.आई.यू.-II भोपाल	25/16-17	1.1.4	331.27	43,206.22	1,43,12,925	2.61 से कम	1,39,39,358
योग								1,41,35,652

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर शासन ने बताया (अगस्त 2020) कि निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न बी.ओ.क्यू. पर कम या अधिक प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की गई थी; इसलिए दर अनुसूची के प्रावधान और उसमें लिखे नोट प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि ठेकेदार ने बी.ओ.क्यू. मदों पर अपनी दरों को उद्धृत किया था। आगे बताया गया कि अनुबंध में उपलब्ध कराई गई बी.ओ.क्यू. मद में यह शर्त नहीं थी कि खुदाई की गई चट्टान ₹ 150 प्रति घन मीटर की वसूली के अधीन ठेकेदार की संपत्ति होगी, और इसलिए ठेकेदार के बिलों से हुई इस वसूली पर भी ठेकेदार द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है और माध्यस्थम (आरबिट्रेशन) में उठाए जाने की संभावना है। शासन इस बात पर सहमत था कि एक बार ठेकेदार को एक निश्चित दर पर सामग्री जारी कर दी गई है, तो यह ठेकेदार की संपत्ति बन जाती है और इस प्रकार परिवहन शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं हो सकता है; तथापि, इस मामले में, ठेकेदार को सामग्री जारी करने की बुनियादी कार्रवाई गंभीर विवाद में है क्योंकि उद्धृत दरें बी.ओ.क्यू. पर हैं न कि एस.ओ.आर. पर। यह भी बताया गया कि चूंकि यह निर्माण एक ऐसे परिसर में किया जा रहा था जो शहर के बीचों-बीच और अत्यधिक भीड़भाड़ वाला था, अधिक मात्रा में खुदाई की गई चट्टान को लंबे समय तक परिसर के भीतर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और चालू निर्माण में खुदाई की गई चट्टान का कोई उपयोग नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी.ओ.क्यू. अनुबंध का एक भाग है जो प्राक्कलनों का सार होता है, जो एस.ओ.आर. में दी गई मदों के आधार पर तैयार किया जाता है। एस.ओ.आर. के अनुसार, खुदाई में प्राप्त चट्टान ठेकेदार की संपत्ति होगी और इसलिए उसके निस्तारण के लिए वह जिम्मेदार होगा। आगे, ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल के भ्रमण और कार्यस्थल की स्थितियों तथा बी.ओ.क्यू. मदों से खुद को संतुष्ट करने के बाद दरें उद्धृत की गई थी। इस मामले में, विभाग ने अनुबंध के उपखंड के अनुसार ठेकेदार को उसकी संपत्ति होने के कारण कठोर चट्टान जारी कर दी, लेकिन साथ ही

अति साधारण आधार पर अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध उसकी स्वयं की संपत्ति के परिवहन के लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया। परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.41 करोड़ की हानि हुई।

2.5.3.4 सीमेंट की लागत की वसूली न होना

10 दिसम्बर 2015 को शासन द्वारा जारी "पी.डब्ल्यू.डी. पी.आई.यू. में भवन निर्माण के लिए विशेष शर्त" के खंड के अनुसार (जो अनुबंध का भाग भी है) "भवन निर्माण के लिए लागू एस.ओ.आर., परियोजना संचालक पी.डब्ल्यू.डी., पी.आई.यू. द्वारा 1 अगस्त 2014 को जारी जिसमें एन.आई.टी.जारी करने की दिनांक तक के संशोधन शामिल है, भवन निर्माण (सिविल और ई./एम. दोनों) का एस.ओ.आर. होगा"।

दरों की अनुसूची 2014 की संशोधन संख्या 12 (07 नवंबर 2015) के अनुसार, सीमेंट सामग्री कार्य में 330 किलोग्राम प्रति घन मीटर न्यूनतम सीमेंट सामग्री का उपयोग की अनुमति थी और इस संशोधन के बाद, डिजाइन मिश्रण में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा के विरुद्ध भुगतान की अनुमति नहीं थी।

दो पी.आई.यू. के अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन कार्यों में निविदा उपरोक्त संशोधन जारी होने के काफी बाद प्रकाशित की गई थी, लेकिन निर्धारित सीमेंट की सामग्री से अधिक डिजाइन मिक्स में इस्तेमाल होने वाले अतिरिक्त सीमेंट के लिए राशि ₹ 3.23 करोड़ का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.23 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 2.5.5 में विवरण दिया गया है।

मूल दस्तावेज

Prebid Meeting dated 03/09/2016
querries of the bidders.
"Construction of Multi Storied Hospital Buildings in Gandhi Medical College Campus, Bhopal."

24.	Kindly let us know the cement content to be considered for cement concrete pavement.	As per Mix design of concrete.
-----	--	--------------------------------

Page 5 of 7

छेड़छाड़ किया हुआ दस्तावेज

Prebid Meeting dated 03/09/2016
querries of the bidders.
"Construction of Multi Storied Hospital Buildings in Gandhi Medical College Campus, Bhopal."

24.	Kindly let us know the cement content to be considered for cement concrete pavement.	As per Mix design of concrete.
-----	--	--------------------------------

Page 5 of 7

शासन ने बताया (अगस्त 2020) कि ठेकेदार द्वारा बी.ओ.क्यू. पर दरें उद्धृत की गई थीं न कि एस.ओ.आर. पर। बी.ओ.क्यू. मद में 330 किलोग्राम से कम या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, इस्तेमाल करने पर सीमेंट की मात्रा के लिए यथास्थिति वसूली या अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है। अनुमोदित मिक्स डिजाइन के अनुसार ठेकेदार को 330 किलोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक सीमेंट उपयोग करने के लिए भुगतान किया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, पी.आई.यू. भोपाल के मामले में लेखापरीक्षा के

दृष्टांत पर ठेकेदार से ₹ 2.47 करोड़ की वसूली से बचने के लिए डी.पी.ई. ने "Pavement" शब्द को "Payment" में बदल दिया और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया। तथापि, जब लेखापरीक्षा ने मूल दस्तावेज के साथ डी.पी.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉपी की छानबीन की तो विभाग ने अपना जवाब बदल दिया। यह परिवर्तित उत्तर भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, विभाग का यह तर्क कि ठेकेदार ने बी.ओ.क्यू. के अनुसार दरों को उद्धृत किया था, स्वीकार्य योग्य नहीं है। बी.ओ.क्यू. केवल प्राक्कलन का भाग है। अंततः, अनुबंध ही वह दस्तावेज है जो दोनों पक्षों यानी विभाग और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी है। अनुबंध की शर्तें, क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों और किए जाने वाले भुगतान को वर्णित करती है। एन.आई.टी. के प्रावधानों/अनुबंध की शर्तों को विधिवत संज्ञान में लेते हुए, कार्य के लिए दरों को उद्धृत करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। चूंकि अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि एस.ओ.आर. निविदा जारी होने के दिनांक तक अद्यतन संशोधनों के साथ लागू होगा, विभाग को एस.ओ.आर. के प्रावधानों और अद्यतन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए ऊपर वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करनी चाहिए थी। आगे, चूंकि यह एक प्रतिशत दर अनुबंध था, ठेकेदार बी.ओ.क्यू. की सभी मदों और निविदा की दिनांक तक दरों की अनुसूची के संशोधनों पर विधिवत विचार करते हुए, अपनी दरों को उद्धृत करने के लिए स्वतंत्र था।

2.5.4 निष्कर्ष

जैसा कि ऊपर की कंडिकाओं में उद्धृत किया गया है, कार्य के क्रियान्वयन के दौरान कमियों के कारण कार्य के लिए न केवल अधिक भुगतान और अतिरिक्त लागत आई बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। गलत दरों को अपनाने, परिवहन शुल्कों के भुगतान और ठेकेदार को सीमेंट के खपत पर अधिक भुगतान करने के उदाहरण थे। परिणामस्वरूप, कार्यों के कुछ भागों ने विभाग पर अतिरिक्त वित्तीय भार पैदा किया, बावजूद इसके कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हुई।

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग

2.6 गौण खनिजों पर रॉयल्टी

2.6.1 परिचय

मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) और जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) के माध्यम से बांधों, सड़कों, भवनों आदि के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य और परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से निर्माण विभाग के रूप में जाना जाता है। तदनंतर ये विभाग क्रियान्वयन के लिए विभिन्न ठेकेदारों को कार्य सौंपते हैं। क्रियान्वयन के दौरान, ठेकेदार अन्य वस्तुओं के साथ-साथ गौण खनिजों जैसे रेत, गिट्टी, बोल्टर आदि का उपयोग करते हैं जो कि खदानों से प्राप्त किए जाते हैं या कुछ प्रकरणों में खुले बाजार से ठेकेदारों द्वारा लाए जाते हैं।

मध्य प्रदेश शासन के आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार ठेकेदारों के अंतिम देयक का भुगतान, खनिज संसाधन विभाग (एम.आर.डी.) द्वारा जारी किए गए "कोई रॉयल्टी बकाया नहीं के प्रमाणपत्र" को प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा, इसमें विफल होने पर, रॉयल्टी देयकों से काटी जाएगी और संबंधित खनिज शीर्ष में जमा की जाएगी। खनिज संसाधन विभाग द्वारा समय-समय⁵¹ पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न खनिजों के लिए रॉयल्टी की दरें तय की गई थीं। खनिज संसाधन विभाग के मार्च 2018 में जारी आदेशों में दोहराया गया कि ठेकेदारों को खनिज संसाधन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और प्रत्येक चलित देयक के साथ देय रॉयल्टी हेतु खनन का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार, वास्तव में सार्वजनिक कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के संबंध में खदान शुल्क, रॉयल्टी और किसी भी अन्य करों एवं शुल्कों के संबंध में, यदि कोई देयता है, तो उसका वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। आगे, संवितरण अधिकारी (संबंधित कार्यपालन यंत्री) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों के लिए रॉयल्टी का भुगतान किया गया था।

2.6.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के बीच लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गई कि लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग, गौण खनिजों पर रॉयल्टी की यथार्थता और समयबद्धता तथा ठीक प्रकार से वसूली की निगरानी करने में सक्षम थे।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा रॉयल्टी की वसूली हेतु समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और मानदंडों के निम्नलिखित स्रोतों के विरुद्ध लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्धारित किया गया था:

- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006


⁵¹ म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची 3, नियम 29 के अनुसार, गौण खनिजों की रॉयल्टी की दरें नीचे दी गई हैं:

स. क्र.	गौण खनिजों के नाम	मार्च 2010 से प्रति घन. मी रॉयल्टी की दर	सितम्बर 2014 से प्रति घन. मी रॉयल्टी की दर
1	रेत	₹ 53	₹ 100
2	बोल्टर	₹ 35	₹ 50
3	पत्थर और सड़क गिट्टी	₹ 44	₹ 100
4	अन्य छोटे खनिज	₹ 27	₹ 100
5	मूरुम	₹ 27	₹ 50

- लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची और जल संसाधन विभाग की एकीकृत दरों की अनुसूची
- निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध
- भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियां और
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता

अगस्त 2019 से जनवरी 2020 के दौरान लेखापरीक्षा की गई और इसमें तीन वर्षों 2016–17 से 2018–19 के संबंधित लेनदेनों/अनुबंधों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.⁵²) के 57 संभागों में से 18⁵³ और जल संसाधन विभाग के 51 संभागों में से 13⁵⁴ में गौण खनिज की रॉयल्टी से संबंधित अभिलेखों की जाँच सम्मिलित थी, इन संभागों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन पद्धति के आधार पर किया गया था।

लोक निर्माण विभाग से संबंधित समस्त कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए शासन स्तर पर 24 जुलाई 2020 को एक निर्गम बैठक आयोजित की गई थी, यद्यपि, जल संसाधन विभाग के साथ निर्गम बैठक आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि बार-बार अनुरोधों के उपरांत भी विभाग द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। शासन (लोक निर्माण विभाग) से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।



⁵² भवन एवं सड़क।

⁵³ आगर-मालवा, अलीराजपुर, बुधनी, बुरहानपुर, धार, जबलपुर, गुना, होशंगाबाद, कटनी, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया और उज्जैन के लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.) संभाग।

⁵⁴ बुरहानपुर, गंजबासोदा (संजय सागर परियोजना), टिमरनी, जबलपुर, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया के कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग।

2.6.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 18 चयनित लोक निर्माण विभाग के संभागों में 377 अनुबंधों में से 270, तथा 13 चयनित जल संसाधन विभाग के संभागों में 175 अनुबंधों में से 142 की नमूना जाँच की। जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस नमूना जाँच में प्रकट हुए, उन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.3.1 रॉयल्टी के माध्यम से राजस्व के सृजन की स्थिति

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी कटौती की कुल राशि, एम. आर.डी. के पास जमा और विभाग के पास जमा रॉयल्टी की राशि का विवरण नीचे तालिका 2.6.1 में दिया गया है।

तालिका 2.6.1: लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में रॉयल्टी के माध्यम से राजस्व के सृजन की स्थिति

विभाग	काटी गई रॉयल्टी	खनिज शीर्ष में जमा की गई रॉयल्टी	ठेकेदार को वापस की गई रॉयल्टी	(₹ लाख में)
				विभाग के पास जमा रॉयल्टी की शेष राशि
लोक निर्माण विभाग	7,449.43	3,584.80	1,452.98	2,411.65
जल संसाधन विभाग	2,177.49	1,347.14	144.66	685.69

(स्रोत: विभागों द्वारा दी गई जानकारी)

लोक निर्माण विभाग में ₹ 24.12 करोड़ और जल संसाधन विभाग में ₹ 6.86 करोड़ की राशि खनिज संसाधन विभाग को भेजने के बजाय जमा शीर्ष में रखी गई थी।

2.6.3.2 ठेकेदारों से रॉयल्टी की कम कटौती

अनुबंध और लोक निर्माण विभाग में लागू दरों की अनुसूची और जल संसाधन विभाग में लागू एकीकृत दरों की अनुसूची के सामान्य नोट के प्रावधान के अनुसार, कार्य क्रियान्वयन के दौरान उपयोग में लाए गए गौण खनिजों के लिए ठेकेदार के देयकों में से खनिज संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित रॉयल्टी प्रभार की कटौती की जानी चाहिए। खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वसूल की गई रॉयल्टी ठेकेदार को वापस की जाएगी। अन्यथा, देयकों से कटौती की गई रॉयल्टी को संबंधित खनिज शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समस्त 18 लोक निर्माण संभागों में नमूना जाँच हेतु चयनित किए गए 270 अनुबंधों में से 116 में और 12⁵⁵ जल संसाधन संभागों में 142 अनुबंधों में से 62 में, ठेकेदारों ने गौण खनिजों का उपयोग करके निर्माण कार्यों को क्रियान्वित किया, जिसके लिए विभागों द्वारा उचित रूप से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी, जैसा की नीचे तालिका 2.6.2 में दिया गया है:

तालिका 2.6.2: रॉयल्टी की कम कटौती

(मात्रा घ.मी. में एवं ₹ करोड़ में)

विभाग	अनुबंधों की संख्या	उपयोग किये गये गौण खनिजों की मात्रा			काटी जाने वाली रॉयल्टी	वास्तव में काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी की कम कटौती
		गिट्टी	रेत	बोल्डर			
लोक निर्माण विभाग	116	27,02,082.92	5,61,790.76	7,422.22	31.93	18.98	12.95
जल संसाधन विभाग	62	8,94,596.30	4,91,315.08	1,65,366.38	12.90	7.98	4.92
योग					44.83	26.96	17.87

(स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के आधार पर)

⁵⁵ बुरहानपुर, गंज बसौदा, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, सिगरौली, टीकमगढ़, टिमरनी, उमरिया।

खनिजों की उपरोक्त मात्रा के लिए ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। तदनुसार, रॉयल्टी के ₹ 44.83 करोड़ उक्त दोनों विभागों द्वारा ठेकेदारों के देयक से काटे जाने थे। तथापि, ठेकेदारों के देयकों से केवल ₹ 26.96 करोड़ की रॉयल्टी काटी गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों विभागों में ₹ 17.87 करोड़ की रॉयल्टी की कम कटौती की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.6.1** में विवरण दिया गया है। इन प्रकरणों में ₹ 17.87 करोड़ की रॉयल्टी की कम कटौती, रॉयल्टी की गणना करते समय गौण खनिजों की वास्तविक खपत पर विचार नहीं किए जाने के कारण (लोक निर्माण विभाग में ₹ 10.82 करोड़ और जल संसाधन विभाग में ₹ 4.71 करोड़) एवं कटौती की गई रॉयल्टी की अनियमित वापसी (₹ 2.13 करोड़ लोक निर्माण विभाग में और ₹ 0.21 करोड़ जल संसाधन विभाग में) के कारण थी।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि लोक निर्माण विभाग के चार⁵⁶ संभागों के चयनित 68 में से 10 अनुबंधों में एवं जल संसाधन विभाग के दो⁵⁷ संभागों के 25 में से तीन अनुबंधों में, यद्यपि ठेकेदारों ने रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी विभागों ने ठेकेदारों के देयकों में से काटी गयी रॉयल्टी की राशि वापस कर दी थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6.2** में दिया गया है।

शासन (लोक निर्माण विभाग) ने उत्तर में बताया (अगस्त 2020) कि विभाग में रॉयल्टी शुल्क की कटौती अनिवार्य नहीं थी, किंतु लोक राजस्व की सुरक्षा के लिए, संभागीय कार्यालय प्रायः निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज के विरुद्ध रॉयल्टी शुल्क की स्रोत पर कटौती करते हैं, एवं इस राशि को कार्य पूर्ण होने तक या ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करने तक विविध जमा खाते में रखते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनिज संसाधन विभाग की अधिसूचना (मार्च 2013) और आदेश (मार्च 2018) विभाग को ठेकेदार से रॉयल्टी वसूल करना अनिवार्य बनाते हैं।

2.6.3.3 खनिज शीर्ष में रॉयल्टी का विलंब से प्रेषण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 486 के अनुसार, विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त धन को, यथाशीघ्र संभव, निकटतम कोषालय में लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष में क्रेडिट के रूप में जमा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (2) के अनुसार और शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशानुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत तक काटी गई रॉयल्टी राशि को राजस्व शीर्ष-0853 में जमा करके चालान की प्रति को खनिज अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, खनिज संसाधन विभाग और प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने सभी कार्यपालन यंत्रियों (मार्च 2019) को निर्देशित किया है कि ठेकेदारों से काटी गयी रॉयल्टी को संबंधित प्रमुख शीर्ष-0853 के अधीन लघु शीर्ष-102 में जमा किया जाए।

लोक निर्माण विभाग के 18 संभागों में से 12⁵⁸ में और जल संसाधन विभाग के 13 संभागों में से सात⁵⁹ में अवलोकन किया गया कि, वर्ष 2006-07 से 2018-19 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 12.93 करोड़ और ₹ 10.06 करोड़ की रॉयल्टी काटी गई, लोक निर्माण विभाग में एक से 132 महीने और जल संसाधन विभाग में एक से 96 महीने के विलंब से संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के खाते में जमा की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6.3** में दिया गया है।

शासन (लोक निर्माण विभाग) ने उत्तर में बताया कि शासन के खाते में कटौती की गई रॉयल्टी जमा करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर ठेकेदार रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो

⁵⁶ धार, गुना, होशंगाबाद और शिवपुरी।

⁵⁷ शिवपुरी और राजगढ़।

⁵⁸ आगर मालवा, अलीराजपुर, बुधनी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी, सिंगरौली, उज्जैन और उमरिया।

⁵⁹ बुरहानपुर, गंजबसौदा, जबलपुर, राजगढ़, शाजापुर, सिहोर और रतलाम।

उक्त राशि उसे वापस करना संभव नहीं होगा। मुकदमे और अनुचित विवादों से बचने के लिए, राशि को कार्य के पूर्ण होने तक जमा शीर्ष में रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परीक्षण किए गए अंतिम देयकों के प्रकरणों में भी रॉयल्टी में कटौती को संबंधित खनिज शीर्ष में जमा नहीं किया गया था जैसा कि खनिज संसाधन विभाग की अधिसूचना (मार्च 2013) के अनुसार अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, चयनित इकाईयों में इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विवादित प्रकरणों को नहीं देखा गया था।

2.6.3.4 खनिज संसाधन विभाग से रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र (एन.डी.सी.) प्राप्त किए बिना कार्यों को अनियमित रूप से पूर्ण किया जाना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (1) (म. प्र. राजपत्र अधिसूचना 23 मार्च 2013 को संशोधित) के अनुसार, निर्माण कार्य में संलग्न खदान परमिट धारक/ठेकेदार को निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले खनिजों के लिये, खदान परमिट क्षेत्र से उत्खनित खनिज के लिए या खुले बाजार से खरीदकर उपयोग किए गए खनिज हेतु रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु खनिज विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। खनिज अनुभाग के खनिज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य में संलग्न ठेकेदार/खदान परमिट धारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के सत्यापन के उपरांत अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (मार्च 2018) द्वारा दोहराया कि ठेकेदारों को खनिज संसाधन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा तथा प्रत्येक चलित देयक के साथ अदेयता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार⁶⁰, (फरवरी 2003), ठेकेदारों के अंतिम देयक का भुगतान उस कार्य के लिये जिला कलेक्टर से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा, इसमें विफल होने पर देयकों में से काटी गई रॉयल्टी को संबंधित खनिज शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के चयनित समस्त संभागों में नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्न का अवलोकन किया:

तालिका 2.6.3: खनिज विभाग से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त न किया जाना

(₹ करोड़ में)

विभाग	संभागों की संख्या	2016-17 से 2018-19 के दौरान अंतिम रूप दिए गए अनुबंधों की संख्या	अदेयता प्रमाणपत्र के बिना अंतिम रूप दिये गये अनुबंधों की संख्या	सम्मिलित रॉयल्टी की राशि
लोक निर्माण विभाग	18	183	156	30.74
जल संसाधन विभाग	13	105	102	15.41
योग		288	258	46.15

(स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर)

इस प्रकार, 2016-17 से 2018-19 के दौरान दोनों विभागों में कुल 288 अनुबंधों में से 258 अनुबंधों को, जिसमें रॉयल्टी के ₹ 46.15 करोड़ सम्मिलित है, को जिला कलेक्टर से रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अंतिम रूप दिया गया, जैसा कि परिशिष्ट 2.6.4 में विवरण दिया गया है।

शासन (लोक निर्माण विभाग) ने अपने उत्तर (अगस्त 2020) में बताया कि जनवरी 2014 से पहले पुराने निविदा दस्तावेजों में खनिज संसाधन विभाग से रॉयल्टी की अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था और, संभागों ने सूचित किया था कि उन्होंने गौण खनिजों के वास्तविक खपत के अनुसार रॉयल्टी शुल्क की कटौती और जमा किया था एवं शासन के पक्ष में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

⁶⁰ म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक. एफ-23/4/2003/जी-19 दिनांक 03 फरवरी 2003।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम और खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना (मार्च 2013) और आदेश (मार्च 2018) यह निर्धारित करते हैं कि अंतिम देयक के भुगतान से पहले ठेकेदार से रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। इन प्रकरणों में, विभाग ने रॉयल्टी की अपेक्षित राशि में कटौती किए बिना अंतिम देयकों का भुगतान किया।

2.6.3.5 काटी गई रॉयल्टी को सिविल जमा शीर्ष में रखना

आगे यह देखा गया कि लोक निर्माण विभाग⁶¹ के 13 और जल संसाधन विभाग⁶² के छः संभागों में, अंतिम रूप दिए गए 95 अनुबंधों में ₹ 9.24 करोड़ की रॉयल्टी एवं अंतिम रूप दिए गए 42 अनुबंधों में ₹ 2.89 करोड़ की रॉयल्टी (मार्च 2016 से जनवरी 2020 के मध्य अंतिम रूप दिया गया) का ठेकेदारों के देयक से कटौती किया गया और संबंधित राजस्व शीर्ष में उन्हें जमा करने के स्थान पर, सिविल जमा शीर्ष में रखा गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6.5** में दिया गया है।

उत्तर में शासन (लोक निर्माण विभाग) ने बताया कि, खनिज संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, निर्माण विभागों को अंतिम देयक के निपटान होने तक रॉयल्टी की राशि जमा शीर्ष में रखनी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के खनिज संसाधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2013 एवं आदेश दिनांक 22 मार्च 2019 के अनुसार, रॉयल्टी की काटी गई राशि शासकीय खातों में जमा की जानी चाहिए।

2.6.3.6 गौण खनिजों के मूल्य की बाजार दर पर कटौती न होना।

- खनिज संसाधन विभाग के आदेश⁶³ (मार्च 2018) के अनुसार, ठेकेदारों को मोबाइल नंबर, नाम, पता, वस्तु एवं सेवा कर संख्या, ईमेल इत्यादि जैसी जानकारी प्रस्तुत करके ऑनलाइन पोर्टल⁶⁴ के माध्यम से खनिज संसाधन विभाग में स्वयं को पंजीकृत करना था तथा प्रत्येक चल देयक के साथ रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र जमा करना था जिसमें असफल होने पर, उनसे गौण खनिजों की बाजार दर वसूल की जाएगी।
- लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान अवलोकित किया कि मार्च 2018 के बाद विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के समस्त 18 संभागों में और जल संसाधन विभाग के 13 संभागों में से नौ⁶⁵ संभागों में, संबंधित विभागों द्वारा क्रमशः ₹ 1,364.88 करोड़ की राशि के 337 अनुबंधों और ₹ 1,655.33 करोड़ की राशि के 70 अनुबंधों (अनुबंध राशि ₹ 50 लाख से अधिक) को सौंपा गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6.6** में दिया गया है। दोनों विभागों में किसी भी अनुबंध में खनिज संसाधन विभाग के साथ ठेकेदारों का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, चयनित संभागों द्वारा किसी की भी निविदा आमंत्रण सूचना या अनुबंधों में खनिज संसाधन विभाग के निर्देशों को सम्मिलित नहीं किया गया था।
- दोनों विभागों में आगे यह देखा गया कि ठेकेदारों ने न तो खनिज संसाधन विभाग के साथ स्वयं को पंजीकृत कराया और न ही प्रत्येक चलित देयक के साथ रॉयल्टी की अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसलिए, ठेकेदारों से गौण खनिजों के लिए बाजार दर से वसूली की जानी थी। दोनों विभागों की नमूना इकाइयों के नमूना जाँच के परिणाम नीचे **तालिका 2.6.4** में दिए गए हैं

⁶¹ आगर-मालवा, अलीराजपुर, बुधनी, बुरहानपुर, धार, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, राजगढ़, रतलाम, सागर, शिवपुरी और उमरिया।

⁶² गंजबसौदा, रतलाम, शाजापुर, सिहोर, शिवपुरी और टीकमगढ़।

⁶³ आदेश क्रमांक. एफ 14-10/2018/12/1 दिनांक 15 मार्च 2018।

⁶⁴ <https://ekhanij.mp.gov.in>.

⁶⁵ बुरहानपुर, गंजबसौदा, जबलपुर, राजगढ़, रतलाम, सिहोर, शाजापुर, सिगरौली और उमरिया।

तालिका 2.6.4: बाजार दर से रॉयल्टी की वसूली न किया जाना

(मात्रा घ.मी. एवं ₹ करोड़ों में)

विभाग	अवलोकनाधीन अनुबंधों की संख्या	गौण खनिजों की मात्रा जिनके लिये बाजार दर से वसूली नहीं की गई		बाजार दर से वसूली न की गई राशि	निर्धारित मूल्य ₹ 100 से वसूली की गई रॉयल्टी	वसूली की जाने वाली कुल राशि
		गिट्टी	रेत			
लोक निर्माण विभाग	18 संभागों के 113 अनुबंध	6,89,580.66	59,948.04	41.32	7.49	33.83
जल संसाधन विभाग	7 ⁶⁶ संभागों के 22 अनुबंध	92,544.02	63,674.34	9.15	1.56	7.59
योग		7,82,124.68	1,23,622.38	50.47	9.05	41.42

(स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर)

इस प्रकार, 135 अनुबंधों में बाजार दर के अनुसार कुल वसूली योग्य राशि ₹ 50.47 करोड़ में से, केवल ₹ 9.05 करोड़ की राशि ही दोनों विभागों द्वारा वसूली गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.6.7 में दिया गया है।

शासन (लोक निर्माण विभाग) ने उत्तर में (अगस्त 2020) बताया कि अनुबंध के अनुसार, लोक निर्माण कार्यों में वास्तव में खपत की जाने वाली सामग्री के लिए रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। इसलिए, ठेकेदार को अलग से शासकीय नियमों को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है एवं अवैध खनन और राजस्व के रिसाव की संभावना को रोकना विभागीय कर्तव्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनिज संसाधन विभाग के आदेश (मार्च 2018) के अनुसार संबंधित विभागों का ठेकेदारों से बाजार दर से वसूली करने का दायित्व था।

2.6.3.7 लोक निर्माण विभाग में संघनीकृत मात्रा को स्वीकृत करने के कारण रॉयल्टी की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 (4) के अनुसार, कार्य में निकाले गए और/या उपभोग किए गए खनिजों की मात्रा पर रॉयल्टी भुगतान योग्य है। लोक निर्माण विभाग के दरों की अनुसूची के अनुसार, बिटुमिनस बेस और सरफेस कोर्स के प्रत्येक संघनीकृत घनमीटर के लिए लगभग 1.4 घनमीटर लूज मात्रा (उपयोग की गयी मात्रा) की आवश्यकता होगी। भारतीय सड़क कांग्रेस 37 के अनुसार, आधार परत वेट मिक्स मेकेडम (डब्ल्यू.एम.एम.), वाटर बाउंड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.), क्रशर रन मेकेडम (सी.आर.एम.) तथा रिक्लेमड कंक्रीट आदि का बना होता है। इस प्रकार, कार्य में खपत किए गए खनिजों की वास्तविक मात्रा पर ठेकेदार से रॉयल्टी वसूली योग्य है न कि संघनीकृत मात्रा⁶⁷ पर।

लोक निर्माण विभाग के 18 संभागों के 270 अनुबंधों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के 17⁶⁸ संभागों के 213 अनुबंधों में, ठेकेदारों ने सड़कों के निर्माण कार्य में 27,56,163.55 घन मीटर जी.एस.बी./डब्ल्यू.एम.एम./सी.आर.एम.⁶⁹ की संघनीकृत मात्रा का कार्यान्वयन किया था। दरों की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, संघनीकृत मात्रा का 1.4 गुना लूज मात्रा होती है, अर्थात् 38,58,628.96 घनमीटर गौण खनिज की लूज मात्रा की वास्तव में इन कार्यों में खपत हुई थी। इस प्रकार, ठेकेदारों से ₹ 100 प्रति घन मीटर की दर से, ₹ 38.59 करोड़ की रॉयल्टी काटी जानी

⁶⁶ गंजबसौदा, जबलपुर, रतलाम, सिहोर, शाजापुर, सिंगरौली और उमरिया संभाग के 70 अनुबंध अवलोकित किये गये।

⁶⁷ संघनीकृत मात्रा वह मात्रा है जिस पर ठेकेदार को भुगतान होता है।

⁶⁸ आगर मालवा, अलीराजपुर, बुधनी, बुरहानपुर, धार, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, रतलाम, रीवा, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, राजगढ़, शिवपुरी और गुना।

⁶⁹ ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.), वेट मिक्स मेकेडम (डब्ल्यू.एम.एम.) और क्रशर रन मेकेडम (सी.आर.एम.)।

थी। तथापि, यह देखा गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों की लूज मात्रा के स्थान पर जी.एस.बी./डब्ल्यू.एम.एम./सी.आर.एम. की संघनीकृत मात्रा पर केवल ₹ 27.56 करोड़ की रॉयल्टी काटी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.03 करोड़ की कम रॉयल्टी की कटौती की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6.8** में दिया गया है।

शासन (लोक निर्माण विभाग) ने उत्तर में (अगस्त 2020) बताया कि भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी की गणना संघनीकृत मात्रा में की जानी है और पैरा में की गई गणना गलत प्रतीत होती है क्योंकि सी.आर.एम. को उसी श्रेणी में लिया गया है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देश केवल किसी कार्य की क्रियान्वित मदों की माप लेने और उसके भुगतान के लिए है, न की रॉयल्टी गणना के लिए। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के अनुसार, कार्यों में खपत किए गए खनिजों की वास्तविक मात्रा पर रॉयल्टी देय है।

2.6.4 निष्कर्ष


निर्माण कार्य विभागों ने ठेकेदारों के देयकों से निर्धारित दरों पर गौण खनिजों के उपयोग पर रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित नहीं की; न ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गौण खनिजों के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारियों से रॉयल्टी के अदेयता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर जोर दिया। जहां ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की राशि की कटौती की गई थी, कई प्रकरणों में, यह राशि शासन के खाते में संबंधित शीर्ष में तुरंत जमा नहीं की गई थी। आगे, खनिज संसाधन विभाग के आदेशों से विचलन में, ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में अपना विवरण दर्ज नहीं करने के बावजूद भी निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों पर बाजार दर से वसूली नहीं की गई।

भोपाल
दिनांक: 19 अप्रैल 2021

बि. क. मु.
(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 17 मई 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

लोक लेखा समिति द्वारा जारी सिफारिश प्रतिवेदनों की सूची जिसके संबंध में विभागों द्वारा कार्याव्ययन लंबित है

(संदर्भ : कंडिका 1.6.5)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सिविल)	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कण्डिका संख्या	कुल कंडिकाएं
लोक निर्माण विभाग					
2003-04	चौदहवीं	2015-16	49	4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3	04
2004-05	चौदहवीं	2015-16	52	3.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.5.3	04
2005-06	चौदहवीं	2016-17	360	3.7, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7	04
2007-08	चौदहवीं	2017-18	435	4.5.4	01
2009-10	चौदहवीं	2015-16	80	2.2.2	01
2010-11	चौदहवीं	2016-17	375	3.4.3	01
कुल					15
जल संसाधन विभाग					
2005-06	चौदहवीं	2016-17	360	3.4	01
2007-08	चौदहवीं	2016-17	433	4.2.6, 3.4	02
2008-09	चौदहवीं	2016-17	436	2.2.2, 2.3.2	02
2009-10	चौदहवीं	2016-17	389	1.2, 1.3, 2.1.8, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7	06
2010-11	चौदहवीं	2016-17	377	2.5, 3.2.4, 3.2.5	03
कुल					14
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण					
2005-06	चौदहवीं	2015-16	255	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1	04
2010-11	चौदहवीं	2017-18	444	2.3, 3.4.2	02
2011-12	चौदहवीं	2016-17	394	2.3, 4.1.6, 4.3.2	03
कुल					09
पशु पालन विभाग					
2005-06	चौदहवीं	—	53	5.1	01
कुल					01
वन विभाग					
2006-07	चौदहवीं	—	365	3.2	01
2010-11	चौदहवीं	—	378	3.3.1	01
कुल					02
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग					
2006-07	चौदहवीं	—	3	3.6, 4.1.2, 4.5.3	03
कुल					03
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग					
2008-09	चौदहवीं	—	369	2.1.3	01
कुल					01
सहकारिता विभाग					
2012-13	चौदहवीं	—	396	2.2	01
कुल					01
सकल योग					46

परिशिष्ट 2.2.1
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां
(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.1(i))

स. क्र.	जिले का नाम/ इकाई का नाम	वर्ष	योजना									
			सूरजधारा					अन्नपूर्णा				
			लक्ष्य		उपलब्धियां			लक्ष्य		उपलब्धियां		
			वित्तीय (लाख में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हितग्राही)	भौतिक (हेक्टेयर में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हितग्राही)	भौतिक (हेक्टेयर में)
1	उप संचालक कृषि खरगोन	2016-17	134.87	6,744	132.03	10,898	8,968	133.98	6,699	125.74	15,740	8,635
		2017-18	238.20	15,880	265.01	20,746	17,780	269.65	5,970	267.19	25,204	17,977
		2018-19	257.77	17,185	312.74	14,318	20,919	267.97	17,865	289.29	24,400	19,288
2	उप संचालक कृषि धार	2016-17	150.00	7,500	148.42	6,407	7,421	160.00	8,000	146.82	8,000	7,341
		2017-18	155.41	10,360	151.00	8,416	10,066	179.13	11,942	138.64	7,271	9,242
		2018-19	234.33	15,622	229.22	14,405	15,281	284.20	18,947	278.99	22,151	18,599
3	उप संचालक कृषि बड़वानी	2016-17	100.00	5,000	96.59	5,268	1,782	80.00	4,000	71.10	8,909	5,632
		2017-18	95.23	6,348	94.87	5,751	2,123	80.61	5,374	77.93	7,621	4,161
		2018-19	89.83	5,988	87.58	5,079	2,198	73.08	4,872	71.72	7,453	3,562
4	उप संचालक कृषि अलीराजपुर	2016-17	80.00	4,000	67.66	3,702	1,610	100.00	5,000	89.81	554	3,859
		2017-18	86.15	5,743	86.16	5,130	4,215	71.65	4,777	70.04	6,044	3,813
		2018-19	156.22	10,415	151.06	5,130	5,210	121.80	8,120	102.56	2,765	1,475
5	उप संचालक कृषि झाबुआ	2016-17	120.00	6,000	117.76	7,380	2,145	125.00	6,250	114.85	12,993	5,337
		2017-18	120.47	8,031	120.73	8,695	2,190	134.35	8,957	134.40	12,365	5,596
		2018-19	136.70	9,113	133.51	9,115	3,894	146.17	9,745	143.13	10,110	6,047
6	उप संचालक कृषि शाजापुर	2016-17	27.50	1,376	27.48	1,824	623	27.50	1,375	26.69	2,045	874
		2017-18	27.52	1,835	27.51	2,694	635	27.07	1,805	27.07	3,439	952
		2018-19	33.79	2,253	34.49	3,032	347	27.00	1,800	27.51	2,813	508
7	उप संचालक कृषि कटनी	2016-17	120.00	6,000	57.34	6,156	6,000	150.00	7,500	108.02	9,768	7,500
		2017-18	114.75	7,650	113.55	8,180	7,610	143.28	9,552	137.29	9,875	3,845
		2018-19	101.55	6,770	97.39	7,088	4,285	129.92	8,662	128.12	8,662	4,183
8	उप संचालक कृषि राजगढ़	2016-17	75.00	3,750	67.32	6,478	1,530	100.00	5,000	91.03	12,602	3,752
		2017-18	76.30	5,087	75.90	9,614	2,156	98.48	6,565	97.14	6,961	3,172

स. क्र.	जिले का नाम/ इकाई का नाम	वर्ष	योजना									
			सूरजधारा					अन्नपूर्णा				
			लक्ष्य		उपलब्धियां			लक्ष्य		उपलब्धियां		
			वित्तीय (लाख में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हितग्राही)	भौतिक (हेक्टेयर में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हितग्राही)	भौतिक (हेक्टेयर में)
		2018-19	85.92	5,728	84.66	6,997	1,982	89.32	5,955	87.44	6,408	2,875
9	उप संचालक कृषि नीमच	2016-17	120.00	6,000	108.56	7,333	2,224	68.40	3,420	63.29	6,601	1,760
		2017-18	129.97	8,532	115.54	6,706	2,460	73.87	4,925	77.56	5,412	2,023
		2018-19	119.51	7,967	112.07	8,369	2,596	81.20	5,413	80.17	6,300	2,332
10	उप संचालक कृषि हरदा	2016-17	80.00	4,000	79.96	3,189	1,366	80.00	4,000	76.47	5,814	1,392
		2017-18	77.40	5,160	77.71	2,378	475	78.80	5,253	78.39	2,652	1,059
		2018-19	75.77	5,051	75.26	5,763	1,617	78.77	5,251	77.51	3,462	2,301
11	उप संचालक कृषि अशोकनगर	2016-17	35.00	1,750	33.14	2,231	446	33.00	1,650	29.68	3,672	734
		2017-18	36.00	2,400	26.03	2,396	463	34.02	2,268	28.50	4,348	870
		2018-19	34.37	2,292	26.90	6,490	1,298	33.95	2,263	31.91	4,997	999
12	उप संचालक कृषि श्योपुर	2016-17	56.80	2,840	55.56	2,910	2,916	40.00	2,000	36.61	3,187	2,060
		2017-18	61.92	4,128	55.10	1,587	2,345	37.61	2,507	24.29	1,410	2,507
		2018-19	54.68	3,645	34.23	511	2,372	36.54	2,436	34.80	834	1,762
13	उप संचालक कृषि डिण्डोरी	2016-17	150.00	7,500	129.96	9,097	5,784	150.00	7,500	120.78	12,112	5,793
		2017-18	140.62	9,375	129.75	7,954	6,898	144.18	9,612	127.65	11,721	7,111
		2018-19	144.50	9,634	141.58	10,540	10,265	151.85	10,123	145.00	10,477	9,622
14	उप संचालक कृषि अनूपपुर	2016-17	84.00	4,200	76.44	7,872	1,608	115.00	5,750	104.64	9,668	4,063
		2017-18	76.28	5,085	81.11	5,463	3,005	106.35	7,090	106.24	7,110	4,847
		2018-19	78.11	5,207	57.68	3,806	1,571	101.50	6,767	97.09	8,001	4,289
15	उप संचालक कृषि नरसिंहपुर	2016-17	60.00	3,000	59.98	2,877	1,062	60.00	3,000	55.41	7,157	2,867
		2017-18	89.20	5,947	89.02	4,718	1,164	80.58	5,372	76.94	4,162	1,624
		2018-19	78.11	5,207	42.29	2,405	969	73.08	4,872	59.56	3,135	1,317
16	उप संचालक कृषि सिवनी	2016-17	92.00	4,600	82.80	4,156	1,839	95.00	4,750	85.48	6,856	4,942
		2017-18	83.11	5,540	82.77	5,538	3,270	74.64	4,776	74.40	5,888	3,968
		2018-19	71.87	4,791	68.95	4,607	3,044	66.58	4,439	55.21	4,615	2,915
17	उप संचालक कृषि शिवपुरी	2016-17	150.00	7,500	138.73	8,244	8,144	110.00	5,500	92.91	5,849	3,245
		2017-18	147.24	9,816	148.24	9,846	3,691	111.92	7,462	111.75	8,532	4,233
		2018-19	140.60	9,373	141.60	9,360	9,221	113.68	7,579	113.68	8,362	6,208

स. क्र.	जिले का नाम/ इकाई का नाम	वर्ष	योजना									
			सूरजधारा					अन्नपूर्णा				
			लक्ष्य		उपलब्धियां			लक्ष्य		उपलब्धियां		
			वित्तीय (लाख में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हितग्राही)	भौतिक (हेक्टेयर में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हितग्राही)	भौतिक (हेक्टेयर में)
18	उप संचालक कृषि जबलपुर	2016-17	80.00	4,000	79.53	6,426	3,066	80.00	4,000	76.76	5,718	3,086
		2017-18	88.68	5,912	88.34	6,470	5,881	89.58	5,870	88.88	6,423	5,955
		2018-19	93.73	6,249	92.28	6,104	6,176	97.45	6,496	95.36	6,501	6,422
19	उप संचालक कृषि सागर	2016-17	70.00	3,500	36.90	4,730	1,860	100.00	5,000	92.89	18,550	4,700
		2017-18	75.82	5,055	31.28	8,725	2,150	89.54	5,970	34.63	6,360	2,350
		2018-19	70.30	4,687	44.84	10,800	3,020	81.20	5,413	69.63	5,400	4,760
20	उप संचालक कृषि भिण्ड	2016-17	70.00	3,500	68.94	10,543	3,468	90.00	4,500	75.64	8,831	4,450
		2017-18	67.53	4,505	67.55	11,226	4,505	89.52	5,968	89.24	9,954	5,968
		2018-19	65.62	4,375	59.81	8,562	4,375	92.57	6,172	89.37	7,919	6,172
योग			5,966.3	3,66,701	5620.41	4,02,435	2,47,584	6060.5	3,60,099	5630.8	4,72,143	278,930
वर्षवार योग		2016.17	1,855.17	92,760	1665.10	1,17,721	63,862	1897.88	94,894	1684.62	1,64,626	82,022
		2017.18	1,987.80	1,32,389	1927.17	1,42,233	83,082	2014.83	1,22,015	1868.17	1,52,752	91,272
		2018.19	2,123.28	1,41,552	2028.14	1,42,481	1,00,640	2147.83	1,43,190	2078.05	1,54,765	105,636

परिशिष्ट 2.2.2

घटकवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2016-17 से 2018-19

(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.1 (i))

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष	योजना का नाम	बीज अदला-बदली		स्वावलम्बन		बीज उत्पादन	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	खरगोन	2016-17	सूरजधारा	134.87	132.03	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	133.98	125.74	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	238.20	265.01	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	269.65	267.19	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2018-19	सूरजधारा	257.77	312.74	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	267.97	289.29	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	धार	2016-17	सूरजधारा	150.00	148.42	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	160.00	146.82	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	155.41	151.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	179.13	138.64	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2018-19	सूरजधारा	234.33	229.22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	284.20	278.99	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	बड़वानी	2016-17	सूरजधारा	100.00	96.59	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	80.00	71.10	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	95.23	94.87	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	80.61	77.93	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2018-19	सूरजधारा	89.83	87.58	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	73.08	71.72	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	अलीराजपुर	2016-17	सूरजधारा	80.00	67.66	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	निरंक	निरंक	100.00	89.81	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	निरंक	निरंक	86.15	86.16	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	निरंक	निरंक	71.65	70.04	निरंक	निरंक
		2018-19	सूरजधारा	निरंक	निरंक	156.22	151.06	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	निरंक	निरंक	121.80	102.56	निरंक	निरंक
5	झाबुआ	2016-17	सूरजधारा	120.00	117.76	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	125.00	114.85	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	120.47	120.73	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	134.35	134.40	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2018-19	सूरजधारा	136.70	133.51	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	146.17	143.13	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	शाजापुर	2016-17	सूरजधारा	निरंक	निरंक	27.50	27.48	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	निरंक	निरंक	27.50	19.90	निरंक	6.78
		2017-18	सूरजधारा	27.52	3.22	निरंक	22.18	निरंक	2.11
			अन्नपूर्णा	27.07	2.74	निरंक	16.96	निरंक	7.37
		2018-19	सूरजधारा	निरंक	निरंक	33.79	34.49	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	निरंक	निरंक	27.00	27.52	निरंक	निरंक
7	कटनी	2016-17	सूरजधारा	82.80	43.39	37.21	13.95	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	114.00	81.02	36.00	27.01	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	82.69	83.16	32.06	30.39	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	104.87	102.97	38.41	34.31	निरंक	निरंक
		2018-19	सूरजधारा	76.81	73.04	24.72	24.35	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	97.76	96.09	32.17	32.03	निरंक	निरंक
8	राजगढ़	2016-17	सूरजधारा	75.00	67.32	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	100.00	91.03	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2017-18	सूरजधारा	76.30	75.90	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष	योजना का नाम	बीज अदला-बदली		स्वावलम्बन		बीज उत्पादन	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
17	अनूपपुर	2016.17	सूरजधारा	84.00	76.44	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	115.00	103.77	निरंक	0.86	निरंक	निरंक
		2017.18	सूरजधारा	76.28	80.68	निरंक	0.43	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	106.35	106.12	निरंक	0.13	निरंक	निरंक
		2018.19	सूरजधारा	78.11	57.68	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्नपूर्णा	101.50		97.09	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
18	सिवनी	2016.17	सूरजधारा	92.00	42.77	निरंक	13.02	निरंक	27.01
			अन्नपूर्णा	95.00	59.03	निरंक	2.96	निरंक	23.49
		2017.18	सूरजधारा	83.11	निरंक	निरंक	82.77	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	74.65	57.90	निरंक	16.50	निरंक	निरंक
		2018.19	सूरजधारा	71.87	54.67	निरंक	13.16	निरंक	1.11
अन्नपूर्णा	66.58		43.73	निरंक	11.03	निरंक	0.46		
19	शिवपुरी	2016.17	सूरजधारा	150.00	125.72	निरंक	13.01	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	110.00	87.57	निरंक	5.34	निरंक	निरंक
		2017.18	सूरजधारा	147.24	148.24	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	111.92	111.75	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2018.19	सूरजधारा	140.60	141.60	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्नपूर्णा	113.68		113.68	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
20	नरसिंहपुर	2016.17	सूरजधारा	60.00	59.98	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	60.00	55.41	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2017.18	सूरजधारा	89.20	89.02	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			अन्नपूर्णा	80.58	76.94	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2018.19	सूरजधारा	78.11	42.29	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्नपूर्णा	73.06		59.55	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
कुल योग				10,010.65	8,710.65	2,016.14	2,469.00	0.00	71.59
कुल व्यय				11,251.24			11,251.24		11,251.24
घटक के अंतर्गत व्यय				8,710.65			2,469.00		71.59
विशेष घटक में व्यय का प्रतिशत				77.42			21.94		0.64

परिशिष्ट 2.2.3
बीजों के वितरण में विलंब
(संदर्भ: कड़िका 2.2.4.2 (ii))

स.क्र.	कार्यालय/जिले का नाम	वर्ष	विलंब (दिनों में)	टिप्पणियाँ
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-19	03-81	100 दिनों तक की देरी
2	डी.डी.ए. धार	2016-19	01-187	100 दिनों से अधिक की देरी
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-19	01-82	100 दिनों तक की देरी
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-19	01-274	100 दिनों से अधिक की देरी
5	डी.डी.ए. कटनी	2016-19	10-127	100 दिनों से अधिक की देरी
6	डी.डी.ए. राजगढ़	2016-19	07-50	50 दिनों तक की देरी
7	डी.डी.ए. नीमच	2016-19	03-35	50 दिनों तक की देरी
8	डी.डी.ए. हरदा	2016-19	18-58	100 दिनों तक की देरी
9	डी.डी.ए. शिवपुरी	2016-19	10-56	100 दिनों तक की देरी
10	डी.डी.ए. अशोकनगर	2016-19	23-36	50 दिनों तक की देरी
11	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-19	10-37	50 दिनों तक की देरी
12	डी.डी.ए. डिंडौरी	2016-19	08-15	50 दिनों तक की देरी
13	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-19	15-35	50 दिनों तक की देरी
14	डी.डी.ए. नरसिंहपुर	2016-19	19-56	100 दिनों तक की देरी
15	डी.डी.ए. सिवनी	2016-19	40-70	100 दिनों तक की देरी
16	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-19	20-34	50 दिनों तक की देरी
17	डी.डी.ए. सागर	2016-19	14-59	100 दिनों तक की देरी
18	डी.डी.ए. भिंड	2016-19	10-58	100 दिनों तक की देरी

परिशिष्ट 2.2.4

विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर बीजों का क्रय और अधिक वसूल किया गया
कृषक अंश

(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.2 (iii))

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्यालय का नाम/जिला	वर्ष	बीज क्रय के समय अधिक लागत का भुगतान	अधिक वसूल किया गया कृषक अंश
1	डी.डी.ए, खरगोन	2016-17	124.93	31.23
		2017-18	84.24	21.06
		2018-19	113.5	28.38
2	डी.डी.ए, धार	2016-17	124.02	31.01
		2017-18	94.86	23.72
		2018-19	100.25	25.06
3	डी.डी.ए, बड़वानी	2016-17	0	0.00
		2017-18	18.9261	4.73
		2018-19	20.50	5.13
4	डी.डी.ए, अलीराजपुर	2016-17	29.02	7.26
		2017-18	71.76	17.94
		2018-19	60.43	15.11
5	डी.डी.ए, झाबुआ	2016-17	27.00	6.75
		2017-18	4.41	1.10
		2018-19	42.37	10.59
6	डी.डी.ए, नीमच	2016-17	31.02	7.75
		2017-18	8.20	2.05
		2018-19	15.50	3.87
7	डी.डी.ए, हरदा	2016-17	4.37	1.09
		2017-18	1.23	0.30
		2018-19	37.05	9.26
8	जबलपुर	2016-17	20.81	5.20
		2017-18	6.01	1.50
		2018-19	1.58	0.40
9	सागर	2016-17	9.20	2.30
		2017-18	1.36	0.34
		2018-19	0.00	0.00
10	भिंड	2016-17	10.48	2.62
		2017-18	0	0.00
		2018-19	0	0.00
कुल			1,063.04	265.74

परिशिष्ट 2.2.5
अपात्र किसानों को बीजों का वितरण
(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.2 (iv))

स.क.	इकाई का नाम	वर्ष	योजना का नाम	अवलोकित प्रकरणों की संख्या
1	डी.डी.ए शाजापुर	2016-19	अन्नपूर्णा	329
2	डी.डी.ए बड़वानी	2016-19	सूरजधारा	57
3	डी.डी.ए धार	2016-19	सूरजधारा	29
4	डी.डी.ए खरगोन	2016-19	अन्नपूर्णा	59
5	डी.डी.ए अशोकनगर	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	5
6	डी.डी.ए श्योपुर	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	60
7	डी.डी.ए डिंडौरी	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	59
8	डी.डी.ए नरसिंहपुर	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	64
9	डी.डी.ए सिवनी	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	54
10	डी.डी.ए कटनी	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	35
11	डी.डी.ए राजगढ़	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	45
12	डी.डी.ए हरदा	2016-19	अन्नपूर्णा / सूरजधारा	51
कुल				847

परिशिष्ट 2.2.6

बीज परीक्षण के लक्ष्य प्राप्त न होना/विलंबित परीक्षण प्रतिवेदन

(संदर्भ: कडिका 2.2.4.3)

स.क्र.	जिला / इकाई का नाम	वर्ष	फसल	परीक्षण के लिए लक्ष्य	लिये गये नमूनों की संख्या	परीक्षण के लिए भेजे गये नमूनों की संख्या	कृषकों को बीज वितरण की तिथि	नमूना भेजे जाने की तिथि	परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति	बीज वितरण के दिनांक के पश्चात नमूना परीक्षण परिणाम में विलंब	प्राप्त परिणामों की संख्या	मानक	अवमानक
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	रबी	125	109	109	10-अक्टूबर	27.10.16 से 28.12.16	26.11.16 से 24.01.17	46 से 60	109	95	14
			खरीफ	130	149	149	15-जून	31.5.16 से 01.07.16	21.07.16 से 29.07.16	36 से 142	149	134	15
		2017-18	श्रबी	140	116	116	10- अक्टूबर	08.11.17 से 2.1.18	28.11.17 से 25.01.18	48 से 105	116	104	12
			खरीफ	180	188	188	15- अक्टूबर	16.05.17 से 27.06.17	01.06.17 से 28.07.17	43	185	174	11
		2018-19	रबी	150	118	118	10- अक्टूबर	15.10.18 से 30.11.18	13.11.18 से 08.01.19	33 से 88	118	106	12
			खरीफ	200	201	201	15-जून	24.05.18 से 13.01.18	06.06.18 से 07.08.18	52	201	198	3
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	रबी	120	82	82	10- अक्टूबर	10.10.16 से 31.01.17	29.10.16 से 03.03.17	19 से 143	82	78	4
			खरीफ	120	117	117	15-जून	11.07.16 से 29.07.16	05.08.16 से 16.08.16	50 से 61	117	110	7
		2017-18	रबी	170	100	100	10- अक्टूबर	14.10.17 से 30.12.17	15.11.17 से 20.11.17	35 से 40	100	85	15
			खरीफ	180	126	126	15-जून	30.05.17 से 11.07.17	19.07.17 से 09.08.17	34 से 54	126	100	26
		2018-19	रबी	170	113	113	10- अक्टूबर	19.10.18 से 24.12.18	25.11.18 से 14.01.19	45 से 95	113	108	5
			खरीफ	180	168	168	15-जून	06.06.18 से 06.07.18	03.07.18 से 20.08.18	18 से 61	168	157	11
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	रबी	75	74	74	10- अक्टूबर	21.11.16 से 03.01.17	02.12.16 से 24.01.17	52 से 104	74	61	13
			खरीफ	100	95	95	15-जून	16.06.16 से 13.07.16	20.7.16 से 21.07.16	35 से 36	95	90	5
		2017-18	रबी	130	59	59	10- अक्टूबर	03.11.17 से 28.12.17	16.11.17 से 15.01.18	36 से 95	59	50	9
			खरीफ	150	144	144	15-जून	01.06.17 से 21.06.17	04.07.17 से 12.07.17	19 से 27	144	141	3
		201-19	रबी	125	76	76	10- अक्टूबर	03.11.18 से 08.01.19	12.12.18 से 27.01.19	19 से 105	76	67	9
			खरीफ	175	154	154	15-जून	14.06.18 से 27.06.18	27.06.18 से 03.08.18	12 से 48	154	147	7
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-17	रबी	30	31	31	10- अक्टूबर	26.10.16 से 01.12.16	11.11.16 से 24.12.16	15 से 84	31	25	6
			खरीफ	40	35	35	15-जून	13.06.16 से 11.08.16	18.06.16 से 11.08.16	03 से 58	31	29	2
		2017-18	रबी	50	47	47	10- अक्टूबर	30.10.16 से 02.11.17	11.11.17 से 05.12.17	31 से 55	47	36	11
			खरीफ	60	45	45	15-जून	23.06.17 से 27.07.17	07.07.17 से 18.08.17	22 से 63	45	45	0
		2018-19	रबी	50	1	1	10- अक्टूबर	10.12.18	08.01.19	88	1	1	0
			खरीफ	75	76	76	15-जून	18.06.18 से 17.07.18	06.07.18 से 10.08.18	21 से 27	76	71	5

स.क्र.	जिला / इकाई का नाम	वर्ष	फसल	परीक्षण के लिए लक्ष्य	लिये गये नमूनों की संख्या	परीक्षण के लिए भेजे गये नमूनों की संख्या	कृषकों को बीज वितरण की तिथि	नमूना भेजे जाने की तिथि	परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति	बीज वितरण के दिनांक के पश्चात नमूना परीक्षण परिणाम में विलंब	प्राप्त परिणामों की संख्या	मानक	अवमानक
5	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-17	रबी	45	47	47	10- अक्टूबर	20.10.16 से 21.12.16	23.11.16 से 07.01.17	43 से 87	47	37	10
			खरीफ	45	65	65	15-जून	08.06.16 से 01.07.16	18.07.16 से 05.08.16	33 से 50	65	58	7
		2017-18	रबी	80	80	80	10- अक्टूबर	10.10.17 से 09.01.18	08.11.17 से 15.01.18	38 से 105	80	72	8
			खरीफ	100	100	100	15-जून	24.05.17 से 21.07.17	13.06.17 से 24.07.17	39	100	82	18
		2018-19	रबी	100	100	100	10- अक्टूबर	04.10.18 से 21.11.18	30.10.18 से 21.01.19	20 से 101	100	91	9
			खरीफ	120	120	120	15-जून	17.05.18 से 20.07.18	04.06.18 से 10.08.18	55	120	115	5
6	डी.डी.ए. शाजापुर	2016-17	रबी	80	55	55	10- अक्टूबर	09.11.16	14.12.16 से 06.02.17	64 से 126	55	42	13
			खरीफ	80	63	62	15-जून	16.06.16	05.07.16 से 09.08.16	20 से 54	63	58	5
		2017-18	रबी	140	94	94	10- अक्टूबर	25.10.17 से 16.11.17	13.11.17 से 12.02.17	33 से 62	94	84	10
			खरीफ	100	65	65	15-जून	21.06.2017 से 22.09.17	11.07.17 से 29.09.17	26 से 104	64	58	6
		2018-19	रबी	140	61	61	10- अक्टूबर	2.11.18 से 29.12.18	06.12.18 से 10.01.19	56 से 90	61	61	0
			खरीफ	100	52	52	15-जून	-	-	-	52	50	2
7	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-17	खरीफ	20	16	16	15-जून	15.7.16	03.08.16	48	16	11	5
			रबी	20	15	15	10- अक्टूबर	7.11.16	02.12.16	52	15	8	7
		2017-18	खरीफ	50	13	13	15-जून	7.7.17	31.07.17	46	13	13	0
			रबी	50	19	19	10- अक्टूबर	16.11.17	19.12.17	69	19	18	1
		2018-19	खरीफ	50	37	37	15-जून	31.7.18	23.08.18	68	37	35	2
			रबी	50	35	35	10- अक्टूबर	30.11.18	19.12.18	69	35	33	2
8	डी.डी.ए. डिंडोरी	2016-17	खरीफ	35	32	32	15-जून	01.07.16	27.07.16	42	32	31	1
			रबी	30	31	31	10- अक्टूबर	07.11.16	05.12.16	55	31	30	1
		2017-18	खरीफ	50	39	39	15-जून	07.07.17	01.09.17	75	39	39	0
			खरीफ	60	47	47	10- अक्टूबर	24.11.17	16.01.18	96	47	47	0
		2018-19	रबी	50	55	55	15-जून	24.07.18	24.08.18	69	55	54	1
			रबी	60	61	61	10- अक्टूबर	30.11.18	26.12.18	76	61	61	0
9	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-17	खरीफ	45	45	45	15-जून	26.08.16	26.08.16	51	45	37	8
			रबी	40	28	28	10- अक्टूबर	26.12.16	24.01.17	103	28	25	3
		2017-18	खरीफ	80	59	59	15-जून	27.07.17	26.08.17	71	59	59	0
			रबी	60	50	50	10- अक्टूबर	01.11.17	28.11.17	48	50	50	0
		2018-19	खरीफ	75	60	60	15-जून	23.07.18	21.08.18	66	60	55	5

स.क्र.	जिला / इकाई का नाम	वर्ष	फसल	परीक्षण के लिए लक्ष्य	लिये गये नमूनों की संख्या	परीक्षण के लिए भेजे गये नमूनों की संख्या	कृषकों को बीज वितरण की तिथि	नमूना भेजे जाने की तिथि	परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति	बीज वितरण के दिनांक के पश्चात नमूना परीक्षण परिणाम में विलंब	प्राप्त परिणामों की संख्या	मानक	अवमानक
			रबी	60	54	54	10- अक्टूबर	22.12.18	18.01.19	98	54	54	0
10	डी.डी.ए. सिवनी	2016-17	खरीफ	80	52	52	15-जून	29.06.16	05.08.16	50	42	41	1
			रबी	70	50	50	10-अक्टूबर	12.12.16	09.01.17	89	50	45	5
		2017-18	खरीफ	80	46	46	15-जून	07.07.17	10.08.17	55	40	40	0
			रबी	70	52	52	10- अक्टूबर	11.12.17	10.01.18	90	52	52	0
		2018-19	खरीफ	100	58	58	15-जून	03.08.18	07.09.18	82	46	46	0
			रबी	90	31	31	10- अक्टूबर	21.12.18	24.12.18	74	7	7	0
11	डी.डी.ए. कटनी	2016-17	खरीफ	60	37	37	15-जून	11.07.16	03.08.16 से 30.08.16	48 से 68	37	34	3
			रबी	45	35	35	10-अक्तू	21.10.16 से 03.11.16	30.11.16 से 05.12.16	50 से 55	35	32	3
		2017-18	खरीफ	60	54	54	15-जून	-	-	-	54	54	0
			रबी	45	45	45	10- अक्टूबर	-	-	-	45	45	0
		2018-19	खरीफ	75	60	60	15-जून	25.06.18 से 12.07.18	21.08.18	66	57	53	4
			रबी	75	45	45	10- अक्टूबर	10.07.18 से 31.12.18	-	-	45	45	0
12	डी.डी.ए. राजगढ़	2016-17	खरीफ	60	60	60	15-जून	09.06.16 से 02.08.16	19.07.16 से 03.09.16	34 से 78	61	58	3
			रबी	80	69	69	10- अक्टूबर	04.11.16 से 17.11.16	21.11.16 से 19.12.16	31 से 59	69	62	7
		2017-18	खरीफ	80	65	65	15-जून	02.06.17	29.09.17	104	65	61	4
			रबी	100	56	56	10- अक्टूबर	01.11.17 से 09.02.18	23.11.17 से 04.04.18	13 से 143	56	52	4
		2018-19	खरीफ	80	50	50	15-जून	18.06.18 से 26.06.18	31.08.18	76	50	49	1
			रबी	100	57	57	10- अक्टूबर	30.10.18	22.11.18	42	57	55	2
13	डी.डी.ए. नीमच	2016-17	खरीफ	70	39	39	15-जून	09.06.16 से 02.08.16	19.07.16 से 03.09.16	34 से 78	39	32	7
			रबी	55	20	20	10- अक्टूबर	04.11.16 से 18.11.16	06.12.16 से 13.12.16	56 से 63	20	19	1
		2017-18	खरीफ	120	56	56	15-जून	05.07.17	02.08.17	47	56	54	2
			रबी	100	50	50	10- अक्टूबर	30.10.17	08.12.17	58	50	47	3
		2018-19	खरीफ	120	61	61	15-जून	21.06.18 से 25.06.18	16.07.18 से 08.08.18	31 से 53	61	55	6
			रबी	100	77	77	10- अक्टूबर	31.10.18 से 05.11.18	06.11.18 से 26.12.18	26 से 76	77	71	6
14	डी.डी.ए. हरदा	2016-17	खरीफ	80	77	74	15-जून	31.05.16 से 16.06.16	27.06.16 से 01.07.16	12 से 16	74	71	3
			रबी	65	45	45	10- अक्टूबर	27.12.16 से 29.12.16	02.01.17 से 11.01.17	82 से 91	45	33	12
		2017-18	खरीफ	130	118	118	15-जून	05.06.17 से 28.07.17	17.6.17 से 17.0.17	02 से 60	118	100	18
			रबी	100	100	100	10- अक्टूबर	17.10.17 से 13.12.17	08.11.17 से 28.12.17	28 से 78	100	86	14

स.क्र.	जिला / इकाई का नाम	वर्ष	फसल	परीक्षण के लिए लक्ष्य	लिये गये नमूनों की संख्या	परीक्षण के लिए भेजे गये नमूनों की संख्या	कृषकों को बीज वितरण की तिथि	नमूना भेजे जाने की तिथि	परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त	बीज वितरण के दिनांक के पश्चात नमूना परीक्षण परिणाम में विलंब	प्राप्त परिणामों की संख्या	मानक	अवमानक
		2018-19	खरीफ	150	146	146	15-जून	22.05.18 से 22.06.18	06.06.18 से 06.07.18	21	146	135	11
			रबी	125	111	111	10- अक्टूबर	01.10.18 से 14.11.18	16.10.18 से 11.12.18	6 से 61	111	102	9
15	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-17	खरीफ	60	51	51	10- अक्टूबर	22.10.16 से 28.03.17	17.11.16 से 18.04.17	7 से 128	51	50	1
			रबी	60	61	61	15-जून	30.06.16 से 30.07.16	30.07.16 से 23.08.16	47 से 70	61	61	0
		2017-18	खरीफ	80	72	72	10- अक्टूबर	23.10.17 से 27.01.18	07.12.17 से 18.01.18	57 से 98	64	64	0
			रबी	70	57	57	15-जून	19.06.17 से 21.08.17	17.07.17 से 15.09.17	32 से 90	57	56	1
		2018-19	खरीफ	100	89	89	10- अक्टूबर	05.10.18 से 03.12.18	15.11.18 से 29.12.18	35 से 79	89	87	2
			रबी	150	85	85	15-जून	22.06.18 से 28.07.18	28.07.18 से 30.07.18	43 से 45	85	81	4
16	डी.डी.ए. सागर	2016-17	खरीफ	80	81	81	10- अक्टूबर	20.10.16 से 21.11.16	03.11.16 से 04.04.17	23 से 174	79	66	13
			रबी	80	69	69	15-जून	-	-	-	67	64	3
		2017-18	रबी	120	107	107	10- अक्टूबर	28.10.17 से 31.12.17	17.11.17 से 16.01.18	37 से 96	107	100	7
			खरीफ	100	83	83	15-जून	19.06.17 से 10.07.17	05.07.17 से 09.08.17	20 से 54	82	73	9
		2018-19	रबी	120	110	110	10- अक्टूबर	16.10.18 से 15.11.18	15.11.18 से 02.01.19	35 से 85	110	101	9
			खरीफ	100	74	74	15-जून	02.06.18 से 25.07.18	26.07.18 से 20.08.18	41 से 75	74	67	7
17	डी.डी.ए. भिंड	2016-17	रबी	45	43	43	10- अक्टूबर	17.10.16 से 01.12.16	11.11.16 से 31.12.16	31 से 91	43	32	11
			खरीफ	40	34	34	15-जून	25.06.16	04.08.16	49	34	33	1
		2017-18	रबी	80	64	64	10- अक्टूबर	-	-	-	64	64	0
			खरीफ	70	56	56	15-जून	-	-	-	56	56	0
		2018-19	रबी	75	48	48	10- अक्टूबर	13.11.18 से 14.12.18	11.12.18 से 02.01.19	61 से 92	48	38	10
			खरीफ	75	62	62	15-जून	29.06.18 से 24.07.18	26.07.18 से 04.08.18	41 से 59	62	59	3
				9,010	7,090	7,086					7,012	6,468	544

परिशिष्ट 2.2.7

कृषक अंश का कोषालय में जमा न किया जाना

(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.4 (i))

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्यालय/जिले का नाम	वर्ष	कृषक अंश जो जमा करना था	जमा किया गया कृषक अंश	जमा करने हेतु लंबित कृषक अंश
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	53.07	53.07	0.00
		2017-18	110.46	107.24	3.22
		2018-19	131.89	131.72	0.17
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	33.22	30.81	2.41
		2017-18	33.66	30.22	3.44
		2018-19	113.69	103.13	10.56
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	39.39	33.40	5.99
		2017-18	36.40	34.64	1.76
		2018-19	33.84	31.02	2.82
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-17	108.50	51.41	57.09
		2017-18			
		2018-19			
5	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-17	51.59	47.57	4.02
		2017-18	53.15	50.39	2.76
		2018-19	63.25	58.20	5.05
6	डी.डी.ए. कटनी	2016-17	38.91	40	0
		2017-18	65.78	53.78	12
		2018-19	56.37	38.21	18.16
7	डी.डी.ए. राजगढ़	2016-17	40.96	42.31	0
		2017-18	41.96	39.32	2.64
		2018-19	43.34	37.65	5.69
8	डी.डी.ए. नीमच	2016-17	42.03	39.2	2.83
		2017-18	41.44	41.32	0.12
		2018-19	44.72	39.8	4.92
कुल			1,277.62	1,134.42	145.65

परिशिष्ट 2.2.8
कोशालय में कृषक अंश जमा करने में विलंब
(संदर्भ: कड़िका 2.2.4.4 (ii))

स. क्र.	कार्यालय/जिले का नाम	वर्ष	जमा कृषक अंश	कृषक अंश जमा किये जाने में विलंब (माह)
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	53.07	01-05
		2017-18	107.24	
		2018-19	131.72	
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	30.81	01-36
		2017-18	30.22	
		2018-19	103.13	
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	33.40	01-05
		2017-18	34.64	
		2018-19	31.02	
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-17	51.41	05-36
5	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-17	47.57	01-14
		2017-18	49.39	
		2018-19	58.20	
6	डी.डी.ए. कटनी	2016-17	40.00	01-27
		2017-18	53.78	
		2018-19	38.21	
7	डी.डी.ए. राजगढ़	2016-17	42.31	01-11
		2017-18	38.92	
		2018-19	37.65	
8	डी.डी.ए. नीमच	2016-17	39.20	01-09
		2017-18	41.32	
		2018-19	39.80	
9	डी.डी.ए. हरदा	2016-17	37.38	01-14
		2017-18	35.79	
		2018-19	37.26	
10	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-17	23.04	3-36
		2017-18	19.84	3-16
11	डी.डी.ए. डिंडौरी	2016-17	62.68	2-11
		2017-18	64.35	3-9
		2018-19	71.65	3-8
12	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-17	45.27	29
13	डी.डी.ए. सिवनी	2016-17	42.06	3-9
		2017-18	39.29	3-9
		2018-19	31.04	3-9
14	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-19	136.65	01-11
15	डी.डी.ए. सागर	2016-19	75.22	01-07
16	डी.डी.ए. भिंड	2016-19	114.73	01-09
कुल			1,969.27	

परिशिष्ट 2.2.9

जमा कृषक अंश के लिए एम.पी.टी.सी.-6 में रसीद जारी न किया जाना

(संदर्भ: कडिका 2.2.4.4 (iii))

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्यालय/ जिले का नाम	वर्ष	प्राप्त कृषक अंश के विरुद्ध एम.पी.टी.सी.-6 जारी नहीं की गई
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	53.07
		2017-18	107.24
		2018-19	131.72
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	30.81
		2017-18	30.22
		2018-19	103.13
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	33.40
		2017-18	34.64
		2018-19	31.02
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-19	51.41
5	डी.डी.ए. शाजापुर	2016-19	42.35
6	डी.डी.ए. कटनी	2016-17	40.00
		2017-18	53.78
		2018-19	38.21
7	डी.डी.ए. राजगढ़	2016-17	42.31
		2017-18	38.92
		2018-19	37.65
8	डी.डी.ए. नीमच	2016-17	39.20
		2017-18	41.32
		2018-19	39.80
9	डी.डी.ए. हरदा	2016-17	37.38
		2017-18	35.79
		2018-19	37.26
10	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-17	23.04
		2017-18	19.85
		2018-19	17.26
11	डी.डी.ए. डिंडौरी	2016-17	62.66
		2017-18	64.35
		2018-19	71.65
12	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-17	45.27
		2017-18	46.84
		2018-19	38.69
13	डी.डी.ए. सिवनी	2016-17	42.06
		2017-18	39.29
		2018-19	31.04
14	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-17	49.56
		2017-18	41.74
		2018-19	45.35
15	डी.डी.ए. सागर	2016-17	30.13
		2017-18	16.32
		2018-19	28.77
16	डी.डी.ए. भिंड	2016-17	36.51
		2017-18	39.01
		2018-19	39.21
कुल			1,959.22

परिशिष्ट 2.2.10

रोकड़ बही का संधारण न किया जाना

(संदर्भ: कंडिका 2.2.4. (iv))

स.क्र.	कार्यालय/ जिले का नाम	वर्ष	जमा कृषक अंश	रोकड़ बही में प्रविष्टियां न किया जाना
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	53.07	53.07
		2017-18	107.24	107.24
		2018-19	131.72	131.72
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	30.81	30.81
		2017-18	30.22	30.22
		2018-19	103.13	103.13
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	33.40	33.40
		2017-18	34.64	34.64
		2018-19	31.02	31.02
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-19	51.41	51.41
5	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-17	47.57	47.57
		2017-18	49.39	49.39
		2018-19	58.20	58.20
6	डी.डी.ए. शाजापुर	2016-19	42.35	42.35
7	डी.डी.ए. कटनी	2016-17	40.00	40.00
		2017-18	53.78	53.78
		2018-19	38.21	38.21
8	डी.डी.ए. राजगढ़	2016-17	42.31	42.31
		2017-18	38.92	38.92
		2018-19	37.65	37.65
9	डी.डी.ए. नीमच	2016-17	39.20	39.20
		2017-18	41.32	41.32
		2018-19	39.80	39.80
10	डी.डी.ए. हरदा	2016-17	37.38	37.38
		2017-18	35.79	35.79
		2018-19	37.26	37.26
11	डी.डी.ए. अशोकनगर	2016-17	13.63	13.63
		2017-18	15.70	15.70
		2018-19	14.70	14.70
12	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-17	23.04	23.04
		2017-18	19.85	19.85
		2018-19	17.26	17.26
13	डी.डी.ए. डिंडौरी	2016-17	62.66	62.66
		2017-18	64.35	64.35
		2018-19	71.65	71.65
14	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-17	45.27	45.27
		2017-18	46.84	46.84
		2018-19	38.69	38.69
15	डी.डी.ए. नरसिंहपुर	2016-17	28.84	28.84
		2017-18	41.48	41.48
		2018-19	25.46	25.46
16	डी.डी.ए. सिवनी	2016-17	42.06	42.06
		2017-18	39.29	39.29
		2018-19	31.04	31.04

स.क्र.	कार्यालय/ जिले का नाम	वर्ष	जमा कृषक अंश	रोकड़ बही में प्रविष्टियां न किया जाना
17	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-17	49.56	49.56
		2017-18	41.74	41.74
		2018-19	45.35	45.35
18	डी.डी.ए. सागर	2016-17	30.13	30.13
		2017-18	16.32	16.32
		2018-19	28.77	28.77
19	डी.डी.ए. भिंड	2016-17	36.51	36.51
		2017-18	39.01	39.01
		2018-19	39.21	39.21
		कुल	2,254.20	2,254.20

परिशिष्ट 2.2.11

चालानों का कोषालय अभिलेख से सत्यापन न किया जाना

(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.4 (v))

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्यालय/ जिले का नाम	वर्ष	चालान की कुल राशि जो कोषालय से सत्यापित नहीं हुई
1	डी.डी.ए. धार	2016-19	2.51
2	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-19	2.92
3	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-19	0.31
4	डी.डी.ए. शाजापुर	2016-19	5.32
5	डी.डी.ए. नीमच	2016-19	60.70
6	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-19	0.71
7	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-19	0.23
8	डी.डी.ए. सिवनी	2016-19	2.18
9	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-19	42.58
10	डी.डी.ए. भिण्ड	2016-19	21.32
कुल			138.77

परिशिष्ट 2.2.12
कर्मचारियों की स्थिति
(संदर्भ: कडिका 2.2.4.5 (ii))

स. क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	स्वीकृत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति का प्रतिशत	जन शक्ति में कमी	जन शक्ति में कमी का प्रतिशत
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	279	222	79.57	57	20.43
		2017-18	279	219	78.49	60	21.51
		2018-19	279	218	78.14	61	21.86
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	392	273	69.64	119	30.36
		2017-18	392	285	72.70	107	27.30
		2018-19	392	283	72.19	109	27.81
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	214	149	69.63	65	30.37
		2017-18	214	153	71.50	61	28.50
		2018-19	214	155	72.43	59	27.57
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-17	180	105	58.33	75	41.67
		2017-18	180	88	48.89	92	51.11
		2018-19	180	89	49.44	91	50.56
5	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-17	237	165	69.62	72	30.38
		2017-18	237	149	62.87	88	37.13
		2018-19	237	148	62.45	89	37.55
6	डी.डी.ए. शाजापुर	2016-17	194	89	45.88	105	54.12
		2017-18	194	77	39.69	117	60.31
		2018-19	194	75	38.66	119	61.34
7	डी.डी.ए. अशोकनगर	2016-17	137	82	59.85	55	40.15
		2017-18	137	74	54.01	63	45.99
		2018-19	137	72	52.55	65	47.45
8	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-17	106	55	51.89	51	48.11
		2017-18	106	49	46.23	57	53.77
		2018-19	106	45	42.45	61	57.55
9	डी.डी.ए. डिंडोरी	2016-17	130	52	40.00	78	60.00
		2017-18	131	49	37.40	82	62.60
		2018-19	131	46	35.11	85	64.89
10	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-17	184	79	42.93	105	57.07
		2017-18	184	69	37.50	115	62.50
		2018-19	184	70	38.04	114	61.96
11	डी.डी.ए. नरसिंहपुर	2016-17	146	92	63.01	54	36.99
		2017-18	146	81	55.48	65	44.52
		2018-19	146	72	49.32	74	50.68
12	डी.डी.ए. सिवनी	2016-17	164	86	52.44	78	47.56
		2017-18	164	74	45.12	90	54.88
		2018-19	168	73	43.45	95	56.55
13	डी.डी.ए. जबलपुर	2016-17	313	174	55.59	139	44.41
		2017-18	313	168	53.67	145	46.33
		2018-19	313	168	53.67	145	46.33
14	डी.डी.ए. सागर	2016-17	421	246	58.43	175	41.57
		2017-18	421	228	54.16	193	45.84
		2018-19	421	228	54.16	193	45.84
15	डी.डी.ए. भिंड	2016-17	293	182	62.12	111	37.88
		2017-18	293	166	56.66	127	43.34
		2018-19	293	159	54.27	134	45.73

स. क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	स्वीकृत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति का प्रतिशत	जन शक्ति में कमी	जन शक्ति में कमी का प्रतिशत
16	कटनी	2016-17	248	80	32.26	168	67.64
		2017-18	248	100	40.32	148	59.68
		2018-19	248	80	32.26	168	67.74
17	राजगढ़	2016-17	273	131	47.99	142	52.01
		2017-18	273	131	47.99	142	52.01
		2018-19	273	99	36.26	174	63.74
18	नीमच	2016-17	158	71	44.94	87	55.06
		2017-18	158	70	44.30	88	55.70
		2018-19	158	53	33.54	105	66.46
19	हरदा	2016-17	114	60	52.63	54	47.37
		2017-18	114	54	47.37	60	52.63
		2018-19	114	49	42.98	65	57.02
कुल			4,188	2,182			

परिशिष्ट 2.2.13

एस.ए.डी.ओ., ए.डी.ओ., आर.ए.ई.ओ. कर्मचारियों की स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.2.4.5 (ii))

स. क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	पदनाम	स्वीकृत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति का प्रतिशत	जन शक्ति में कमी	जन शक्ति में कमी का प्रतिशत
1	डी.डी.ए. खरगोन	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	14	6	42.86	8	57.14
			ए.डी.ओ.	25	15	60.00	10	40.00
			आर.ए.ई.ओ.	143	136	95.10	7	4.90
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	14	6	42.86	8	57.14
			ए.डी.ओ.	25	15	60.00	10	40.00
			आर.ए.ई.ओ.	143	133	93.01	10	6.99
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	14	6	42.86	8	57.14
			ए.डी.ओ.	25	15	60.00	10	40.00
			आर.ए.ई.ओ.	143	132	92.31	11	7.69
2	डी.डी.ए. धार	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	22	10	45.45	12	54.55
			ए.डी.ओ.	47	27	57.45	20	42.55
			आर.ए.ई.ओ.	170	143	84.12	27	15.88
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	22	8	36.36	14	63.64
			ए.डी.ओ.	47	26	55.32	21	44.68
			आर.ए.ई.ओ.	170	159	93.53	11	6.47
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	22	9	40.91	13	59.09
			ए.डी.ओ.	47	24	51.06	23	48.94
			आर.ए.ई.ओ.	170	157	92.35	13	7.65
3	डी.डी.ए. बड़वानी	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	9	5	55.56	4	44.44
			ए.डी.ओ.	24	17	70.83	7	29.17
			आर.ए.ई.ओ.	83	71	85.54	12	14.46
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	9	5	55.56	4	44.44
			ए.डी.ओ.	24	17	70.83	7	29.17
			आर.ए.ई.ओ.	83	75	90.36	8	9.64
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	9	5	55.56	4	44.44
			ए.डी.ओ.	24	16	66.67	8	33.33
			आर.ए.ई.ओ.	83	75	90.36	8	9.64
4	डी.डी.ए. अलीराजपुर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	12	5	41.67	7	58.33
			ए.डी.ओ.	19	7	36.84	12	63.16
			आर.ए.ई.ओ.	74	61	82.43	13	17.57
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	12	3	25.00	9	75.00
			ए.डी.ओ.	19	5	26.32	14	73.68
			आर.ए.ई.ओ.	74	48	64.86	26	35.14
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	12	3	25.00	9	75.00
			ए.डी.ओ.	19	5	26.32	14	73.68
			आर.ए.ई.ओ.	74	48	64.86	26	35.14
5	डी.डी.ए. झाबुआ	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	10	7	70.00	3	30.00
			ए.डी.ओ.	24	11	45.83	13	54.17
			आर.ए.ई.ओ.	95	79	83.16	16	16.84
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	10	5	50.00	5	50.00
			ए.डी.ओ.	24	9	37.50	15	62.50
			आर.ए.ई.ओ.	95	74	77.89	21	22.11
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	10	5	50.00	5	50.00
			ए.डी.ओ.	24	9	37.50	15	62.50
			आर.ए.ई.ओ.	95	75	78.95	20	21.05

स. क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	पदनाम	स्वीकृत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति का प्रतिशत	जन शक्ति में कमी	जन शक्ति में कमी का प्रतिशत
6	डी.डी.ए. शाजापुर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	8	5	62.50	3	37.50
			ए.डी.ओ.	19	5	26.32	14	73.68
			आर.ए.ई.ओ.	94	42	44.68	52	55.32
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	8	4	50.00	4	50.00
			ए.डी.ओ.	19	3	15.79	16	84.21
			आर.ए.ई.ओ.	94	36	38.30	58	61.70
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	8	4	50.00	4	50.00
			ए.डी.ओ.	19	3	15.79	16	84.21
			आर.ए.ई.ओ.	94	34	36.17	60	63.83
7	डी.डी.ए. अशोकनगर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	9	7	77.78	2	22.22
			ए.डी.ओ.	14	3	21.43	11	78.57
			आर.ए.ई.ओ.	90	61	67.78	29	32.22
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	9	5	55.56	4	44.44
			ए.डी.ओ.	14	1	7.14	13	92.86
			आर.ए.ई.ओ.	90	56	62.22	34	37.78
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	9	5	55.56	4	44.44
			ए.डी.ओ.	14	1	7.14	13	92.86
			आर.ए.ई.ओ.	90	50	55.56	40	44.44
8	डी.डी.ए. श्योपुर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	4	3	75.00	1	25.00
			ए.डी.ओ.	10	6	60.00	4	40.00
			आर.ए.ई.ओ.	69	37	53.62	32	46.38
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	4	2	50.00	2	50.00
			ए.डी.ओ.	10	6	60.00	4	40.00
			आर.ए.ई.ओ.	69	32	46.38	37	53.62
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	4	2	50.00	2	50.00
			ए.डी.ओ.	10	3	30.00	7	70.00
			आर.ए.ई.ओ.	69	31	44.93	38	55.07
9	डी.डी.ए. अनूपपुर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	9	4	44.44	5	55.56
			ए.डी.ओ.	14	2	14.29	12	85.71
			आर.ए.ई.ओ.	83	43	51.81	40	48.19
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	9	2	22.22	7	77.78
			ए.डी.ओ.	14	2	14.29	12	85.71
			आर.ए.ई.ओ.	83	40	48.19	43	51.81
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	9	2	22.22	7	77.78
			ए.डी.ओ.	14	2	14.29	12	85.71
			आर.ए.ई.ओ.	83	41	49.40	42	50.60
10	डी.डी.ए. नरसिंहपुर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	8	6	75.00	2	25.00
			ए.डी.ओ.	2	0	0.00	2	100.00
			आर.ए.ई.ओ.	115	68	59.13	47	40.87
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	8	6	75.00	2	25.00
			ए.डी.ओ.	2	0	0.00	2	100.00
			आर.ए.ई.ओ.	115	57	49.57	58	50.43
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	8	6	75.00	2	25.00
			ए.डी.ओ.	2	0	0.00	2	100.00
			आर.ए.ई.ओ.	115	52	45.22	63	54.78
11	डी.डी.ए. सिवनी	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	12	9	75	3	25
			ए.डी.ओ.	2	1	50.00	1	50.00
			आर.ए.ई.ओ.	164	86	52.44	78	47.56
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	12	9	75	3	25
			ए.डी.ओ.	2	1	50.00	1	50.00

स. क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	पदनाम	स्वीकृत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति का प्रतिशत	जन शक्ति में कमी	जन शक्ति में कमी का प्रतिशत
			आर.ए.ई.ओ.	164	74	45.12	90	54.88
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	12	9	75	3	25
			ए.डी.ओ.	2	1	50.00	1	50.00
			आर.ए.ई.ओ.	164	73	44.51	91	55.49
12	जबलपुर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	10	8	80	2	20
			ए.डी.ओ.	32	6	18.75	26	81.25
			आर.ए.ई.ओ.	156	88	56.41	68	43.59
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	10	9	90	1	10
			ए.डी.ओ.	32	7	21.88	25	78.13
			आर.ए.ई.ओ.	156	89	57.05	67	42.95
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	10	9	90	1	10
			ए.डी.ओ.	32	7	21.88	25	78.13
			आर.ए.ई.ओ.	156	88	56.41	68	43.59
13	भिंड	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	12	12	100	0	0
			ए.डी.ओ.	24	17	70.83	7	29.17
			आर.ए.ई.ओ.	148	94	63.51	54	36.49
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	12	12	100	0	0
			ए.डी.ओ.	24	10	41.67	14	58.33
			आर.ए.ई.ओ.	148	87	58.78	61	41.22
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	12	12	100	0	0
			ए.डी.ओ.	24	9	37.50	15	62.50
			आर.ए.ई.ओ.	148	82	55.41	66	44.59
14	सागर	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	21	13	61.90	8	38.10
			ए.डी.ओ.	41	10	24.39	31	75.61
			आर.ए.ई.ओ.	217	159	73.27	58	26.73
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	21	11	52.38	10	47.62
			ए.डी.ओ.	41	12	29.27	29	70.73
			आर.ए.ई.ओ.	217	141	64.98	76	35.02
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	21	11	52.38	10	47.62
			ए.डी.ओ.	41	12	29.27	29	70.73
			आर.ए.ई.ओ.	217	141	64.98	76	35.02
15	नीमच	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	6	1	16.67	5	83.33
			ए.डी.ओ.	13	6	46.15	7	53.85
			आर.ए.ई.ओ.	79	38	48.10	41	51.90
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	6	1	16.67	5	83.33
			ए.डी.ओ.	13	5	38.46	8	61.54
			आर.ए.ई.ओ.	79	38	48.10	41	51.90
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	6	1	16.67	5	83.33
			ए.डी.ओ.	13	1	7.69	12	92.31
			आर.ए.ई.ओ.	79	30	37.97	49	62.03
16	हरदा	2016-17	एस.ए.डी.ओ.	6	4	66.67	2	33.33
			ए.डी.ओ.	16	6	37.50	10	62.50
			आर.ए.ई.ओ.	34	23	67.65	11	32.35
		2017-18	एस.ए.डी.ओ.	6	5	83.33	1	16.67
			ए.डी.ओ.	16	3	18.75	13	81.25
			आर.ए.ई.ओ.	34	21	61.76	13	38.24
		2018-19	एस.ए.डी.ओ.	6	2	33.33	4	66.67
			ए.डी.ओ.	16	1	6.25	15	93.75
			आर.ए.ई.ओ.	34	21	61.76	13	38.24

स. क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	पदनाम	स्वीकृत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति	कार्यरत जन शक्ति का प्रतिशत	जन शक्ति में कमी	जन शक्ति में कमी का प्रतिशत
17	राजगढ़	2018-19	एस.ए.डी.ओ.	9	4	44.44	5	55.56
			ए.डी.ओ.	25	3	12.00	22	88.00
			आर.ए.ई.ओ.	164	57	34.76	107	65.24
सारांश								
	कुल	एस.ए.डी.ओ.		181	95	52.49	86	47.51
	जिलों की संख्या			17				
	कुल	ए.डी.ओ.		351	112	31.91	239	68.09
	जिलों की संख्या			17				
	कुल	आर.ए.ई.ओ.		1,978	1,187	60.01	791	39.99
	जिलों की संख्या			17				

परिशिष्ट 2.3.1

क्षेत्रीय संरचना द्वारा बांधों के निरीक्षण और समीक्षा में विसंगतियां

(संदर्भ: कडिका 2.3.3.1 (अ))

स. क्र	संभाग का नाम	बांधों की संख्या	तीन वर्षों में किए गए प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून निरीक्षण			तीन वर्षों में संचालित प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून के निरीक्षणों की समीक्षा			निर्दिष्ट कार्मिकों से निम्नतर द्वारा निरीक्षण किए गए बांधों की संख्या
			अपेक्षित	संचालित	विलंबित	अपेक्षित	संचालित	विलंबित	
1	बैतूल ¹	88	528	213	22	528	24	0	22
2	डबरा ²	109	654	38	20	654	34	28	निरंक
3	देवास	80	480	83	33	480	0	0	1
4	गांधी सागर	40	240	21	1	234	9	0	1
5	गुना	31	182	25	11	182	25	2	निरंक
6	कटनी	89	534	42	18	534	20	8	निरंक
7	मन्दसौर	68	374	98	2	374	80	32	8
8	मुरैना	11	66	0	0	66	0	0	निरंक
9	सागर	132	780	57	25	780	17	0	4
10	सिवनी	65	390	27	5	390	7	0	2
11	मुलताई	70	414	255	152	414	0	0	2
12	देवलोद	2	12	9	0	6	0	0	0
13	सीधी	25	150	63	0	150	33	0	0
14	इटारसी	11	66	31	0	66	29	0	0
15	केवलारी	2	12	12	2	12	9	0	0
16	दतिया	8	48	32	0	48	0	0	0
कुल		831	4,930	1,006	291	4,918	287	70	40

- ¹ कार्यपालन यंत्री बैतूल ने एक ही दिन (23.05.2018) में 24 बांधों का प्री- मानसून निरीक्षण किया। कार्यपालन यंत्री बैतूल ने एक ही दिन (06.11.2018) में 21 बांधों का पोस्ट-मानसून निरीक्षण भी किया।
- ² पोस्ट-मानसून निरीक्षण के साथ-साथ तिगरा बांध और हरसी बांध की समीक्षा उसी दिन यानी 24.01.2019 और 17.02.2019 को कार्यपालन यंत्री, हरसी, डबरा द्वारा की गई।

परिशिष्ट 2.3.2

**छोटे बांधों के कार्यान्वयन प्रतिवेदन तैयार न करने और अग्रेषित न करने का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.3.2 (iii))**

स. क्र.	संभाग का नाम	छोटे बांधों की संख्या	कार्यपालन यंत्रि द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट	रिपोर्ट डी.एस.ओ को भेजी गई
1	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, सिवनी	10	नहीं	नहीं
2	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, कटनी	40	नहीं	नहीं
3	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, मन्दसौर	42	नहीं	नहीं
4	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, मुरैना	11	नहीं	नहीं
5	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, बैतूल	11	नहीं	नहीं
6	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, देवास	54	नहीं	नहीं
7	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, सागर	77	नहीं	नहीं
8	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, डबरा	91	नहीं	नहीं
9	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, गुना	15	नहीं	नहीं
10	कार्यपालन यंत्रि, गांधी सागर बांध, मन्दसौर	13	नहीं	नहीं
11	कार्यपालन यंत्रि, तवा परियोजना संभाग, इटारसी	5	नहीं	नहीं
12	कार्यपालन यंत्रि, महान नहर संभाग, सीधी	1	नहीं	नहीं
13	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, मुलताई	3	नहीं	नहीं
14	कार्यपालन यंत्रि, वित्तिका स.क्र. 9 दतिया	5	नहीं	नहीं
कुल बांध		378		

परिशिष्ट 2.3.3

प्राक्कलनों को तैयार न करने और कमियों को सुधारने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.3.3.4 (i))

स. क्र	संभाग	क्षेत्रीय संरचना द्वारा निरीक्षण किए गए बांधों की संख्या	तैयार किए गए प्राक्कलनों की संख्या	स्वीकृत और सुधार किए गए प्राक्कलनों की संख्या	बांध का नाम और विलंब (वर्ष)	वर्ष		बांधों के विलंब से सुधार कार्य	
						प्राक्कलन	सुधार कार्य	विलंब वर्ष में	बांधों की संख्या
1	बैतूल	7	1	1	—	—	—	0	0
2	डबरा	0	0	0	—	—	—	0	0
3	देवास	38	38	38	—	—	—	0	0
4	गांधी सागर	3	3	3	बिल्ली	2016	2019	3	2
					रलायता	2015	2016	1	
5	गुना	0	0	0	—	—	—	0	0
6	कटनी	7	7	7	—	—	—	0	0
7	मन्दसौर	2	2	2	—	—	—	0	0
8	मुरैना	0	0	0	—	—	—	0	0
9	सागर	13	4	0	तड़ा	2015	2017	2	6
					मोकुलपुर	2017	2018	1	
					सनोधा	2017	2018	1	
					घोघरा	2016	2019	3	
					महुना	2016	2019	3	
					गंगा सागर	2016	2019	3	
10	सिवनी	3	3	2	बरेलीपार	2014	2017	3	2
					लखनादौन	2015	2018	3	
11	मुलताई	0	0	0	—	—	—	0	0
12	देवलोंद	1	1	0	—	—	—	0	0
13	सीधी	0	0	0	—	—	—	0	0
14	इटारसी	1	0	0	—	—	—	0	0
15	केवलारी	0	0	0	—	—	—	0	0
16	दतिया	0	0	0	—	—	—	0	0
कुल		75	59	53					10

परिशिष्ट 2.3.4

बांधों में सुधार न करने का विवरण जिनके लिए प्राक्कलन तैयार किए गए

(संदर्भ: कंडिका 2.3.3.4 (i) (ब))

स.क्र.	संभाग का नाम	बांध का नाम	क्षेत्रीय संरचना द्वारा की गई अनुशंसा / तिथि	प्राक्कलन तैयार किए गए	क्या कार्य किया गया	सुधारात्मक कार्य न करने का संभावित प्रभाव	सुधार न करने के कारण
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग 1, सागर	सनोधा वियर	नींव भराई के साथ फर्श और पिचिंग कार्य का सुधार कार्य और विंग वाल के बाईं ओर दाईं ओर एवं गाइड बंड के बाईं ओर पत्थर की पिचिंग। 2. वियर की मुख्य दीवार में शॉट क्रीट। 3. तटबंध में रॉक फिल।	हाँ	आंशिक	भारी बाढ़ की अवधि में क्षरण की अवस्था, पूरे वियर की विफलता का कारण हो सकता है।	नींव भराई के और स्टोन पिचिंग, शॉटक्रीट, रॉक फिल तटबंध को भरने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को क्रियान्वित किए बिना अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया।
2	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग 1, सागर	गंगा सागर	डाउनस्ट्रीम में मिट्टी कार्य की मरम्मत, अपस्ट्रीम में पिचिंग, हेड स्लुइस का पुनर्निर्माण, वेस्ट-वियर का निर्माण और एप्रोच एवं स्पिल चैनल में मिट्टी का कार्य।	हाँ	आंशिक	बंड और अतिप्रवाह अनुभाग की क्षरणता।	डाउनस्ट्रीम बंड एप्रोच और स्पिल चैनल में मिट्टी का सुधार कार्य, बांध और अपस्ट्रीम बंड में पिचिंग, हेडस्लूज का पुनर्निर्माण, वेस्ट वियर का निर्माण अब तक ठेकेदार द्वारा नहीं किए गए।
3	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग 1, सिवनी	लखनादौन टैंक	फ्लश बार एवं गाइड बंड की मरम्मत।	हाँ	नहीं	वेस्ट वियर का क्षरण डाउनस्ट्रीम में नदी में बाढ़ को नियंत्रित करने में असक्षम हो सकता है।	फ्लश बार निर्माण के बिना ठेकेदार की मृत्यु के कारण अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया।

परिशिष्ट 2.3.5

एस.डी.एस.ओ. की अनुशंसाओं पर प्राक्कलनों की स्वीकृति में विलंब का विवरण

(संदर्भ: कडिका 2.3.3.4 (ii))

स. क्र.	बांध का नाम	जल संसाधन संभाग	निरीक्षण माह / वर्ष	प्राक्कलन प्रस्तुत करने की तिथि	प्राक्कलन तैयार करने में विलंब (माह)	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति में देरी (माह में)	सुधार में विलंब (जनवरी -2020 तक)
1	रानीपुर	बैतूल	सितम्बर-17	फरवरी-18	4	स्वीकृत नहीं	24	27
2	पाढ़र		सितम्बर-17	फरवरी-18	4	स्वीकृत नहीं	24	27
3	गोंडीधाना		सितम्बर-17	फरवरी-18	4	स्वीकृत नहीं	24	27
4	गुरड़िया सूरदास	देवास	दिसंबर-17	फरवरी-18	0	स्वीकृत नहीं	24	25
5	पगारा	मुरैना	जुलाई -17	मई-19	22	स्वीकृत नहीं	8	30
6	हिनीती	कटनी	दिसंबर-17	मार्च-18	2	स्वीकृत नहीं	23	24
7	बहोरीबंद		दिसंबर-17	मार्च-18	2	स्वीकृत नहीं	23	24
8	चंदोरा		मुलताई	सितम्बर-17	अप्रैल-18	6	अप्रैल-18	22
9	दातला	कटनी	दिसंबर-17	तैयार नहीं किये गये	24	तैयार नहीं किये गये	—	24
10	धारवाड़ा	कटनी	दिसंबर-17		24		—	24
11	मसंधा	कटनी	दिसंबर-17		24		—	24
12	कुम्हारवारा	कटनी	दिसंबर-17		24		—	24
13	इमलिया	कटनी	दिसंबर-17		24		—	24
14	बुंदला डैम	मुलताई	सितम्बर-17		28		—	28
15	खैरवाड़ा बांध		सितम्बर-17		28		—	28
16	पारसोड़ी		सितम्बर-17		28		—	28
17	वर्धा बांध		सितम्बर-17		28		—	28
18	पोहर		सितम्बर-17		28		—	28
19	टेकनपुर		डबरा		दिसम्बर-16		36	—
20	चंदिया नाला	सागर	मार्च-18		22		—	22
21	पिपरिया टोला	सिवनी	अप्रैल-14 और फरवरी-19		69		—	69
22	बाणसागर	देवलौद	अप्रैल-18		21		—	21
23	बरचर	सीधी	फरवरी-19		11		—	11
24	बिरनई		सितम्बर-17		28		—	28
25	महान		अगस्त-17		30		—	30
26	बरेठा	बैतूल	सितम्बर-17		28		—	28
27	टेमरु		सितम्बर-17	28	—	28		
28	सांपना		सितम्बर-17	28	—	28		

परिशिष्ट 2.3.6

अन्य पांच बांधों में डी.एस.आई.पी. अवलोकनों का अनुपालन न करने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.3.3.4 (iii) (द))

बांध का नाम / ऊंचाई / पूर्णता वर्ष	निरीक्षण एजेंसी और निरीक्षण का वर्ष	कमियों का प्रतिवेदन	अनुशंसाएँ	अनुपालन
हरसी, 29.28 मी., 1916	डी.एस.आई.पी. (2014, 2019)	द्वारों की रबर सील से रिसाव, बिजली कनेक्शन न होने के कारण द्वारों का मानवीय संचालन, द्वारों की पेंटिंग न होना, बांध खंड तक पहुँच न होना, बाँध प्रोफाइल और बोल्टर पिचिंग की गड़बड़ी, डाउनस्ट्रीम की नालियों का चोक होना, वेस्ट वियर क्षतिग्रस्त होना, टिवन फॉल और स्टिलिंग बेसिन और बंड पर बारिश से कटाव।	पूरी तरह से कार्य कर रही टो-ड्रेन से प्रत्येक बिंदु पर सीपेज की सीमा को मापने के लिए पर्याप्त संख्या में वी-नौचेस, विद्युत कनेक्शन के उपरांत भी डीजी सेट का क्रय, स्पिल चौनल के अतिरिक्त व्यवस्था के व्यवहार की जाँच के लिए हाइड्रोलिक मॉडल बनाकर अध्ययन करना, अवसादन सर्वेक्षण और पीजोमीटर की स्थापना।	सी.डब्ल्यू.सी. को हाइड्रोलिक अध्ययन प्रस्तुत की गई और ड्रिप-II के तहत प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई अंतिम कार्रवाई नहीं की गई है।
तिगरा, 24.08 मी., 1917	डी.एस.आर.पी. 2012, मुख्य अभियंता के अनुरोध पर, 2015 और डी.एस.आई.पी. 2018	डी.एस.आर.पी. ने ओवरफ्लो के जंक्शन पर और गैर-अतिप्रवाह भाग और कुछ मेसनरी पीयर्स में भारी रिसाव की सूचना दी (2012), पूरे बाँध में अत्यधिक खरपतवार का उगना। परियोजना की अपनी बाढ़ को संभालने की क्षमता 2/3 कम हो गयी है, क्योंकि नए स्पिलवे के निर्माण के बाद इसका उपयोग नहीं किए जाने से वर्तमान में सभी 64 विश्वेसरैया द्वार निष्क्रिय हैं।	यदि संभव हो तो पुराने आठ द्वारों के कम से कम एक सेट को संचालन योग्य किया जाना चाहिए। सीपेज की सीमा/गुणवत्ता को मापने के लिए पर्याप्त संख्या में वी-नौचेस से लैस एक पूरी तरह से काम करने वाली पूरी लंबाई की नाली। बाँध का रखरखाव पूर्णतः अपर्याप्त है। डी.एस.आई.पी. ने रिसाव के मार्ग का पता लगाने के लिए विद्युत प्रतिरोध टोमोग्राफी एवं शॉट क्रिट को नीव स्तर तक बढ़ाए जाने की अनुशंसा की (2018)।	मेसनरी वाले भाग में ग्राउटिंग के लिए, ₹ 3.23 करोड़ का प्राक्कलन और सीमेंट पॉइंटिंग मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा स्वीकृत किया गया था (अप्रैल 2013), लेकिन कोई कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया था।
महान, 46 मी., 2016	डी.एस.आई.पी. (2007 और 2018) सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. (2017 और 2018)	सभी छिद्रपूर्ण नालियाँ और उत्थान दबाव रिलीज छिद्रों का चोक होना, सीपेज की मात्रा एक विशेष खंड में इसकी अनुमेय सीमा को पार कर रही है, क्षारीय सफेद और काली पपड़ी जमना।	सभी छिद्रपूर्ण नालों और उत्थान दबाव राहत छिद्रों को साफ किया जाना चाहिए, खंड वार सीपेज को मापना चाहिए। सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने निरीक्षण गैलरी से स्पिलवे हिस्से के मेसनरी वाले ब्लॉकों में सीमेंट ग्राउटिंग और ब्लॉक जोड़ों से रिसाव को ठीक करने की अनुशंसा की।	मुख्य अभियंता, रीवा द्वारा ₹ 14.86 लाख और ₹ 23.52 लाख की तकनीकी स्वीकृति दी गयी थी, लेकिन काम क्रियान्वित नहीं किया गया।
तवा, 57.91 मी., 1978	डी.एस.आर.पी. (2009)	पिछले छः वर्षों से स्पिलवे द्वारों के रिमोट द्वारा संचालन उपकरण कार्यात्मक नहीं है। स्पिलवे के लिए	स्पिलवे द्वारों के रिमोट द्वारा संचालन और लिफ्ट हेतु सुधार कार्य किया जाना चाहिए। और स्टाप	इन कमियों को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए

बांध का नाम / ऊंचाई / पूर्णता वर्ष	निरीक्षण एजेंसी और निरीक्षण का वर्ष	कमियों का प्रतिवेदन	अनुशंसाएँ	अनुपालन
		स्टॉप लॉग का परीक्षण नहीं किया गया है, बांध पर स्थित लिफ्ट संचालन योग्य नहीं है। स्पिलवे के चार स्लुइस द्वार उनकी स्थापना के बाद से संचालित नहीं किए गए हैं।	लॉग और स्लुइस द्वारों परीक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें हमेशा परिचालन हेतु तैयार रखना चाहिए।	गए हैं।
बाणसागर, 66 मी., 2006	डी.एस.आई.पी. (2018)/ सी.डब्ल्यू.पी. आर.एस. (2018)	डेक स्लैब के वियरिंग कोट का क्षतिग्रस्त होना, चैनल नाली की पाइप की लंबाई में कमी, डाउनस्ट्रीम चैनल फ्लैक्स में पत्थर की पिचिंग में गड़बड़ी, संप के पानी के निकास के लिए वैकल्पिक पाइप की अनुपलब्धता, लंबे समय से इलेक्ट्रिकल लिफ्ट का काम न करना, रिमोट से द्वारों का संचालन नहीं होना, अधिकांश रोलर असंबलियों का जाम होना, आदि। सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने डाउनस्ट्रीम की बकेट की डिवाइड वाल के लिफ्ट ज्वाइंट में दरार और कैविटी, स्पिलवे की सतहों पर कंक्रीट पिटिंग और छोटी कैविटी की सूचना दी।	डी.एस.आई.पी./सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने उपरोक्त कमियों को जल्द से जल्द ठीक करने की अनुशंसा की।	कार्यपालन यंत्री द्वारा कमियों को ठीक करने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

परिशिष्ट 2.5.1

त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.5.3.1)

(राशि ₹ में)

पी.आई. यू का नाम	अनुबंध सं.	क्र.सं.	भवन एस.ओ. आर. मद सं.	दर	प्राक्कलित मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	अधिक मात्रा में भुगतान की गई राशि
बड़वानी	01 / 12-13	1	2.6	107	1,127.38	2,834.13	1,706.75	1,82,622
		2	5.1.1	3,936	609.95	677.17	67.22	2,64,578
		3	5.9.2	193	264.7	1,011.17	746.47	1,44,069
		4	9.65	52	71	110	39	2,028
		5	9.63	50	71	110	39	1,950
		6	9.66.1	16	98	220	122	1,952
		7	10.2	44.7	1,117.8	3,081.5	1,963.7	87,777
		8	10.25	65	3,303	8,347.87	5,044.87	3,27,917
		9	11.24	701	104.4	181.55	77.15	54,082
		10	11.31	547	2,181.27	3,307.86	1,126.59	6,16,245
		11	13.8	69	2,704.32	3,867.22	1,162.9	80,240
		12	17.1.1	2,468	28	32	4	9,872
		13	17.2.1	2,310	8	9	1	2,310
		14	18.15.1	192	52	111	59	11,328
		15	3.1	69	450	582.73	132.73	9,158
		16	2.25.1	20	0	1,224.83	1,224.83	24,497
		17	6.5	1,974.55	0	589.78	589.78	11,64,550
		18	6.5	2,013.65	0	63.41	63.41	1,27,686
		19	6.12	305.83	0	286	286	87,467
		20	10.25.2	800	0	59.1	59.1	47,280
		21	17.7.7	1,086	0	56	56	60,816
		22	18.17.1	206	0	54	54	11,124
		23	6.1	1,664	0	139.76	139.76	2,32,561
		24	6.3	4,090	0	141.6	141.6	5,79,144
		25	4.1.2.2	2,833	0	108.44	108.44	3,07,211
		26	4.1.1.1	5,036	0	10.15	10.15	51,115
		27	10.3	2,731	0	21.41	21.41	58,471
		28	11.18	541	0	421.2	421.2	2,27,869
		29	10.23.2	55.5	0	752.55	752.55	41,767
		30	11.26	27	0	942.79	942.79	25,455
		31	11.39.2	2,367	0	65.64	65.64	1,55,370
		32	15.7.3	139	0	49.8	49.8	6,922
		33	11.23.1	670	0	49.19	49.19	32,957
		34	16.4.1	525	0	60	60	31,500
		35	16.4.2	584	0	60	60	35,040
		36	16.4.3	613	0	109.11	109.11	66,884
		37	16.4.4	654	0	44.6	44.6	29,168
		38	9.82	113	0	51	51	5,763
		39	21.1	384	0	20	20	7,680
		40	9.51	362	0	179.55	179.55	64,997
		41	4.8	719	0	143.48	143.48	1,03,162
		42	3.14	176	0	7.98	7.98	1,404
		43	6.9	38.72	0	137.64	137.64	5,329

पी.आई. यू का नाम	अनुबंध सं.	क्र.सं.	भवन एस.ओ. आर. मद सं.	दर	प्राक्कलित मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	अधिक मात्रा में भुगतान की गई राशि
		44	9.84	930	0	11	11	10,230
		45	21.2	1,730	0	12	12	20,760
		46	15.2.1	397	0	26.24	26.24	10,417
		47	15.3	580	0	15.06	15.06	8,735
		48	15.5	188	0	116.77	116.77	21,953
		49	15.7.4	335	0	4.87	4.87	1,631
		50	15.12.1	58	0	18	18	1,044
		51	15.49	9	0	37.69	37.69	339
		52	15.23.1	14.7	0	223.22	223.22	3,281
		53	15.48	9	0	16.1	16.1	145
		54	9.7.3.1	1,074	0	80.14	80.14	86,070
		55	12.1.3	482	0	116.63	116.63	56,216
		56	10.26.2	45	0	30.4	30.4	1,368
		57	9.12	157	0	11.59	11.59	1,820
		58	18.9.5	255	0	6	6	1,530
		59	12.8	235	0	17.52	17.52	4,117
कुल								56,18,973
निविदा प्रतिशत (11.93 प्रतिशत) जोड़ने के बाद कुल (ए)								62,89,316
बड़वानी	04 / 13-14	1	2.1	636	0	19.25	19.25	12,243
		2	2.5	25	0	434.08	434.08	10,852
		3	1.1.3	82.8	0	1,331.24	1,331.24	1,10,227
		4	6.13	402	0	93.9	93.9	37,748
		5	9.26	76	0	56.14	56.14	4,267
		6	9.81.1	122	0	36	36	4,392
		7	11.19.1.1	1,004	0	61.29	61.29	61,535
		8	9.117	176	0	138.3	138.3	24,341
		9	18.7.4	225	0	50.4	50.4	11,340
		10	18.7.1	113	0	53.7	53.7	6,068
		11	17.75.1.3	245	0	6	6	1,470
		12	12.34.2.3	299	0	25	25	7,475
		13	12.34.3.3	459	0	9	9	4,131
		14	12.33.1	156	0	26.2	26.2	4,087
		15	12.34.2	230	0	7	7	1,610
		16	12.34.5.1	163	0	7	7	1,141
		17	19.36.1	381	0	120	120	45,720
		18	18.51	363	0	2	2	726
		19	18.6	217	0	6	6	1,302
		20	9.96.2	155	0	48	48	7,440
		21	2.27	388	0	1,044.58	1,044.58	4,05,297
		22	11.34.2	1,102	0	121.87	121.87	1,34,301
		23	13.7	95	0	5,874.45	5,874.45	5,58,073
		24	9.23	328	0	56.14	56.14	18,414
		25	13.48.1	53	0	5,874.45	5,874.45	3,11,346
		26	12.33.3	259	0	203.1	203.1	52,603
		27	6.5	29	0	27.93	27.93	810
		28	17.11.2	2,689	0	2	2	5,378
		29	12.37.1	681	0	26.03	26.03	17,726
		30	21.1.2.3	300	0	1,332	1,332	3,99,600
		31	21.1.1.3	283	0	1,542.8	1,542.8	4,36,612

पी.आई. यू का नाम	अनुबंध सं.	क्र.सं.	भवन एस.ओ. आर. मद सं.	दर	प्राक्कलित मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	अधिक मात्रा में भुगतान की गई राशि
		32	10.25.1	743	0	173.79	173.79	1,29,126
		33	21.9.5	1,035	0	236	236	2,44,260
		34	9.6.2	2,546	0	28.85	28.85	73,452
		35	9.97.5	39	0	236	236	9,204
		36	21.2.1	1,990	0	18	18	35,820
		37	9.95.1	89	0	72	72	6,408
		38	12.18	173	0	15	15	2,595
		39	22.14.1	3,994	0	84.94	84.94	3,39,250
		40	22.6	319	0	885.47	885.47	2,82,465
		41	11.26	31	0	115.55	115.55	3,582
		42	11.39.2	2,722	0	54.69	54.69	1,48,866
		43	10.3	3,141	0	5.04	5.04	15,831
		44	11.39	2,146	0	6.3	6.3	13,520
		45	17.10.2.2	2,975	0	2	2	5,950
		46	17.4.1	1,848	0	6	6	11,088
		47	17.7.11	2,717	0	5	5	13,585
		48	9.118.2	2,750	0	48.87	48.87	1,34,393
		49	12.34.5.3	259	0	32	32	8,288
		50	12.34.6.3	485	0	8	8	3,880
		51	9.82	130	0	39	39	5,070
		52	9.74.1	282	0	21	21	5,922
		53	5.17	0.48	0	8,477.06	8,477.06	4,069
		54	18.60.1	139	0	35	35	4,865
		55	18.7.3	173	0	236.2	236.2	40,863
		56	5.1	130	0	290.06	290.06	37,708
		57	18.61.1	143	0	6	6	858
		58	18.7.6	482	0	16.39	16.39	7,900
		59	3.1	122	0	513.36	513.36	62,630
		60	3.9	50	0	513.36	513.36	25,668
		61	9.1	3,700	0	1.15	1.15	4,255
		62	9.7	4,695	0	3.79	3.79	17,794
		63	4.2	605	0	293.3	293.3	1,77,447
		64	6.1	2,233	0	121.27	121.27	2,70,796
		65	6.4	5,132	0	224.17	224.17	11,50,440
कुल								59,96,123
निविदा प्रतिशत (1.95 प्रतिशत) घटाने के बाद कुल (बी)								58,79,199
जबलपुर	12/14-15	1	5.16	48	1,40,458	2,39,000	98,542	47,30,016
		2	5.26	5,014	545	1,755	1,210	60,66,940
कुल								1,07,96,956
निविदा प्रतिशत (8.00 प्रतिशत) जोड़ने के बाद कुल (सी)								1,16,60,712
झाबुआ	15/16-17	1	9.43.1	91	3,527.1	4,844.792	1,317.692	1,19,910
		2	11.22	3,322	100.916	230.98	130.064	4,32,073
कुल								5,51,983
निविदा प्रतिशत (6.01 प्रतिशत) घटाने के बाद कुल (डी)								5,18,808
सीधी	12/14-15	1	5.3.1	5,284	90.86	318.807	227.947	1,20,4,472
		2	5.9.5	227	0	915.24	915.24	2,07,759
		3	6.7.3.2	5,039	0	304.17	304.17	1,5,32,713
		4	19.9.1.2	2,995	0	13	13	38,935
		5	13.41	74	5,109.38	7,932.24	2,822.86	2,08,892

पी.आई. यू का नाम	अनुबंध सं.	क्र.सं.	भवन एस.ओ. आर. मद सं.	दर	प्राक्कलित मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	अधिक मात्रा में भुगतान की गई राशि
कुल								31,92,771
निविदा प्रतिशत (0.99 प्रतिशत) घटाने के बाद कुल (ई)								31,61,162
सीधी	01 / 18-19	1	5.9.1	156.6	0	156.6	156.6	24,524
		2	5.9.6	320.4	0	110.27	110.27	35,331
कुल								59,855
निविदा प्रतिशत (8.11 प्रतिशत) घटाने के बाद कुल (एफ)								55,001
शिवपुरी	04 / 14-15	1		2,900	0	1,118	1,118	32,42,200
		2		29	0	221	221	6,409
		3	6.18	58	0	221	221	12,818
		4		87	0	221	221	19,227
		5		116	0	221	221	25,636
		6		145	0	46.39	46.39	6,727
		7	11.34.2	1,811	0	9,119.02	9,119.02	1,65,14,545
		8	22.3	348	0	4,000	4,000	13,92,000
		9	11.36	492	0	1,000	1,000	4,92,000
		10	6.15	645	0	1,140	1,140	7,35,300
		11	9.190.2	5,871	0	776.48	776.48	45,58,714
		12	9.192.1	834	0	1,628.92	1,628.92	13,58,519
		13	9.192.3	1,179	0	458.8	458.8	5,40,925
		14	10.25	955	0	1,461	1,461	13,95,255
		15	12.50.1	2,035	0	2,000	2,000	40,70,000
		16	12.50.2	2,717	0	1,616	1,616	43,90,672
		17	11.76.3	2,415	0	90	90	2,17,350
		18	11.77	192	0	160	160	30,720
		19	25.1.1	5,635	0	1	1	5,635
		20	25.3.1	23,288	0	1	1	23,288
		21	25.19	1,765	0	1	1	1,765
		22	25.2	1,765	0	4	4	7,060
		23	25.21	1,535	0	2	2	3,070
		24	25.36	2,283	0	1	1	2,283
		25	25.37	1,765	0	1	1	1,765
		26	25.42	4,025	0	1	1	4,025
		27	25.7.1	15,054	0	1	1	15,054
कुल								3,90,72,962
निविदा प्रतिशत (9.75 प्रतिशत) जोड़ने के बाद कुल (जी)								4,28,82,576
सम्पूर्ण योग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)								7,04,46,774

परिशिष्ट 2.5.2

त्रुटिपूर्ण दर अपनाने के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कडिका 2.5.3.2 (i))

(राशि ₹ में)

सं.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध सं.	निविदा का दिनांक	संशोधन का दिनांक	मद सं.	इकाई	मूल दर	संशोधित दर	मात्रा	राशि	निविदा प्रतिशत	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10X(9.8)	12	13
1.	शिवपुरी	19/16-17	26.07.2016	12.07.16	11.45	घ.मी.	718	608	2,989.767	3,28,874.00	(-) 10.26	2,95,132.00
				11.08.16 ³	11.22.2	घ.मी.	3,322	2,356	5,836.041	56,37,615.00		50,59,195.00
				11.08.16 ³	11.33.11.22.2	घ.मी.	3,413	2,356	4,678.34	49,45,005.00		44,37,647.00
2.	सिवनी	02/16-17	21.03.2016	9.02.16	5.16.6	कि.ग्रा.	62.9	54	60,614.97	5,39,473.00	(-) 7.57	4,98,635.00
3.	इंदौर	16/16-17	10.10.2016	11.08.16	11.22.2	घ.मी.	3,322	2,356	1,031.86	9,96,777.00	(-) 12.05	8,76,665.00
				12.07.16	11.48	घ.मी.	937	663	6,497.63	17,80,351.00		15,65,818.00
				12.07.16	11.45	घ.मी.	718	608	1,863.76	2,04,938.00		1,80,243.00
				11.08.16	11.33/11.22.2	घ.मी.	3,413	2,356	548.51	5,79,775.00		5,09,912.00
		20/18-19	30.06.2018	12.07.16	11.51	घ.मी.	897.3	589.5	141.08	43,424.00	(-) 9.77	39,182.00
				12.07.16	11.52	घ.मी.	939.6	644.4	509.8	1,50,493.00		1,35,790.00
4.	भोपाल	25/16-17	22.08.2016	11.08.16	11.29.2.2	घ.मी.	3,695	2,380	6,370.82	83,77,628.00	(-) 2.61	81,58,972.00
				11.08.16	11.29.2.1	घ.मी.	3,598	2,172	245.151	3,49,585.00		3,40,461.00
				11.08.16	11.33/11.22.2	घ.मी.	3,413	2,356	5,694.66	60,19,256.00		58,62,153.00
				11.08.16	11.22.2	घ.मी.	3,322	2,356	1,485.33	14,34,829.00		13,97,380.00
				11.08.16	11.28.2.1	घ.मी.	3,100	2,505	102.87	61,207.00		59,610.00
	भोपाल	01/17-18	13.09.2016	11.08.16	11.22.2	घ.मी.	3,322	2,356	814	7,86,324.00	(-) 5.29	7,44,727.00
कुल											3,01,61,522.00	

³ अनुबंध के विशेष शर्त (अनुबंध में जोड़ा गया) के खंड 5 के अनुसार:- निविदा दिनांक और बोली प्रस्तुत करने के दिनांक के बीच का एस.ओ.आर. संशोधन भी लागू होगा। इस प्रकरण में बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27.08.2016 है।

परिशिष्ट 2.5.3

त्रुटिपूर्ण एस.ओ.आर. दर अपनाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.5.3.2 (ii))

(राशि ₹ में)

पी.आई.यू का नाम	अनुबंध सं.	मद सं.	विवरण	एस.ओ.आर. दर	भुगतान दर	क्रियान्वित मात्रा	निविदा प्रतिशत	अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=(6-5) \times 7 \times 8$ का प्रतिशत
इंदौर	16/16-17	2.25	खोदी गई मिट्टी से भरवाई	72	80	27,047	12.05 से कम	1,90,302.00
		11.90.1	पी एंड एल विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स (साइज 600 x 600 मी.मी.)	1,004	1,104	20,541.711	12.05 से कम	18,06,643.00
शिवपुरी	19/16-17	4.1.1.3	सिमेंट कांक्रीट एम: 15 प्रदायित करने के साथ बिछाना	4,471	4,714	6,021.61	10.26 से कम	13,13,122.00
कुल								33,10,067.00

परिशिष्ट 2.5.4

सड़क कार्य हेतु त्रुटिपूर्ण एस.ओ.आर. दर अपनाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.5.3.2 (iii))

(राशि ₹ में)

पी.आई.यू का नाम	अनुबंध सं.	मद सं.	विवरण	11.03.14 से लागू एस.ओ.आर. के अनुसार दर	06.06.16 से लागू एस.ओ.आर. के अनुसार दर	अंतर	क्रियान्वित मात्रा	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	$7=(5-6)$	8	$9=(7 \times 8)$
इंदौर	16/16-17	3.1	मिट्टी में खुदाई	159	143	16	5,378.43	86,054.00
		3.10	किनारों का निर्माण	168	160	8	1,875.42	15,003.00
		6.12	डॉवेल बार की लागत	63,561	43,621	19,940	13.432	2,67,834.00
		4.12	सी.आर.एम.	1,181	1,063	118	1,298.73	1,53,250.00
		6.1	डी.एल.सी.	2,714	2,443	271	1,034.16	2,80,257.00
		6.4	पी.क्यू.सी.	5,977	5,379	598	771.99	4,61,650.00
कुल								12,46,048.00
12.05 प्रतिशत के दर से कटौती के बाद कुल								11,11,730.00

परिशिष्ट 2.5.5
सीमेंट की लागत की वसूली न होना
(संदर्भ: कडिका 2.5.3.4)

(राशि ₹ में)

सं.क्र.	पी.आई.यू का नाम	अनुबंध सं.	निविदा का दिनांक	अतिरिक्त सीमेंट के लिए भुगतान राशि	निविदा प्रतिशत	अधिक
1	भोपाल	25 / 16-17	22.08.16	2,53,34,791	-2.46	2,47,11,555
		01 / 17-18	13.09.16	20,17,127	-5.29	19,10,421
2	इंदौर	16 / 16-17	10.10.16	64,82,242	-12.05	57,01,132
कुल				3,38,34,160		3,23,23,108

परिशिष्ट 2.6.1
रॉयल्टी की कम वसूली
(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.2)

(₹ लाख में)

स.क्र.	संभाग का नाम	नमूना जांच किए गए अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की संख्या जिनमें अनियमितता पाई गई	गिट्टी की मात्रा (घन मी.)	रेत की मात्रा (घन मी.)	बोल्डर की मात्रा (घन मी.)	वसूली योग्य रॉयल्टी	वास्तव में वसूली गई रॉयल्टी	कम वसूली ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
लोक निर्माण विभाग									
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	24	5	1,71,261.60	46,622.40	0.00	217.88	169.88	48.00
2	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	26	20	4,05,895.75	1,00,729.22	2,786.28	508.02	186.86	321.16
3	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सागर	16	3	1,69,823.76	42,186.35	1,473.53	155.68	60.78	94.90
4	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, आगर मालवा	17	6	57,254.17	2,311.01	0.00	59.56	24.68	34.88
5	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, धार	14	8	2,71,399.07	58,723.54	411.17	316.01	80.87	235.14
6	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उज्जैन	18	6	70,404.79	2,980.04	0.00	73.38	28.36	45.02
7	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना	12	6	1,67,382.72	20,460.13	0.00	184.39	116.71	67.68
8	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	16	10	3,24,931.51	78,245.90	1,295.57	403.83	259.13	144.70

⁴ एस.ओ.आर. के अनुसार विभिन्न मदों के लिये गौण खनिजों की खपत नीचे दी गई है-

स.क्र.	मद का नाम	गिट्टी की मात्रा (प्रति घन मी.)		रेत की मात्रा (प्रति घन मी.)		बोल्डर की मात्रा (प्रति घनमी.)
		लो.नि.वि.	ज.सं.वि.	लो.नि.वि.	ज.सं.वि.	
1	सी.आर.एम./डब्ल्यू.बी.एम./डब्ल्यू.एम.एम./ जी.एस.बी.	1	लागू नहीं	निरंक	लागू नहीं	निरंक
2	एम-10/डी.एल.सी	0.90	0.90	0.45	0.45	निरंक
3	एम-15	0.88	0.85	0.44	0.43	निरंक
4	एम-20	0.86	0.82	0.43	0.41	निरंक
5	एम-25	0.81	0.77	0.41	0.38	निरंक
6	एम-30/40	0.80	लागू नहीं	0.40	लागू नहीं	निरंक
7	ओ.जी.पी.सी. एवं सील कोट	0.033 प्रति वर्ग मी.	लागू नहीं	निरंक	लागू नहीं	निरंक
8	बोल्डर पिचिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100

स.क्र.	संभाग का नाम	नमूना जांच किए गए अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की संख्या जिनमें अनियमितता पाई गई	गिट्टी की मात्रा (घन मी.)	रेत की मात्रा (घन मी.)	बोल्डर की मात्रा (घन मी.)	वसूली योग्य रॉयल्टी	वास्तव में वसूली गई रॉयल्टी	कम वसूली ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
9	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, रीवा	13	4	28,490.00	3,065.90	0.00	31.55	19.56	11.99
10	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	13	9	2,23,422.68	58,089.89	0.00	281.51	199.44	82.07
11	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि.संभाग, सिंगरौली	13	6	1,49,190.90	34,622.05	1,173.71	184.40	125.67	58.73
12	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, कटनी	12	1	8,165.55	652.39	0.00	8.81	7.77	1.04
13	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, टीकमगढ़	12	8	2,19,164.45	59,535.62	141.27	278.77	217.82	60.95
14	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	15	13	1,23,019.14	9,524.24	0.00	132.54	80.46	52.08
15	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, जबलपुर	15	4	1,26,137.38	36,398.48	140.69	162.61	148.45	14.16
16	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	8	1	5,561.29	2,116.00	0.00	7.67	4.98	2.69
17	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, अलीराजपुर	11	1	7,763.95	0.00	0.00	7.76	7.50	0.26
18	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	15	5	1,72,814.21	5,527.60	0.00	178.34	158.71	19.63
कुल		270	116	27,02,083.706	5,61,791.92	7,422.22	3,192.71	1,897.63	1,295.08

स. क्र.	संभाग का नाम	नमूना जांच किये अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की संख्या जिनमें अनियमितता पाई गई	मेटल की मात्रा (घन मी.)	रेत की मात्रा (घन मी.)	बोल्डर की मात्रा (घन मी.)	वसूली योग्य रॉयल्टी	वास्तव में वसूली गई रॉयल्टी	कम वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
जल संसाधन विभाग									
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,सिहोर	7	1	7,282.68	4,777.86	14,465.12	19.29	10.80	8.49
2	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर, जल संसाधन संभाग, गंजबसौदा	16	4	58,095.08	29,047.54	0.00	87.14	83.00	4.14
3	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर	13	7	90,994.08	45,497.04	0.00	136.55	128.33	8.22
4	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी	12	6	226,199.49	136,567.36	29,124.49	226.47	34.06	192.41
5	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	13	9	97,840.81	56,789.94	56,269.01	159.37	109.58	49.79
6	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, अपर पूर्वा नहर संभाग, रीवा	12	5	38,878.80	19,439.40	4,045.23	60.34	58.34	2.00
7	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-2, सिंगरौली	8	4	14,162.37	7,081.18	16,731.95	29.61	2.56	27.05
8	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़	12	2	12,465.32	685.34	1,646.03	13.97	8.00	5.97
9	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर	15	9	119,145.99	76,614.73	23,808.35	207.66	160.48	47.18
10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, हंडिया ब्रांच कैनाल संभाग टिमरनी, हरदा	4	1	6,298.31	3,149.15	0.00	5.92	4.10	1.82
11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम	14	13	208,008.50	103,169.39	11,819.41	317.09	174.48	142.61
12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया	3	1	15,224.87	8,496.15	7,456.79	27.45	24.71	2.74
कुल		129	62	8,94,596.30	4,91,315.08	1,65,366.38	1,290.86	798.44	492.42

परिशिष्ट 2.6.2

उचित दस्तावेजों के बिना रॉयल्टी की वापसी दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.2)

(₹ लाख में)

स.क्र.	इकाई का नाम	नमूना जांच किए अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की संख्या जिनमें अनियमितता पाई गई	बिना दस्तावेजों के जारी रॉयल्टी
1	2	3	4	5
लोक निर्माण विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	26	2	54.94
2	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, धार	14	5	117.97
3	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना	12	1	30.51
4	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	16	2	9.83
कुल		68	10	213.25

(₹ लाख में)

स.क्र.	इकाई का नाम	नमूना जांच किये अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की संख्या जिसमें अनियमितता पाई गई	बिना दस्तावेजों के रॉयल्टी जारी
1	2	3	4	5
जल संसाधन विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शिवपुरी	12	2	19.45
2	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, राजगढ़	13	1	1.91
कुल		25	3	21.36

परिशिष्ट 2.6.3
खनिज शीर्ष में रॉयल्टी का विलंबित प्रेषण
(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.3)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	इकाई का नाम	रॉयल्टी की संबंधित अवधि	खनिज शीर्ष में रॉयल्टी की राशि जमा होना	खनिज शीर्ष में जमा की तिथि	विलंब महीनों में
1	2	3	4	5	6
लोक निर्माण विभाग					
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	2013-14 से 2015-16	1,81,43,024	मार्च-19	10 से 55 माह
			37,58,636	मार्च-19	11 से 62 माह
2	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, आगर मालवा	2012-13 से 2016-17	75,00,585	मार्च-18	12 से 48 माह
3	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उज्जैन	2010-11 से 2018-19	1,49,07,076	मार्च-19	96 माह
4	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	2012-13 से 2018-19	1,34,25,929	मार्च-19	7 से 61 माह
5	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	2017-18	7,65,518	फरवरी-19	12 से 23 माह
		2018-19	3,47,188	मार्च-19	1 से 12 माह
6	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सिंगरौली	2018-19	2,15,14,517	मार्च-19	12 से 60 माह
7	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, कटनी	2006-07 से 2018-19	2,13,36,581	मार्च-19 एवं मई-19	12 से 132 माह
8	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	2016-17	31,50,027	मार्च-19	24 माह
9	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, जबलपुर	2017-18	67,45,364	मार्च-19 एवं मई-19	12 माह
10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	2016-17 से 2018-19	1,11,90,512	मार्च-19	8 से 33 माह
11	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, अलीराजपुर	2016-17	20,37,200	जुलाई-18	18 से 24 माह
12	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	2016-17	75,100	मार्च-19	10 से 32 माह
		2017-18	44,23,911	जून-19	15 से 23 माह
		2018-19	18,600	मार्च-19	2 से 12 माह
कुल			12,93,39,768		

स.क्र.	इकाई का नाम	रॉयल्टी की संबंधित अवधि	खनिज मद में रॉयल्टी की राशि जमा होना	खनिज मद में जमा की दिनांक	विलंब (माहों में)
1	2	3	4	5	6
जल संसाधन विभाग					
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सिहोर	2011-12 से 2016-17	8,226,267.00	मार्च-19	24 से 87 माह
			555,645.00	फरवरी-19	5 से 17 माह
2	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर, जल संसाधन संभाग, गंजबसौदा	2011-12 से 2016-17	553,775.00	फरवरी-17	12 से 48 माह
		2014-15 से 2017-18	1,195,539.00	फरवरी-18	12 से 24 माह
		2012-13 से 2018-19	6,375,628.00	मार्च-19	12 से 60 माह
3	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर	2016-17 से 2018-19	25,154,087.00	2018-19	12 माह
4	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	फरवरी 2012 से मई 2014	5,029,628.00	मार्च-19	36 से 60 माह
		मई 2014 से सितम्बर 2014	2,728,053.00	अप्रैल-19	55 से 60 माह
		जून 2014 से जून 2016	3,450,718.00	अप्रैल-19	34 से 58 माह
		जून 2016 से दिसम्बर 2016	1,074,508.00	अप्रैल-19	28 से 34 माह
		दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017	1,580,300.00	अप्रैल-19	26 से 27 माह
		मार्च 2017 से मई 2017	1,151,529.00	अप्रैल-19	22 से 24 माह
		सितम्बर 2017 से मई 2018	3,799,300.00	नवम्बर-19	17 से 25 माह
		जून 2017 से सितम्बर 2019	4,048,144.00	नवम्बर-19	2 से 26 माह
5	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन हिरन संभाग, जबलपुर	2008-09	37,554.00	अप्रैल-16	84 माह
		2012-13	107,336.00	अप्रैल-16	36 माह
		2012-13	220,837.00	जनवरी-17	45 माह
		2012-13	50,480.00	मार्च-17	47 माह
		2012-13	18,961.00	अक्टूबर-18	66 माह
		2013-14	142,965.00	अप्रैल-16	24 माह
		2013-14	273,262.00	जनवरी-17	33 माह
		2013-14	838,701.00	मार्च-19	59 माह
		2013-14	78,378.00	जुलाई-19	63 माह
		2014-15	953,212.00	अप्रैल-16	13 माह
		2014-15	1,926,721.00	जनवरी-17	22 माह
		2014-15	3,823,668.00	जनवरी-17	22 माह
		2014-15	2,751,317.00	मार्च-17	24 माह
		2014-15	627,802.00	मार्च-17	24 माह
		2014-15	1,798,174.00	जनवरी-17	22 माह

स.क्र.	इकाई का नाम	रॉयल्टी की संबंधित अवधि	खनिज मद में रॉयल्टी की राशि जमा होना	खनिज मद में जमा की दिनांक	विलंब (माहों में)
1	2	3	4	5	6
जल संसाधन विभाग					
		2014-15	30,816.00	अप्रैल-18	37 माह
		2014-15	225,858.00	जुलाई-18	40 माह
		2014-15	86,513.00	अक्टूबर-18	43 माह
		2014-15	183,213.00	अक्टूबर-19	55 माह
		2014-15	64,504.00	मार्च-19	48 माह
		2014-15	370,821.00	जुलाई-19	52 माह
		2015-16	696,927.00	अप्रैल-16	1 माह
		2015-16	295,371.00	जनवरी-17	10 माह
		2015-16	649,601.00	जनवरी-17	10 माह
		2015-16	288,882.00	मार्च-17	12 माह
		2015-16	256,271.00	जनवरी-17	10 माह
		2015-16	24,426.00	अक्टूबर-18	31 माह
		2015-16	10,393.00	जुलाई-19	40 माह
		2016-17 (10/2016)	38,375.00	जनवरी-17	03 माह
		2016-17	19,178.00	नवम्बर-17	06 माह
		2016-17	403,007.00	नवम्बर-17	01 माह
		2016-17	425,711.00	जुलाई-17	4 माह
		2017-18	2,544,502.00	अप्रैल-18	1 माह
		2017-18	1,481,452.00	जुलाई-18	4 माह
		2017-18	1,559,945.00	अक्टूबर-18	7 माह
		2017-18	958,009.00	अक्टूबर-18	7 माह
		2017-18	515,697.00	जुलाई-19	16 माह
		2017-18	216,196.00	अक्टूबर-19	19 माह
6	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर	2010-11	43,874.00	मार्च-19	96 माह
		2011-12	1,480,962.00	अगस्त-18	77 माह
		2011-12	769,309.00	मार्च-18	72 माह
		2012-13	68,210.00	अगस्त-18	65 माह
		2013-14	174,506.00	अगस्त-18	53 माह
		2013-14	613,329.00	मार्च-18	48 माह
		2014-15	398,360.00	अगस्त-18	41 माह

स.क्र.	इकाई का नाम	रॉयल्टी की संबंधित अवधि	खनिज मद में रॉयल्टी की राशि जमा होना	खनिज मद में जमा की दिनांक	विलंब (माहों में)
1	2	3	4	5	6
जल संसाधन विभाग					
		2015-16	2,686,078.00	मार्च-18	24 माह
		2016-17	36,399.00	मार्च-18	12 माह
		2017-18 (05/2018)	1,295,088.00	मार्च-19	11 माह
		2017-18	1,109,541.00	अगस्त-18	05 माह
		2017-18 (02/2018)	969,909.00	मार्च-18	01 माह
		2018-19 (02/2019)	58,707.00	मार्च-19	01 माह
7	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम	2015-16	935,198.00	मई-16	02 माह
कुल			10,05,57,627.00		

परिशिष्ट 2.6.4

अंतिम देयक के भुगतान से पहले रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.4)

(₹ लाख में)

स.क्र.	इकाई का नाम	नमूना जांच किए गए अंतिम देयकों की संख्या	पूर्ण अनुबंधों की संख्या जिनमें अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए	रॉयल्टी की राशि जिसमें अदेयता प्रमाणपत्र की जरूरत थी
1	2	3	4	5
लोक निर्माण विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	12	12	101.56
2	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	20	15	261.98
3	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सागर	14	12	261.66
4	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, आगर मालवा	10	10	122.37
5	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, धार	7	6	159.51
6	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उज्जैन	9	9	149.26
7	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना	9	6	150.70
8	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	7	7	227.39
9	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रीवा	6	6	117.67
10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	9	2	146.80
11	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सिंगरौली	12	12	55.95
12	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, कटनी	6	3	27.69
13	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, टीकमगढ़	5	5	170.08
14	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	10	10	125.31
15	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, जबलपुर	13	12	223.79
16	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	8	8	117.37
17	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, अलीराजपुर	11	6	27.15
18	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	15	15	628.25
कुल		183	156	3,074.49

(₹ लाख में)

स.क्र.	इकाई का नाम	नमूना जांच किये गए अंतिम देयक की संख्या	पूर्ण अनुबंधों की संख्या जिसमें अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए	रॉयल्टी की राशि जिसमें अदेयता प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी
1	2	3	4	5
जल संसाधन विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सिहोर	7	6	38.76
2	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर, जल संसाधन संभाग, गंजबसौदा	9	9	109.06
3	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर	12	12	211.50
4	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी	12	12	277.69
5	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	11	9	134.80
6	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अपर पूर्वा कैनल सभाग, रीवा	2	2	7.28
7	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-2, सिंगरौली	1	1	1.29
8	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़	9	9	70.25
9	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हिरन, जबलपुर	9	9	33.26
10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर	15	15	252.48
11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हंडिया ब्रांच कैनल टिमरनी, हरदा	1	1	5.04
12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम	14	14	331.24
13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया	3	3	67.89
कुल		105	102	1,540.54

परिशिष्ट 2.6.5
ठेकेदारों से काटी गई रॉयल्टी को सिविल जमा शीर्ष में रखा जाना दर्शाने वाले विवरण
(संदर्भ: कडिका 2.6.3.5)

(₹ लाख में)

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का तिथि	रॉयल्टी की राशि
1	2	3	4	5
लोक निर्माण विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	29 / 2016-17	24.04.19	122.12
2		28 / 2016-17	04.08.18	14.63
		योग		136.75
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	109 / 2015-16	04.08.18	13.90
2		63 / 2016-17	18.09.19	1.88
3		08 / 2016-17	07.07.17	9.31
4		37 / 2016-17	22.10.19	13.69
5		14 / 2016-17	04.08.18	1.32
		योग		40.10
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना	02 / 2016-17	25.05.18	0.76
2		39 / 2016-17	07.03.19	1.82
3		10 / 2013-14	09.06.16	4.94
		योग		7.52
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, धार	4 / 2016-17	25.01.19	11.37
2		8 / 2016-17	13.03.19	6.29
3		51 / 2016-17	24.03.17	4.40
4		85 / 2013-14	24.07.17	5.06
		योग		27.12
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सागर	38 / 2014-15	07.08.18	19.10
2		64 / 2013-14	02.08.16	4.44
3		63 / 2013-14	13.04.16	19.48
4		34 / 2012-13	19.01.17	11.61
5		34 / 2015-16	18.03.19	0.41
6		21 / 2016-17	10.09.18	0.33
7		32 / 2015-16	21.05.18	1.58
		योग		56.95

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का तिथि	रॉयल्टी की राशि
1	2	3	4	5
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	97 / 2014-15	16.04.19	28.13
2		10 / 2016-17	06.09.18	8.91
3		98 / 2014-15	16.04.19	35.44
4		14 / 2014-15	29.01.19	15.40
5		107 / 2015-16	28.05.18	56.66
6		06 / 2016-17	25.05.18	6.43
7		163 / 2015-16	30.12.17	7.16
8		69 / 2015-16	18.04.17	6.45
9		139 / 2014-15	28.02.17	9.21
10		46 / 2014-15	29.07.16	3.34
11		163 / 2014-15	23.08.16	7.49
12		70 / 2014-15	03.12.16	9.04
13		82 / 2014-15	27.06.17	5.14
14		05 डी. एल. / 2016-17	07.07.18	5.36
15		4 / 2015-16	07.07.18	4.72
		योग		208.89
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	04 / 2016-17	29.09.2018	4.41
2		05 / 2016-17	25.05.2018	4.90
3		16 / 2017-18	10.05.2019	2.09
4		21 / 2015-16	08.11.2016	0.60
5		19 / 2015-16	08.11.2016	0.31
6		14 / 2016-17	13.08.2018	0.90
7		22 / 2015-16	08.11.2016	0.93
		योग		14.14
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, अलीराजपुर	44 / 2015-16	06.07.18	6.85
2		50 / 2015-16	11.05.18	2.4
3		59 / 2015-16	27.06.18	2.07
4		61 / 2015-16	29.06.18	3.1
5		18 / 2016-17	08.11.17	0.14
6		48 / 2015-16	06.06.18	4.87
7		49 / 2015-16	28.05.18	3.15
8		20 / 2016-17	28.06.18	4.75

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का तिथि	रॉयल्टी की राशि
1	2	3	4	5
9		05 / 2018-19	23.09.19	2.33
10		60 / 2015-16	27.06.18	0.75
		योग		30.41
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	05 / 2017-18	31.07.19	69.90
2		01 / 2015-16	15.03.18	11.44
3		68 / 2015-16	28.09.19	4.13
4		46 / 2017-18	30.04.19	81.84
5		55 / 2015-16	23.09.18	8.01
6		15 / 2016-17	15.11.18	4.77
7		01 / 2017-18	08.01.19	0.13
8		80 / 2015-16	22.10.19	1.08
9		63 / 2017-18	30.04.19	1.48
		योग		182.78
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	174 / 2012-13	09.04.18	0.75
2		66 / 2016-17	10.04.18	0.60
3		04 / 2015-16	25.01.19	7.14
4		71 / 2017-18	26.04.19	0.45
5		02 / 2017-18	05.05.18	7.85
6		89 / 2013-14	18.05.18	3.00
7		03 / 2017-18	21.01.19	2.10
8		61 / 2016-17	29.05.18	2.61
9		31 / 2013-14	04.07.18	0.55
10		70 / 2017-18	01.11.18	0.48
11		03 / 2015-16	02.01.19	2.08
12		34 / 2015-16	02.01.19	5.18
		योग		32.79
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	90 / 2013-14	08.01.19	8.66
2		08 / 2016-17	19.09.18	18.18
3		09 / 2016-17	18.09.18	7.05
4		33 / 2016-17	13.04.18	4.91
5		37 / 2016-17	29.08.19	4.13
6		40 / 2016-17	29.08.19	3.59

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का तिथि	रॉयल्टी की राशि
1	2	3	4	5
7		41 / 2016-17	18.09.18	2.42
8		45 / 2016-17	18.09.18	8.93
9		46 / 2016-17	30.08.19	6.88
		योग		64.73
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग,	112 / 2015-16	28.12.16	9.16
2	जबलपुर	105 / 2017-18	13.05.19	0.55
		योग		9.71
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग,	01 / 2014-15	03.06.16	2.53
2	आगर मालवा	15 / 2015-16	30.12.17	11.44
3		19 / 2015-16	07.03.19	78.93
4		33 / 2015-16	23.11.16	5.91
5		09 / 2016-17	04.02.17	2.67
6		10 / 2016-17	23.09.17	2.47
7		11 / 2016-17	05.07.18	1.94
8		29 / 2016-17	10.08.17	2.70
9		142 / 2012-13	02.05.16	1.18
10		02 / 2017-18	02.07.18	1.93
		योग		111.69
		कुल योग: 95 अनुबंध		923.60

जल संसाधन विभाग				
स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का दिनांक	वसूल राशि
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	79 / 18-19	05.02.19	3.06
2	विभाग,सिहोर	60 / 18-19	03.06.19	4.14
3		52 / 17-18	20.07.18	8.85
		योग		16.05
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग,	05 / 2018-19	14.08.19	11.62
2	शिवपुरी	04 / 2018-19	14.08.19	12.63
3		02 / 2018-19	14.08.19	7.77
4		03 / 2018-19	14.08.19	11.80
5		01 / 2018-19	14.08.19	10.31
6		10 / 2017-18	21.02.19	6.79

जल संसाधन विभाग				
स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का दिनांक	वसूल राशि
7		11 / 2017-18	23.02.19	8.20
8		04 / 2017-18	23.03.18	2.23
9		08 / 2011-12		19.07
योग				90.42
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टीकमगढ़	03 / 15-16	22.12.17	4.30
2		05 / 13-14	30.01.19	2.03
3		07 / 14-15	13.03.19	0.38
4		11 / 15-16	15.07.17	1.55
5		12 / 13-14	14.09.16	9.86
6		17 / 13-14	27.02.19	2.77
योग				20.89
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रतलाम	02 / 15-16	28.09.17	14.08
2		01 / 15-16	24.03.17	6.22
3		04 / 15-16	06.04.18	0.04
4		05 / 15-16	23.03.17	28.30
योग				48.64
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गंजबसौदा	04 / 2009-10	07.03.2019	1.37
2		01 / 2011-12	30.04.2016	6.02
3		02 / 2011-12	26.05.2016	1.83
4		03 / 2011-12	26.05.2016	3.03
5		04 / 2011-12	31.08.2016	3.06
6		05 / 2011-12	21.09.2017	2.62
7		06 / 2011-12	24.03.2018	3.26
8		89 / 2016-17	11.03.2019	1.73
9		17 / 2016-17	28.05.2019	35.43
10		09 / 2014-15	20.02.2018	1.91
11		11 / 2018-19	29.07.2019	0.42
योग				60.68
1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर	27 / 2016-17	15.06.18	0.17
2		05 / 2017-18	30.03.18	5.00
3		01 / 2017-18	02.07.18	5.36
4		18 / 2018-19	14.08.19	4.26

जल संसाधन विभाग				
स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	अंतिम देयक का दिनांक	वसूल राशि
5		06 / 2019-20	28.01.19	6.02
6		10 / 2018-19	31.07.19	6.06
7		07 / 2018-19	02.09.19	12.12
8		08 / 2018-19	13.01.20	4.35
9		15 / 2018-19	20.01.20	8.99
		योग		52.33
		कुल योग: 42 अनुबंध		289.01

परिशिष्ट 2.6.6

खनिज संसाधन विभाग के साथ गैर-पंजीकृत ठेकेदारों को निर्माण कार्य प्रदान करना दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.6)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	संभाग का नाम	1.4.2018 के बाद करार किए गए अनुबंधों की संख्या (पी.ए.सी. ₹ 50 लाख के ऊपर)	अनुबंध की राशि	खनिज विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या
1	2	3	4	5
लोक निर्माण विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	30	184.07	0
2	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	35	118.63	0
3	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सागर	53	103.97	0
4	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, अगर मालवा	8	13.65	0
5	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, धार	21	180.07	0
6	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उज्जैन	30	212.46	0
7	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना	13	32.61	0
8	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	12	33.14	0
9	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रीवा	28	145.37	0
10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	12	44.40	0
11	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सिंगरौली	18	16.49	0
12	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, कटनी	16	24.90	0
13	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, टीकमगढ़	12	76.24	0
14	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	8	11.39	0
15	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, जबलपुर	13	20.42	0
16	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	15	29.76	0
17	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, अलिराजपुर	3	7.86	0
18	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	10	109.45	0
कुल		337	1,364.88	0

स.क्र.	संभाग का नाम	01.04.2018 के बाद करार किए गए अनुबंधों की संख्या (पी.ए.सी. ₹ 50 लाख के ऊपर)	अनुबंध राशि	खनिज विभाग विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या
जल संसाधन विभाग				
1	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सीहोर	20	45.48	0
2	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर संभाग, गंजबसौदा	5	449.73	0
3	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर	12	46.04	0
4	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	9	15.56	0
5	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-2, सिंगरौली	5	913.33	0
6	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन हिरन संभाग, जबलपुर	2	99.29	0
7	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर	4	44.74	0
8	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम	11	37.99	0
9	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया	2	3.17	0
	कुल	70	1,655.33	0

परिशिष्ट 2.6.7
बाजार दर की वसूली न होना
(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.6)

(राशि ₹ में और मात्रा घन मीटर में)

स. क्र.	इकाई का नाम	अनुबंधों की संख्या	मेटल की मात्रा	मेटल की बाजार दर	राशि	रेत की मात्रा	रेत का बाजार दर	बाजार दर की राशि	कुल योग	₹ 100 की दर से वसूली की गई रॉयल्टी की राशि	निवल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=4+7X ₹100	12=10-11
लोक निर्माण विभाग											
1	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	4	60,748.55	600	3,64,49,134.80	7,402.20	700	51,81,546.76	4,16,30,681.56	68,15,075.00	3,48,15,606.56
2	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	4	18,720.34	800	1,49,76,273.44	3,479.66	700	24,35,764.31	1,74,12,037.75	22,20,000.00	1,51,92,037.75
3	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सागर	8	32,411.29	500	1,62,05,646.43	502.09	500	2,51,045.60	1,64,56,692.03	32,91,338.00	1,31,65,354.03
4	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, आगर मालवा	6	39,791.19	500	1,98,95,597.50	404.82	600	2,42,893.78	2,01,38,491.28	40,19,601.00	1,61,18,890.28
5	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, धार	7	71,016.30	600	4,26,09,778.64	7,839.73	1200	94,07,672.04	5,20,17,450.68	78,85,603.00	4,41,31,847.68
6	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उज्जैन	10	8,246.43	429	35,37,722.33	3,366.13	241	8,11,239.02	43,48,961.35	11,61,256.00	31,87,705.35
7	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना	3	5,352.74	600	32,11,646.34	1,368.00	1000	13,68,681.70	45,80,328.04	6,72,074.00	39,08,254.04
8	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	5	1,26,014.90	400	5,04,05,974.92	711.71	500	3,55,855.00	5,07,61,829.92	1,26,72,661.00	3,80,89,168.92
9	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रीवा	7	1,04,926.66	600	6,29,55,996.00	17,080.92	1000	1,70,80,920.00	8,00,36,916.00	1,22,00,758.00	6,78,36,158.00
10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	3	23,237.85	350	81,33,245.96	1,946.89	400	7,78,755.80	89,12,001.76	25,18,474.00	63,93,527.76
11	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, सिंगरौली	7	12,711.59	500	63,55,795.00	1,676.65	350	5,86,827.50	69,42,622.50	14,38,824.00	55,03,798.50
12	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, कटनी	4	13,471.72	600	80,83,032.00	1,655.05	600	9,93,030.00	90,76,062.00	15,12,677.00	75,63,385.00
13	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, टीकमगढ़	8	47,356.11	500	2,36,78,056.44	4,457.29	1000	44,57,297.80	2,81,35,354.24	51,81,340.00	2,29,54,014.24
14	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	5	22,948.38	500	1,14,74,192.88	1,079.11	500	5,39,557.50	1,20,13,750.38	24,02,749.00	96,11,001.38
15	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, जबलपुर	7	53,167.07	500	2,65,83,532.42	983.57	500	4,91,782.97	2,70,75,315.39	54,15,064.00	2,16,60,251.39
16	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	15	15,654.42	800	1,25,23,536.00	2,052.21	800	16,41,774.40	1,41,65,310.40	17,70,663.00	1,23,94,647.40
17	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, अलीराजपुर	2	3,886.61	700	27,20,627.48	694.77	300	2,08,430.35	29,29,057.83	4,58,138.00	24,70,919.83
18	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	8	29,918.51	500	1,49,59,257.00	3,247.24	500	16,23,621.50	1,65,82,878.50	33,16,575.00	1,32,66,303.50
कुल		113	6,89,580.66		36,47,59,045.58	59,948.04		4,84,56,696.03	41,32,15,741.61	7,49,52,870.00	33,82,62,871.60

स. क्र.	इकाई का नाम	अनुबंधों की संख्या	मेटल की मात्रा	मेटल का बाजार मूल्य	राशि	रेत की मात्रा	रेत का बाजार मूल्य	बाजार मूल्य की राशि	कुल योग	₹ 100 की दर से वसूल की गई रॉयल्टी की राशि	निवल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=4+7X ₹ 100	12=10-11
जल संसाधन विभाग											
1	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सीहोर	4	9,723.72	600	5,834,232.00	4,901.77	700	3,431,239.00	9,265,471.00	14,62,549.00	7,802,922.00
2	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर संभाग, गंजबसौदा	1	577.85	850	491,170.80	1,155.20	1000	1,155,200.00	1,646,370.80	1,73,305.00	1,473,065.80
3	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर	5	33,839.99	700	23,687,993.00	15,975.50	800	12,780,400.00	36,468,393.00	49,81,549.00	31,486,844.00
4	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग 2, सिंगरौली	4	11,671.61	500	5,835,804.00	5,835.80	350	2,042,530.00	7,878,334.00	17,50,741.00	6,127,593.00
5	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन हिरन संभाग, जबलपुर ,	2	21,601.46	500	10,800,730.00	26,657.00	500	13,328,500.00	24,129,230.00	48,25,846.00	19,303,384.00
6	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम	5	12,788.59	500	6,394,295.00	7,923.48	500	3,961,740.00	10,356,035.00	20,71,207.00	8,284,828.00
7	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, उमरिया	1	2,340.80	500	1,170,400.00	1,225.59	500	612,795.00	1,783,195.00	3,56,639.00	1,426,556.00
कुल		22	92,544.02		54,214,624.80	63,674.34		37,312,404.00	9,15,27,028.80	1,56,21,836.00	7,59,05,192.80

परिशिष्ट 2.6.8

लोक निर्माण विभाग में लूज मात्रा के स्थान पर संघनीकृत मात्रा की स्वीकृति के कारण रॉयल्टी की कम वसूली

(संदर्भ: कंडिका 2.6.3.7)

(राशि ₹ में और मात्रा घन मीटर में)

स.क्र.	इकाई का नाम	नमूना जांच किये गए अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की संख्या जिसमें अनियमितता पाई गई	जी.एस.बी./सी.आर.एम./डब्ल्यू.एम.एम. की कुल क्रियान्वित मात्रा	कुल अपेक्षित लूज मात्रा (क्रियान्वित मात्रा का 1.4 गुना)	कुल मात्रा में अंतर	₹ 100 प्रति घन मीटर से राशि की कम वसूली
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (7×₹ 100)
लोक निर्माण विभाग							
1	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, बुधनी	24	23	2,11,371.31	2,95,919.83	84,548.52	8,454,852.40
2	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, होशंगाबाद	26	26	3,15,689.59	4,41,965.42	126,275.84	12,627,583.68
3	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, आगर मालवा	17	16	1,26,407.55	1,76,970.57	50,563.02	5,056,302.00
4	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, धार	14	11	2,07,652.24	2,90,713.13	83,060.90	8,306,089.60
5	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, उज्जैन	18	8	78,209.41	1,09,493.17	31,283.76	3,128,376.36
6	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, गुना	12	12	2,33,512.91	3,26,918.07	93,405.16	9,340,516.40
7	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, शिवपुरी	16	10	2,21,065.52	3,09,491.73	88,426.21	8,842,620.86
8	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, रीवा	13	13	1,20,519.76	1,68,727.67	48,207.91	4,820,790.56
9	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, राजगढ़	13	11	2,77,063.28	3,87,888.60	110,825.31	11,082,531.45
10	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, सिंगरौली	13	8	83,068.61	1,16,296.05	33,227.45	3,322,744.52
11	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, कटनी	12	12	1,01,903.53	1,42,664.95	40,761.41	4,076,141.44
12	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, टीकमगढ़	12	10	1,59,325.17	2,23,055.23	63,730.07	6,373,006.80
13	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, उमरिया	15	13	1,08,788.98	1,52,304.57	43,515.59	4,351,559.32
14	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, जबलपुर	15	13	1,40,782.55	1,97,095.57	56,313.02	5,631,302.00
15	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, बुरहानपुर	8	3	36,707.59	51,390.63	14,683.04	1,468,303.84
16	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, अलीराजपुर	11	9	33,318.08	46,645.31	13,327.23	1,332,723.32
17	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि. संभाग, रतलाम	15	15	3,00,777.47	4,21,088.46	120,310.99	12,031,098.88
कुल		254	213	27,56,163.55	38,58,628.96	11,02,465.43	11,02,46,543.43

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in